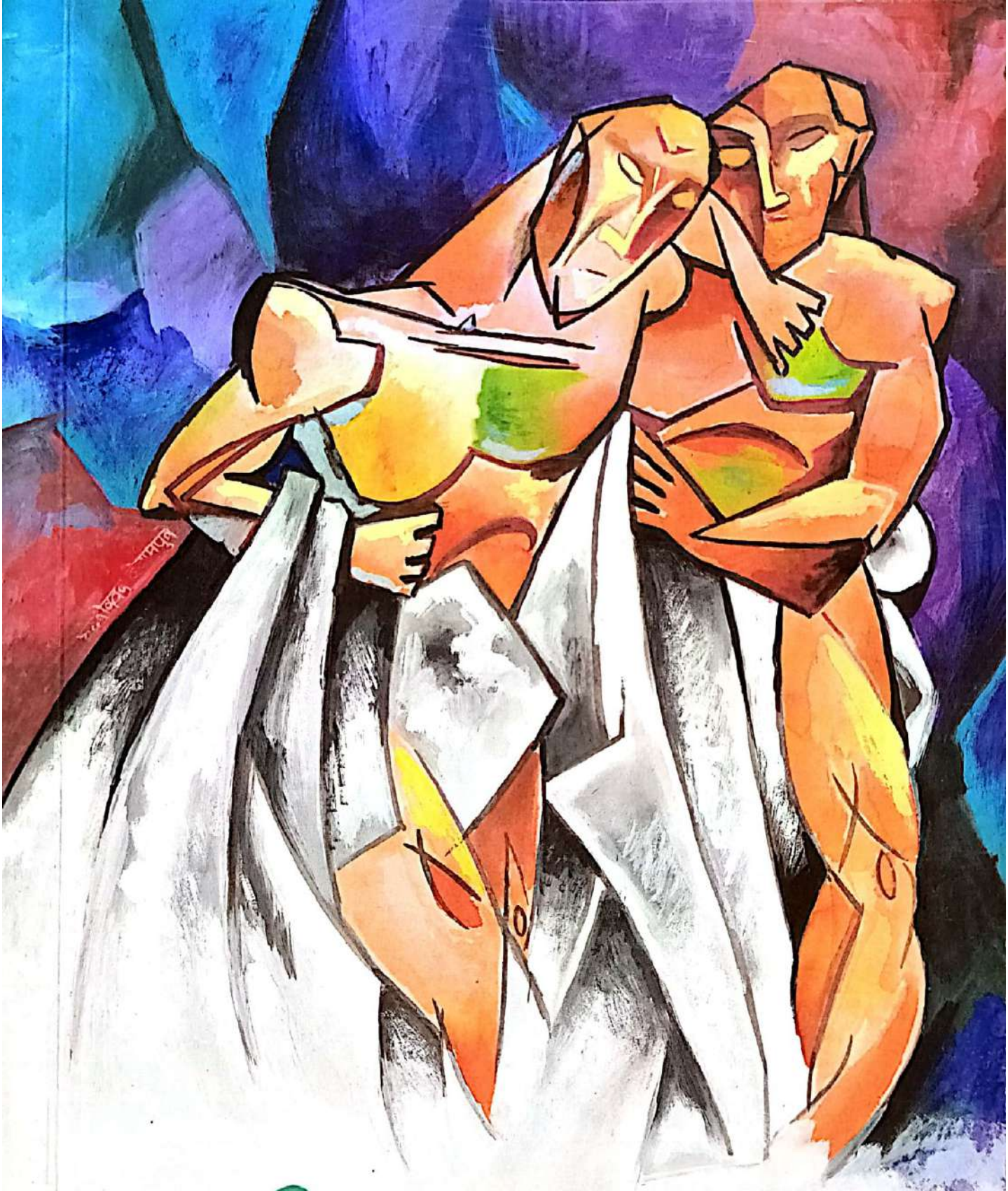

इंद्रधनु

समलैंगिकता के विभिन्न रंग

बिंदुमाधव खिरे

टिप्पणी: यह किताब अप्रैल २००९ में प्रकाशित की गयी। इस किताब में से कुछ वैद्यकीय और कानूनविषयक जानकारी अभी पुरानी हो चुकी हैं ।
प्रकाशन के बाद वैद्यकीय और कानूनविषयक हुए कुछ बदलाव :
- साल २०१३: तृतीयपंथी, द्विलिंगी (Intersex) व्यक्ती को या किसी भी व्यक्ती को उनके लिंगभाव (Gender Identity) के अनुसार उनका जेंडर/लिंगभाव तै करने का कानूनी अधिकार हैं- स्त्री या पुरुष या तृतीयपंथी.
- भा.द.स. ३७७ कलम अभी बदला हैं। ०६.०९.२०१८ सें दो प्रौढ व्यव्यक्तियोंने संमतीसे, निजीमें (in private) समलिंगी संबंध करना अपराध नाहीं हैं।
- साल २०१४ से: भारतीय मानसोपचारतज्ज्ञ संस्था (IPS-Indian Psychiatric Society) समलैंगिकताको, अथवा तृतीयपंथी लिंग भाव को बिमारी (disorder) नाही मानती।
- २५.०८.२०२२ से समलैंगिक कल बदलने का प्रयास करना, अथवा तृतीयपंथी व्यक्ती का लिंगभाव बदलने का प्रयास करना (any form of Conversion Therapy) गैरकानूनी हैं।

Note: This book was published in April 2009. Some of the medical/legal information provided in the book is now outdated. Some of the medical/legal updates are given below:
-2013: Transgender persons, Intersex persons and all other persons have the legal right to identify as male or female or transgender as per their legal identity.
- IPC377 has now changed. From 06.09.2018, gay sex between two consenting adults in privacy is not a crime.
- Year 2014: Homosexuality, Bisexuality, Transgender gender identity is not an illness or disorder (Indian Psychiatric Society (IPS)).
- From 25.08.2022 attempts to convert homosexual/bisexual sexual orientation to heterosexual orientation or trying to change the psychological gender identity of any person (any form of Conversion Therapy) is now banned by law.

इंद्रधनु

समलैंगिकता के विभिन्न रंग

बिंदुमाधव खिरे

UNAIDS

THE HUMSAFAR TRUST

इंद्रधनु : समलैंगिकता के विभिन्न रंग
Different Colours of Homosexuality by Bindumadhav Khire

© **बिंदुमाधव खिरे**
C/o समपथिक ट्रस्ट,
१००४, बुधवार पेठ,
९, रामेश्वर मार्केट,
पुणे - ४११ ००२
दूरध्वनि : (०२०) ६४१७९११२
E-mail : samapathik@hotmail.com

हिंदी अनुवाद : *अवंती महाजन*
मुद्रित शोधन : *रविकिरण गलंगे*

प्रकाशक
इंद्रधनु का हिंदी अनुवाद और उसकी प्रथम आवृत्ती के प्रकाशन के लिए 'हमसफर ट्रस्ट', मुंबई और 'युएनएड्स' से अनुदान प्राप्त हुआ।

हमसफर ट्रस्ट
बी.एम.सी. ट्रान्जीट बिल्डिंग,
वाकोला मार्केट, वाकोला, सांताक्रुज (पूर्व),
मुंबई - ४०००५५
दूरध्वनि : (०२२) २६६७३८००/२६६५०५४७
E-mail : humsafar@vsnl.com

मुखपृष्ठ : *चंद्रशेखर बेगमपुरे*
प्रकाशन : *अप्रैल २००९*

सूचित देणगी मूल्य : १०० रु. (भारत)
१० यु.एस. डालर (विदेश)

गोर विडाल,
लॅरी क्रॅमर,
र. धों कर्वे,
और
अशोक राव कवी
इन्हें आदरपूर्वक

मंतव्य

पुणे मेरा गाँव है। यही मेरा जन्म हुआ। बचपन यहाँ गुजरा और पढ़ाई भी पुणे में ही हुई। मेरी एक छोटी बहन है। माँ-पिताजी दोनों पढ़े लिखे हैं। पिताजी सरकारी कार्यालय में वैज्ञानिक थें। अकेले कमानेवाले थें। उनकी कमाई में घर चलाना दिन-ब दिन मुश्किल होने लगा। तब मेरी माँ ने बी.एड. की उपाधी प्राप्त कर ली और स्कूल में नौकरी करने लगी।

मेरे घर का वातावरण धार्मिक था। सत्यनारायण की पूजा, तुलसी विवाह, महाशिवरात्री, हरितालिका आदी सारे व्रत-त्यौहार रखे जाते थें। गर्मी की छुट्टियों में कही घुमने जाना है, तो तीर्थयात्रा पर ही जाने का घर का रिवाज था। इस साल शेगांव तो अगले साल पंढरपुर, तुलजापुर आदि। परिवार के लोग अंधविश्वासी थें। शनिवार को तेल नहीं खरीदना, बाल नहीं काटना, नया कपडा धोए बगैर नहीं पहनना आदि अंधविश्वासों का पालन घर में होता था। बच्चों ने यह नियम तोड़ देने पर बड़े नाराज होते थें।

कोई खास राजकीय विचार प्रणाली हमारे घरवालों ने कभी अपनाई नहीं, न ही किसी आंदोलन में हिस्सा लिया। रोज घर में आनेवाला अखबार पढ़ना और अपना मत व्यक्त करना बस, यही हमारे लिए बहुत था। कुल मिलाकर समाज से डरकर, भगवान से दबकर रिती-रिवाजों का नेकी से पालन करनेवाला हमारा परिवार था- एक टिपिकल मध्यमवर्गीय परिवार!

लैंगिक विषय तो घर की चार दीवारों मे वर्जित ही था। मुझे याद है- जब हम छोटे थे, एक बार मेरी बहन ने माँ से पूछा 'बच्चे कैसे आते है?' माँ ने जवाब दिया- 'पेट में से आते हैं।' मेरे लिए इतना जवाब काफी था। मगर बहन ज्यादा ही जिज्ञासु थी।

बहन : पेट में से मतलब कहाँ से?

माँ : पेट फाड़कर आते हैं।

बहन : तुम्हारा पेट कहाँ फटा हुआ है?

माँ : बाद में वो आपसे आप बंद भी हो जाता है।

बहम : ऐसे कैसे बंद हो जाता है?

इसपर माँ ने क्या जवाब दिया, अब मुझे याद नहीं। कुछ ऐसा वैसा जवाब देकर बहन की प्रश्नों की घडी बंद कर दी होगी । ऐसी स्थिति होने पर भी कुछ बातों में मेरे माँ-पिताजी उदारवादी थे। पढ़ने की आदत का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। मुझे याद है, मैं छटी कक्षा में था, जब मैंने 'हॅरॉल्ड रॉबिन्स' की किताबें पढ़ना शुरु किया। किताबें बेहद 'हॉट' थी मगर मुझे लैंगिकता के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। जो कुछ पढ़ता था, उसका अर्थ समझ नहीं पाता था।

मुझे धीरे-धीरे सेक्स के विषय में आधा-अधुरा और कुछ गलत ज्ञान मिलने लगा। इसके जिम्मेदार थे- अश्लिल उपन्यास, दोस्तों में इस विषय पर होने वाली चर्चा तथा टॉयलेट में खिंचे गए अश्लिल चित्र। थोड़ी-थोड़ी बातें समझ में आती थी, पर वो एकदम गंदी लगती थी। इस हालत में जब मैं सातवीं कक्षा में था तब पहली बार मेरा वीर्यपतन हुआ। यह पहला अनुभव आकस्मित और डरावना था। कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया हूँ? किससे पूछूँ। मन बेचैन हो उठा।

स्कूल में लड़के अधनंगी औरतों के चित्रवाली किताबें लाने लगे थें। छुट्टी में स्कूल की पिछली ओर जाकर, बड़ी चावसे चित्र देखते थे। मुझे लड़किओं का आकर्षण नहीं था लेकिन यह बात जाहिर करने पर रॅगिंग होने का डर था। इसलिए चूप रहने में ही समझदारी थी।

मेरी कक्षा का एक लड़का मुझे बहुत पसंद था। उसके साथ संभोग करने की इच्छा मन में पैदा होने लगी। पर यह विचार मैंने किसीको नहीं बताया। उसके बारे में सोचकर मैं हस्तमैथुन कर लेता था । उस समय 'समलिंगी' इस शब्द से परिचय नहीं था। समझती थी सिर्फ भावना और शारिरीक इच्छा! लड़कियों के बारे में मुझे कभी प्रेम या लैंगिक आकर्षण महसूस नहीं हुआ। मेरे दोस्तों को मर्दो के बारे में आकर्षण नहीं है यह बात जब मेरी समझ में आ गई तब मैं जान गया कि मेरे दोस्तों से मैं कुछ अलग हूँ। मैं हैरान हो गया। परेशान हो गया। अलगपन की भावना बड़ी क्लेशकारक थी। मैं ही क्यों ऐसा हूँ? मैंने क्या पाप किया है?

आहिस्ता-आहिस्ता यह बात मन में जम गई कि मैं आम लोगों जैसा नहीं हूँ, कुछ हटके हूँ। मैं अकेले में रहने लगा। किसी भी लड़की के साथ मेरी दोस्ती नहीं हो सकी। कुछ समलिंगी पुरुष मुझे बताते हैं कि उनकी अनेक सहेलियाँ हैं। क्योंकि लड़कियाँ हम जैसों को ज्यादा स्वीकारती है। परंतु मालूम नहीं क्यों मैं यह अनुभव न कर सका। अपने आसपास सिर्फ लड़के ही लड़के हो, इस दुनिया में एक भी लड़की नहीं रही तो बेहतर- इस प्रकार के विचार मन में आते थें।

मुझे प्रतीत हुआ की मेरी कक्षा का जो लड़का मुझे भाता ता, उसे मैं नहीं, बल्कि दूसरी लड़की अच्छी लगती है। अब लड़कियाँ मुझे मेरी स्पर्धक लगने लगी। इस स्पर्धा में किसी लड़के से मैं कितना ही प्रेम क्यों न करु, मैं नाकाम ही रहने वाला हूँ। सिर्फ प्रेम ही नहीं, जिंदगी के हरएक मोर्चे पर केवल असफलता ही मुझे नसीब होगी, बाकी पुरुषों की तुलना में, मैं कहीं का न रहा हूँ इस तरही की न्यूनता की भावनाओं ने मुझे धेर लिया।

अबतक दो भिन्नलिंगी पुरुषों से मैं एकतरफा प्रेम कर चुका था। स्वाभाविक ही था, उसमें सफलता नहीं मिली। मैं अंदर ही अंदर पूरी तरह से ढ़ह गया था। उपरी तौर से भिन्नलिंगी होने का नाटक करता था। यही मुखौटा पहनकर दोस्तों के साथ रहता था- मेरी असलियत उन्हें मालूम हो गई तो मुझे अकेला छोड़कर चले जाएँगे, इस डर से मन काँप उठता था।

मन में उलझन रहती, आखिर इन पुरुषों मे ऐसी कौन-सी खास बात है? इतना आत्मविश्वास, इतना गुरुर कहाँ से आता है? सर्वश्रेष्ठत्व की भावना कैसे पैदा होती है? क्या उनके कुछ राज वो मेरी तरह छिपाते है? वैसे उनकी और देखकर लगता नहीं कि उन्हें कोई समस्या होगी। उनकी यह मर्दानगी बहुत लुभावनी लगती थी और यह मुझे हासिल नहीं, इस बात के लिए खुदको कोसता रहता था। एक तरफ पुरुषों का आकर्षण और दूसरी और उनकी जैसी जिंदगी की चाह, इस कश्मकश में मन उलझा रहता और दोनो बातें हाथ नहीं आती इस कारण मुझे पुरुषों से द्वेष होने लगा। औरतों के बारे में जलन और पुरुषों के लिए ईर्ष्या।

कमाल की निराशा आ गई। कुछ भी करने की इच्छा न रहीं। पढ़ाई, नौकरी करे तो भी किसलिए? मेरी लैंगिकता मुझे जैसे निगल गई। घरवालों को पता चला तो? कितना दुख होगा उन्हें। उन्होंने कितनी ममता से मेरी परवरिश की और मैं 'ऐसा', क्या गुजरेगी उनपर? मेरा जीना ही व्यर्थ है। आत्महत्या के विचार मन में आने लगे। इन भावनाओं से मेरा दम घुटने लगा। किसीके साथ बातचीत भी असंभव थी। मेरा राज किसीको मालूम हो जाने की कल्पना से मन सरपटा जाता।

होते होते शादी की उमर हो गई। मैं फिर एक बार एक भिन्नलिंगी लड़के के प्रेम में फस गया। उसे मेरी लैंगिकता पता नहीं थी। वह 'होमोफोबिक' था। उसके स्वीकार के लिए मैं बेचैन था और इसके लिए मेरा भिन्नलिंगी होने का दिखावा जरूरी था।

परिवारवालों का एक सरल स्वाभाविक दृष्टिकोन होता है। बेटे की पढ़ाई के बाद, नौकरी में थोड़ा संभल जाते ही उसकी शादी हो जाए। उसके बालबच्चे हो। इन

बातों का विरोध करने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। अब मेरी इस कायरता पर मुझे शरम आती है। चिढ़ होती है। उस समय भी होती थी। मगर किसी भी संस्कृति का प्रतिरोध करने के लिए पहला कदम होता है, खुद का बुनियादी तौर पर स्वीकार! और मेरी यही नींव कच्ची थी। समलिंगी होना गलत है, यही मेरा विश्वास था।

शादी के लिए मानसिक सिद्धता, उसके साथ आनेवाली जिम्मेदारी, दोनों का प्यार जो शादी की बुनियाद होता है, किसी पर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। दरसल स्त्री-पुरुष के रिश्ते के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। स्वतंत्र रुपसे विचार करने की आदत ही कहाँ थी मुझे! पढ़ाई करो, अच्छी-सी नौकरी ढूँढ़ लो (वो भी नोकरी ही, व्यवसाय नहीं) वहाँ पैर टिकते शादी कर लो- सिर्फ शादी नहीं- उसके बाद बच्चा हो- (एक नहीं दो बच्चे होंगे तो बेहतर- कहते हैं, एक के साथ दूसरा बड़ा होता है- इसका क्या मतलब, भगवान ही जाने!) शादी के बाद पत्नी ने उसका घर छोड़कर पति के घर आना, अपना नाम बदल देना- समाज की इस व्यवस्था में, पत्नी भी एक स्वतंत्र इन्सान है, उसकी भी कुछ भावना, आशा, आकांक्षा हो सकती है, इस बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। इस ढ़ाँचे में कहीं कुछ अभाव हो सकता है, इस पर मेरे मनमें कभी प्रश्न उपस्थित नहीं हुए। मैंने विचार करने की तकलीफ नहीं उठाई थी। मैं भिन्नलिंगी हूँ, बस! इस बात का दिखावा करने में ही मेरी पूरी ताकद खर्च होती थी। इस मुखौटे के लिए, मैं किसी का भी प्यादा बनाने के लिए तैयार था।

मेरी शादी हो गई, और एक साल में तलाक भी। मुझे बहुत दु:ख हुआ। (उस समय मैं सॉफ्टवेअर इंजीनियर था और 'H1B' व्हिसा पर अमरिका में नौकरी कर रहा था।) मनस्ताप से जी भारी हो गया। मुझे इस वक्त सहारे की जरुरत थी। सॅन फ्रॅन्सिस्को में एक भारतीय 'समलिंगी सपोर्ट ग्रुप' ('त्रिकोण') था। मैंने उनसे मदद माँगी। उन लोगों से मिलने के लिए मुझे बहुत शरम आ रही थी की अनजाने लोगों के सामने जाते ही वे पहचान जाएँगे कि मैं 'वैसा' हूँ। और.....

.... और पहली मुलाकात में ही जैसे जादू की छड़ी फिर गई, मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरे जैसे और पुरुष इस दुनिया में है, मेरे जैसे ही उनके अनुभव है, यह बात समझ में आ गई। बाकी लोगों को (खास करके माँ-पिताजी को) मेरी असलियत बताने का सवाल बाकी था, फिर भी मेरे ही बारे में मेरे मन में जो घिन थी, जो घृणा थी, वह उसी क्षण गायब हो गई। ऐसी क्या बात है मेरी लैंगिकता में, जो औरों से छिपाई जाए? यह विचार मन में आने लगा। और उस दिन से मेरा रास्ता साफ दिखाई देने लगा। मेरे 'गे' होने पर मुझे गर्व महसूस होने लगा।

उस दिन से मेरी दृष्टि बदल गई। दिल का बोझ उतर जाने से आसपास की हर चीज नए रंग में रंगी हुई दिखाई देने लगी। 'त्रिकोण' सपोर्ट ग्रुप में मुझे समलिंगी, उभयलिंगी पुरुष और महिलाएँ मिली। शुरु-शुरु में वहाँ आनेवाली लड़कियों से मैं थोड़ा-सा (थोड़ा क्यों बहुत ही) नाराज रहता था। लगता था 'त्रिकोण' सिर्फ पुरुषों के लिए ही होना चाहिए, औरते यहाँ न दिखाई दे तो अच्छा। उसमें एक और बात भी थी, कि जो लड़कियाँ कुछ आग्रही स्वभाव की थी, उनके साथ संवाद करना मुझे कठिन लगता था। बेचैनी होती थी। लड़कियों का आग्रही होना मैंने देखा ही नहीं था। आग्रही तो पुरुष होते हैं; होने चाहिए। इस धारणा में मेरा बचपन गुजरा था। धीरे-धीरे मेरी न्यूनत्व की भावना जैसे कम होती गई, मैं लड़कियों को स्विकारने लगा। उनकी समस्याएँ मेरी समझ में आने लगी। लेस्बियन महिलाओं की समस्याओं से परिचित हुआ। लेस्बियन्स की स्थिति यह थी, कि लड़की होने के कारण पुरुषों जैसी स्वतंत्रता नहीं, शिक्षा-नौकरी के अवसर सीमित, अकेले रहना मुश्किल, फिर शादी की जबरदस्ती, शादी के बाद पति के साथ किया हुआ संभोग एक 'रेप' जैसा ही लगता है, ऐसी हालत में उनकी स्थिति और बदतर होती है। यह स्थिति जानने के बाद लड़कियों के बारे में मेरी पक्षपाती वृत्ती कम होती गई। मैं यह नहीं कह सकता की वो पूर्णरुप से गई है, लेकिन बहुत मात्रा में कम हुई है और दिन-ब-दिन कम होती जा रही है।

चार साल के बाद मैं हमेशा के लिए स्वदेश लौट आया। घर में बता दिया की, 'मैं गे हूँ'। उन्हें सदमा पहुँचा। अपराध की भावना हो गई की बेटे की परवरिश में कुछ कमी रह गई। मैंने लाख समझाने की कोशिश की, की इसमें गलती किसी की भी नहीं है। मैं जैसा हूँ, सुखी हूँ। पर उनके पल्ले नहीं पड़ा। जिस संस्कृति में वे पले थे वहाँ उनकी यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी।

घरवालों ने मुझे 'ठीक' करने की ठान ली। महाराज, बाबा के दर्शन कराए। आखिर में, मैं तंग आकर उन्हें एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गया। वह मेरे पक्ष में थे। उन्होंने माँ को साफ बता दिया की, 'यह बदलेगा नहीं।' साथ उन्होंने यह भी समझाया की, 'समलैंगिकता कोई बीमारी या विकृति नहीं है। बेहतर है, आप अपना बेटा जैसा है वैसा ही उसका स्विकार करे।' डॉक्टर से यह सब सुनने के बाद उनकी आशा पर पानी फेर गया।

इस दौरान मैंने पुणे में महीने में एक बार 'गे' सपोर्ट मिटींग आयोजित करना शुरु किया। प्रतिसाद न के बराबर था। यहाँ मानो मेरा, दूसरी बार पुनर्जन्म हो गया।

अमरिका में जो सपने देखे थे, वे सब हवा हो गए। यहाँ की स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान होते होते आँखे खुल गई। लड़कें-लड़कियों को लैंगिक शिक्षा मिलती नहीं, अधिकांश पुरुष पुरुषों के साथ (अथवा स्त्रीके साथ) संभोग करते वक्त कंडोम का उपयोग नहीं करते (आज भी इस स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है) आदि बातें जानकर मेरा दिमाग ठिकाने आ गया।

मुझे महसूस होने लगा की, यहाँ भिन्नलिंगी पुरुषों की भी बहुत सारी समस्याएँ हैं। मेरी गलतफहमी थी की समस्या केवल औरतों को और समलिंगी पुरुषों को ही होती है। वह दूर हो गई। पुरुष अपनी लैंगिक समस्याएँ बताने में हिचकिचाते हैं। संभोग की समस्याएँ, औरतों द्वारा होनेवाला शोषण आदि विषयों के प्रश्न किसी के साथ बाँट नहीं सकते। उन्हें सही जानकारी कौन देगा? अनेक लोगों का पत्नी के (या प्रेमी के) साथ, लैंगिक इच्छा, संभोग जैसी बातों पर संवाद ही नहीं होता। इसलिए दोनो मानसिक/शारिरीक दृष्टि से असंतुष्ट रहते हैं। स्त्री के लिए ऐसी भूमिका, पुरुष के लिए वैसी भूमिका, स्त्री के लिए यह नियम, पुरुष के लिए वे नियम, जेंडर, धर्म, संस्कृति आदि के शिकंजे मे फँसकर पुरुष किस तरह अपना बलि चढ़ा रहा है, समुचि बातें धीरे-धीरे समझ में आ गई। इन उलझनों को सुलझाते-सुलझाते मन में एक विचार आया, क्यों न मैं इस विषयों पर एक संस्था शुरु कर दूँ?

इस पृष्ठभूमि पर मैं, मुंबई में 'हमसफर ट्रस्ट' के संचालक अशोक राव कवी जी से मिला। (हम सब प्यारसे उन्हे 'अम्मा' बुलाते हैं) संस्था शुरु करने के लिए उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और २००२ के सितंबर महीने में मैंने समलिंगी लोगों के लिए 'समपथिक ट्रस्ट' संस्था, पुणे में शुरु कर दी। संस्था 'गे सपोर्ट ग्रुप' का काम करती है। साथ में लैंगिकता, लैंगिक शिक्षा, एसटीआय/एचआयव्ही/एड्स के लिए हेल्पलाईन, कौन्सेलिंग, समलैंगिकता के बारे में लोगों मे संवेदनशीलता निर्माण करना इस दायरे में यह संस्था काम करती है।

ट्रस्ट का काम शुरु हो गया और लैंगिकता के और कई पहलू सामने आए। उदा. ट्रान्सजेंडर, इंटरसेक्स आदि लोगों पर होनेवाले अन्याय का पता चला। अगर उन्हें हमेशा ठुकराया गया, पढ़ाई-नौकरी का अवसर ही नहीं मिल पाया तो यह लोग क्या करेंगे? उन्हें हमदर्दी की सख्त जरुरत होती है। यह लैंगिक अल्पसंख्याक (LGBT & Intersex) स्त्रीत्व तथा पौरुषत्व की सारी रुढ़ कल्पनाओं को कुचलते हैं। इसलिए न स्त्री, न पुरुष, कोई भी उन्हें नहीं चाहता। पुरुष नहीं चाहते क्योंकि

इन लोगों के कारण पुरुषार्थ की कल्पना ध्वस्त होती है और औरतों की उन्हें नकारने की वजह है, इनके कारण औरतें खुद को असुरक्षित महसूस करती है। फेमिनिस्ट विचारधारा की कई औरतें भी उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखती है क्योंकि इनकी वजह से स्त्री बनाम पुरुष ऐसी स्पष्ट भूमिका आसानी से ले नहीं पाती।

किताब की आवश्यकता

संस्था चलाते समय एक बात का एहसास हो गया था, कि मराठी में इस विषय पर ज्यादा लिखा नहीं गया है। मैंने मराठी में 'पार्टनर' नाम की एक किताब इस विषय पर लिखी। एक समलिंगी लड़के की डायरी के रुपमें यह किताब लिखी थी। समलिंगी लोगों के मनमें खुदके बारे में जो द्वेष है, न्यूनत्व की भावना होती है, उसे नष्ट करने के उद्देश्य, यह किताब खास करके समलिंगी लोगों के लिए ही लिखी थी।

बाद में समलैंगिकता के बारे में बोलने के कई मौके आएँ। भाषण, चर्चा करते समय, लगातार एक बात सामने आती थी। लोगों को इस विषय की ज्यादा जानकारी नहीं है और समलिंगी लोगों के बारे में बहुत गलतफहमियाँ समाज में फैली हुई है। पूरे महाराष्ट्र में अकेला जाकर यह विषय पेश करना, मेरे लिए असंभव है। इसलिए समलैंगिकता के विभिन्न पहलूओं पर मराठी में एक किताब लिखने की बात सोची।

किताब पहले मराठी में लिखी गई। तकरीबन दो साल के बाद इसका हिंदी अनुवाद करने का मौका मिला। बालिग हो गए लड़कें, लड़कियाँ, उनके पालक, समलिंगी व्यक्ति यह किताब जरूर पढ़े। उनके साथ, वकील, डॉक्टर्स, पत्रकार, पुलिस काऊन्ससेलर्स को भी यह जानकारी उपयुक्त साबित होगी। आशा करता हूँ की यह किताब को पढ़ने के बाद, इस विषय की सही जानकारी लोगोंतक पहुँचेगी और उसीसे समलिंगी समाज के बारे में, समलिंगी जीवनशैली के विषय में, लोगों के मन में सहिष्णुता, संवेदनशिलता उत्पन्न होगी।

थोड़ा-सा किताब के बारे में.....

इस किताब के पहले हिस्से में समलिंगी विषय के विभिन्न दृष्टिकोन प्रस्तुत किए हैं। (एक पहलू जान बुजकर नहीं दिया गया है, वो है, 'लोग समलिंगी क्यों होते हैं?' इस विषय पर चल रहा सभी शास्त्रीय अनुसंधान पूर्वदूषित है। समलिंगी होना एक विकृति है और उसके कारणों की खोज करके, उसे बदलने के प्रयास होने चाहिए, इस दृष्टि से यह अनुसंधान चल रहा है। यह दृष्टि सरासर गलत ही नहीं अमानवीय है।) इस किताब के दुसरे हिस्से में समलिंगी लोगों का भावविश्व, उनकी समस्याएँ, उनके अधिकार के बारे में लिखा हैं।

किताब के लिए अनेक लोगों ने मुलाकातें दी। कुछ लोगों के 'कोट्स' दिए है। कुछ लोगों को, अपना नाम किताब में जाहिर होना पसंद नहीं था। उनका आदर करते हुए उनका नाम नहीं दिया गया है। मुझे एहसास है कि लेस्बियन लड़कियों के अनुभव यहाँ ज्यादा नहीं दे पाया हूँ। मैंने बहुत कोशिश करने पर भी लेस्बियन्स खुले दिलसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी।

सीधी-सादी भाषा में किताब लिखने का प्रयास किया है। कुछ अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी में प्रतिशब्द मिलते नहीं। उदा. 'आऊट', 'क्लोजेट' इ. इन शब्दों की सूची और इनका अर्थ सूची में दिया गया है।

किताब का विषय समझने में थोडा कठिन है। पचाने में और भी मुश्किल है। इस तथ्य का अनुभव मैं कर चुका हूँ, कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज में समलिंगी लोगों के बारे में संवेदनशिलता निर्माण होने के लिए यह किताब मददगार हो। फिर भी यह किताब मेरी ही जरुरत है, इस बात का मुझे पूरा एहसास है।

बिंदुमाधव खिरे

⊙ ⊙

ऋणनिर्देश

मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जानेवाली 'त्रिकोण' संस्था (सॅन फ्रॅन्सिस्को, कॅलिफोर्निया) के आधारस्तंभ अरविंद कुमार, अशोक जेठनंदानी और संदीप रॉय, भारत में मुझे अमूल्य मार्गदर्शन करनेवाली, मेरी संस्था को आर्थिक सहायता देनेवाली संस्था 'हमसफर ट्रस्ट' और उसके विश्वस्त अशोक राव कवी, विवेक आनंद इनके ऋण में मैं हमेशा रहना चाहूँगा।

पुणे में समलिंगी लोगों के लिए संस्था स्थापन करते वक्त, मुझे पुणे में विश्वस्त मिल नहीं सके। इस स्थिति में मुंबई के नीतिन करानी और अभिजीत आहेर विश्वस्त बने। उनके मन:पूर्वक आभार।

किताब लिखते समय मुझे बहुत लोगों की मदद मिली। संध्या गोखले, अमोल पालेकर, ओनीर, सलीम किडवई, रुथ वनिता, गीती थदानी, जमीर कांबले, राणी सोनावणे, अनिल कदम, मिलिंद चव्हाण, श्रीधर रंगायन, सागर गुप्ता, सुहेल, शुभांगी देशपांडे, केतकी रानडे, नयन कुलकर्णी, उज्ज्वला मेहेंदले, डॉ. आनंद देशमुख, किरण मोघे (अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना) इनके मैं मन:पूर्वक आभार मानता हूँ।

डॉ. भूषण शुक्ल, डॉ. हेमंत आपटे, डॉ. रमण गंगाखेडकर, डॉ. जया सागडे, डॉ. अरविंद पंचनदीकर, डॉ. मंगेश कुलकर्णी, नीतिन करानी, नयन कुलकर्णी इन्होंने किताब का प्रारुप देखकर, मुझे सुझाव दिए।

इनके अलावा सुनीता वाही, डॉ. विजय ठाकूर, डॉ. अनंत साठे, डॉ. शांता साठे, चंद्रा कन्हाडकर, अनुराधा करकरे (कृपा फाउंडेशन), मेघना मराठे, पवन ढाल (साथी संस्था), डॉ. अनुराधा तारकुंडे, डॉ. राजेंद्र बर्वे, डॉ. रमण खोसला, डॉ. सौमित्र पठारे, एम.आय.एम.एच. (महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ) की संचालिका डॉ. अलका पवार, डॉ. मयूर मुठे, आनंद पवार (सम्यक), सीमा वाघमोडे (कायाकल्प), अरविंद नारायण, गिरिश कुमार (हमसफर ट्रस्ट), संजय शेलके, नंदिता अंबिके, डॉ. राजीव बांबले, संतोष वाणी (पुणे सिटी एड्स कंट्रोल सोसायटी), मनोज परदेसी (एन.एम.पी.+), डॉ. ललित सरोदे, गीता राव, डॉ. पूजा यादव, प्रकाश यादव (अखिल बुधवार पेठ देवदासी संस्था), आनंद ग्रोव्हर (डायरेक्टर लॉयर्स कलेक्टिव्ह एचआयव्ही/एड्स युनिट), विवेक दीवान (लॉयर्स

कलेक्टिव्ह), सी.वाय.डी.ए., पाथफाईंडर इंटरनॅशनल, लॉयर्स कलेक्टिव्ह, इन सबकी सहायता मुझे मिली। प्र. न. भारद्वाज ने कुछ अंग्रेजी परिच्छेदों का अनुवाद किया। अवंती महाजन जी ने मराठी किताब का हिंदी में अनुवाद किया। अनुवाद करने में रंजन कुमार साह जी ने मदद की। रविकिरण गलंगे जी ने मुद्रित शोधन किया। इन सबके अंत:करणपूर्वक आभार।

इस किताब में, मैंने कुछ छायाचित्र, लेखों का उपयोग किया हैं। विभिन्न व्यक्तिओं ने और संस्थाओं ने मुझे इनका उपयोग करने की अनुमति दी। उनके मन:पूर्वक आभार।

Photo 1: Ancient Homosexuality? - Context: Picture No.: 7409. Copyright: © K.L.Kamat. All Rights Reserved. Reel Name: Dubella Museum. Reel Notes: Sculptures and Paintings of Chandela and Orechha kings, Dubella. Date of Exposure: January 08,1977.

Source: http://www.kamat.org/picture.asp?Name=7409.jpg

Photo 2: Erotic Sculptures of Nad-Kalse: Homosexual Men Making Merry. Detail from a sculpture from Karnataka. Copyright: © K.L.Kamat. All Rights Reserved.

Source: http://www.kamat.org/picture.asp?Name=3670.jpg

Photo 3: Two Women having Sex Copyright: © Giti Thadani. All Rights Reserved. This Picture has also appeared in 'Sakhiyani' & 'Moebiustrip'.

* **लोकमत :** 'सर्व बंधने झुगारत त्या विवाहबंधनात अडकल्या.' ०७/११/२००६.

'इट्स अ वे ऑफ लाईफ.' डॉ. संज्योत देशपांडे. २५/०६/२००७.

* **सकाळ :** 'आगळे विश्व माझे.' प्रतिभा घीवाला (समन्वय). ०८/०७/२००६.

* **Trikone :** Meeting the Dalai Lama. By Tinku Ishtiaq. Oct 1997.

Monkey Business. By Simon LeVay. April 1999.

Pledging their Love. Photo of Ashok Jethnandani and Arvind Kumar getting married. By Munia and Everlyn Hunter. July 1997.

Trikone Cover Photo. July 1997.

* **Bombay Dost :** Cover Photo. Volume 4, Number 4, 1996.

सूची

गे	:	ऐसा समलिंगी व्यक्ति, जो अपनी समलैंगिकता संपूर्णत: स्वीकार करता है।
लेस्बियन	:	समलिंगी स्त्री।
एमएसएम (MSM)	:	पुरुषों के साथ लैंगिक संबंध करनेवाले पुरुष। (Men who have Sex with Men)
होमोसेक्शुअल	:	समलिंगी
होमोफोबिया	:	समलिंगी व्यक्ति का/समलिंगी जीवनशैली का भय और उससे निर्माण होनेवाली ईर्ष्या।
बायसेक्शुअल	:	उभयलिंगी
हेटरोसेक्शुअल	:	भिन्नलिंगी
पीएलएचए (PLHA)	:	एचआयव्ही बाधित व्यक्ति/People living with HIV/AIDS
एसटीआय (STI)	:	लैंगिक संबंधों से फैलने वाली बीमारीयाँ। (Sexually Transmitted Infections)
एसटीडी (STD)	:	गुप्तरोग (Sexually Transmitted Diseases)
आऊट (OUT)	:	अपनी समलैंगिकता जाहिर करना।
क्लोजेट (Closet)	:	अपनी समलैंगिकता छिपाके रखना। भिन्नलिंगी होने का ढोंग करना।
रिसेप्टिव्ह साथीदार/बॉटम	:	संभोग में लिंग अंदर लेनेवाला साथीदार।
इन्सर्टिव्ह साथीदार/टॉप	:	संभोग में लिंग अंदर डालने वाला साथीदार।
व्हर्सटाईल साथीदार	:	इन्सर्टिव्ह और रिसेप्टिव्ह दोनो भूमिका करने वाला
जेंडर आयडेंटिटी	:	लिंगभाव (व्यक्ति खुद को मानसिक दृष्टि से पुरुष समझता है, या स्त्री वह उसका लिंगभाव होता है।)
ट्रान्सजेंडर पुरुष	:	जिस व्यक्ति का शरीर पुरुष का हो परंतु मानसिक

दृष्टि से स्त्री होता है। (वह पुरुष खुद को स्त्री समझता है।)

ट्रान्सजेंडर स्त्री : जिस व्यक्ति का शरीर स्त्री का हो परंतु मानसिक दृष्टि से पुरुष होता है। (वह स्त्री खुद को पुरुष समझती है।)

ट्रान्ससेक्शुअल : कुछ ट्रान्सजेंडर पुरुष अपना शिश्न, वृषण शस्त्रक्रिया करके निकाल देते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति कृत्रिम योनि बिठाते हैं, कुछ लोग कृत्रिम स्तन लगाते हैं। शस्त्रक्रिया, संप्रेरक, व्हॉईस-थेरपी, कॉस्मेटिक सर्जरी करके स्त्री बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ट्रान्ससेक्शुअल कहते है। वैसे ही कुछ ट्रान्सजेंडर औरतें शस्त्रक्रिया, व्हॉईस-थेरपी, संप्रेरक, कॉस्मेटिक सर्जरी करके पुरुष बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को ट्रान्ससेक्शुअल कहते हैं।

इंटरसेक्स : गुणसूत्र अथवा संप्रेरक या अन्य किसी कारण से कुछ बच्चों की जननेंद्रिय पूर्ण रुपसे न पुरुष की होती है, न स्त्री की। इस बच्चे को लड़का माने या लड़की माने यह कहना मुश्किल होता है। बच्चा बड़ा हो जाने पर खुद को स्त्री समझता है या पुरुष (उसका लिंगभाव क्या है) इससे उसका लिंग तय होता है। ऐसे व्यक्ति को इंटरसेक्स कहते हैं।

⊙ ⊙

अनुक्रमणिका

भाग १ समलैंगिकता

१) ऐतिहासिक दृष्टिकोन २०
२) धार्मिक दृष्टिकोन २८
३) कानून का दृष्टिकोन - धारा ३७७ ३४
४) कानून का दृष्टिकोन - समलिंगी विवाह ४९
५) वैद्यकीय दृष्टिकोन - प्राथमिक जानकारी ५३
६) वैद्यकीय दृष्टिकोन - बीमारी से अलगपन तक ६०
७) प्रसार माध्यमों का दृष्टिकोन ६९

भाग २ समलिंगी जीवनशैली

१) यौन अवस्था ७८
२) सामाजिक समस्या ८५
३) लैंगिकता का स्विकार ९४
४) समलिंगी रिश्ते १००
५) लैंगिक आरोग्य १०९
६) समलिंगी लोगों के लिए आधार संस्थाएँ ११८
७) समलिंगी लोगों के अधिकार १२२

परिशिष्ट

अ) संदर्भ १२६
ब) समलिंगी समाज के साथ काम करनेवाली कुछ संस्थाएँ १३२
क) वाचन १३४
क्रॉस इन्डेक्स १३५

भाग - 9

समलैंगिकता

इंद्रधनु

ऐतिहासिक दृष्टिकोन

भारतीय संस्कृति का हजारो साल पुराना इतिहास है। परंतु वह सलगता से उपलब्ध नहीं होता। कुछ धार्मिक ग्रंथ, नियमावली, वैद्यकीय साहित्य, पुराने शिल्प तथा लैंगिकता के बारे में लिखा गया साहित्य इनके जरिए संस्कृति की झाँकी मिलती है। प्राचीन भारत की लैंगिकता के उल्लेख अलग अलग ग्रथों में पाएँ जाते हैं। लैंगिकता से संबंधित कुछ साहित्य प्राचीन वेदों में पढ़ा जा सकता है। (उदा. 'ऋग्वेद', 'अथर्ववेद' आदि) 'मनुस्मृति', 'कौंटिलीय अर्थशास्त्र' जैसे कायदे कानून पर लिखे गए ग्रंथ है, जिनमें लैंगिकता के संबंध में लिखा गया है। कामरस पर लिखे गए 'कामसूत्र', 'अनंगरंग' जैसे ग्रंथ उपलब्ध है। वैद्यकीय ग्रंथों में लैंगिकता के कुछ पहलूओं के दर्शन होते हैं। (उदा. सुश्रुत संहिता, चरक संहिता) 'महाभारत', 'स्कंदपुराण' जैसे प्राचीन साहित्य में अनेक पौराणिक कथाएँ मिलती है, जिनमें मनुष्य के विभिन्न लैंगिक रुपों का परिचय होता है। प्राचीन शिल्प, जो प्राय: मंदिरो पर कुरदे गए हैं, इससे प्राचीन भारतीय लैंगिकता की झाँकी मिलती है। साहित्य तथा प्राचीन शिल्पों से लैंगिकता की जो जानकारी मिलती है, वह बहुतांश रुपसे भिन्नलिंगी संबंधो से जुड़ी हुई है। लेकिन इनमें समलैंगिकता के उदाहरण भी मिलते हैं।

नारद पुराण [1]

जो महापापी अयोनी में (योनी छोड़कर अन्य जगह) अथवा वियोनी में (विजातीय योनी या पशू की योनी में) वीर्य त्याग करता है, उसे यमलोक मे वीर्य का ही भोजन करना पड़ता है। पहले उसे चरबी से भरे हुए कुए में ढकेल दिया जाता है और वहाँ उसे वीर्य का भोजन करना पड़ता है।

कौंटिल्य का अर्थशास्त्र [2]

४.१२.२०स्त्रीने भ्रष्ट की हुई कुँआरी लडकी को (अगर उसकी संमति से यह कर्म हुआ हो और वह उसी वर्ण की हो, तो) बारह 'पण' दंड देना चाहिए तथा भ्रष्ट करनेवाली स्त्रीने दुगुना जुर्माना अदा करना चाहिए।

४.१२.२१ अगर उस कुँआरी लड़की की अनुमति न हो, तो भ्रष्ट करनेवाली स्त्रीने सौ 'पण' दंड देना चाहिए।....

४.१२.२२ अपने हाथों से खुद को भ्रष्ट होनेवाली कुँआरी लड़की को राजा का दास्यत्व स्वीकारना होगा।

४.१३.३० योनी के अलावा अन्य जगह, स्त्रीके साथ संभोग करनेवाले को तथा पुरुष के साथ संभोग करनेवाले को प्रथम साहस दंड किया जाए।

कामसूत्र [3]

भाग १ सत्र ५

२७. इसमें एक तिसरा नाम (तृतीय प्रकृति) आना चाहिए....

भाग १ सत्र ८

११. वह इसी प्रकार से एक लड़की के साथ बरताव करती है।

..संभोग का वर्णन...

३१. यह वर्तन एक स्त्री उसीके विचार की दूसरी स्त्री के साथ करती है।

भाग १ सत्र ९

१. तृतीय प्रकृति के पुरुष दिखने में मर्दानी है, या जनाने ढंग के हैं इस बात पर उन्हें दो विभागों में बाँटा जा सकता है।

....संभोग का वर्णन....

लैंगिकता के संदर्भ में आनेवाले शब्द

अनेक ग्रंथों में लैंगिकता, लैंगिक वर्तन, शारिरीक अलगपन के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया हुआ दिखाई देता है। इन शब्दों का आधुनिक शास्त्रीय शब्दों में तुल्य (मॅपिंग) करना मुश्किल है। सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ शब्द और उनके अंदाजित अर्थ यहाँ दिए हैं।

ग्रंथ	शब्द	अंदाजा
मनुस्मृति [4]	कापुरुष, क्लीबा:	नपुंसक, समलिंगी, ट्रान्सजेंडर, इंटरसेक्स
सुश्रुतसंहिता [5]	आसेक्य, कुंभिक	समलिंगी वर्तन के प्रकार
चरकसंहिता [6]	षष्ढी	समलिंगी स्त्री, ट्रान्सजेंडर, इंटरसेक्स
विनयपिटक [7]	पंडक	पंडक के विभिन्न प्रकार है। हर एक की अलग परिभाषा है।
जैनसूत्र [8]	किन्नर, किमपुरुष	८ व्यंतरों (Passing Beings) में से दो प्रकार
अमरकोष [9]	तृतीयप्रकृति:	षण्ढ:, क्लीब:, पण्डो, नपुंसकम्

शिल्प

लैंगिक संबंध दर्शाने वाले अनेक प्राचीन शिल्प है। कुछ शिल्पो में समलिंगी संबंध दिखाई पड़ते हैं।

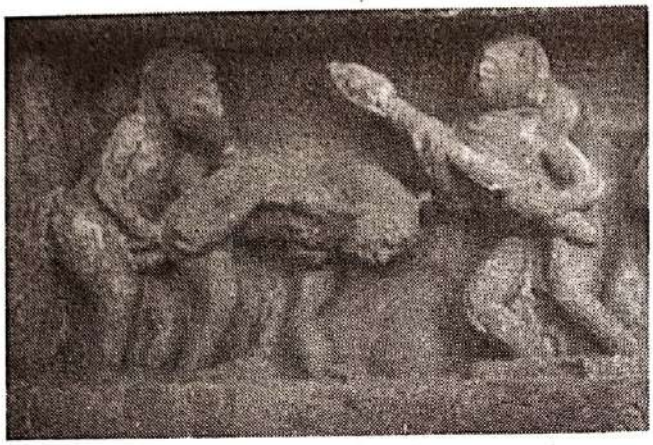

समलिंगी संबंध दुबेला संग्रहालय © के. एल. कामत

संबंध करनेवाले एक व्यक्ति की मूँछे है, दूसरे की दाढ़ी है और तिसरे व्यक्ति के हाथ में एक बड़ी कृत्रिम लिंग जैसी वस्तू है।

नाद कलसे के शिल्प

© के. एल. कामत

बाजू के चित्र में पुरुष मुखमैथुन करता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ, बाए हाथ का व्यक्ति 'ऑटोफिलेशिओ' (Autofellatio) करता हुआ दिखाई देता है।

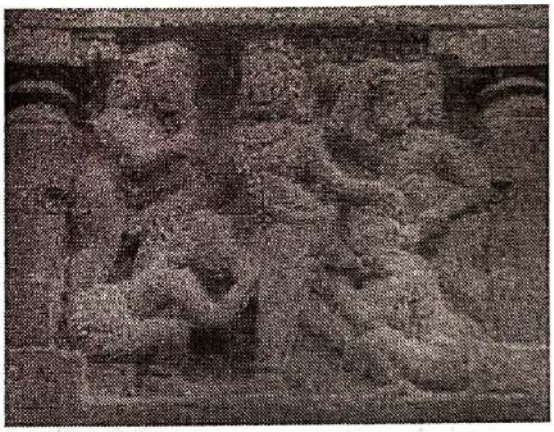

भुवनेश्वर राजरानी मंदिर का एक शिल्प (इसवी १०-११) © गीती थदानी

बाजू के शिल्प में दो औरतों के बीच का लैंगिक संबंध दिखाई देता है।

मुगल साम्राज्य

दसवीं सदीं में मुगलों के आक्रमण शुरु हो गए। धीरे-धीरे मुगल उत्तर भारत में बस गए। दसवीं सदी से लेकर अठरावीं सदी तक के कालखंड में समलिंगी आकर्षण के कुछ उल्लेख मिलते हैं। उनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार के हैं-

* जहिरुद्दिन मोहम्मद (बाबुर) (१४८३-१५३०) और बाबुरी- जब बाबुर जवान था, तब उसकी नजर बाबुरी पर आ पड़ी, और वो उससे प्यार करने लगा। उस प्रेमकथा पर बाबुर ने एक काव्य की रचना की थी। (बाबुरनामा) [10]

May none be as I, Humbled and wretched and love sick,

No beloved as thou art to me, cruel and careless

* दर्गा कुली खान की टिप्पणी- (दिल्ली-ए-मुरक्का) - दर्गा कुली खान जून १७३८ से लेकर जुलाई १७४१ तक दिल्ली में रहे थें। उन्होंने वहाँ की संस्कृति का वर्णन किया है। उसमें समलिंगी आकर्षण के बारे में लिखा है। [11]

* अबू फजल का अकबरनामा - शहा कुली खान महाराम्स, कुबुल खान नाम के युवक से प्रेम करते थे। बादशहा अकबर को यह बात रास न आई। बादशाहा ने नापसंदगी जाहिर की। मगर शाह माने नहीं। आखिर अकबर बादशाह ने कुबुल खान को शाह से जबरदस्ती दूर करवाया। इस बात का शाह को इतना बड़ा दु:ख हुआ की, उन्होंने संन्यास ले लिया। कुछ समय बाद वे बादशहा के पास वापस लौट आए। [12]

कुछ कवि ने 'होमोइरॉटिक' काव्य की रचना की है। उदा. अबरु, मीर-ताकी-मीर इ. [13]

ब्रिटिश साम्राज्य

भारत में १८५७ के गदर के बाद रानी व्हिक्टोरियाने भारत की बागडोर सँभाली। १८६० में भारतीय दंड विधान का गठन हुआ और अमल भी। इस संहिता में दफा ३७७ के तहत, प्रौढ़ व्यक्तिओं ने अपनी मर्जी से किया हुआ समलिंगी संबंध गुनाह माना गया। आज भी भारत में यह गुनाह माना जाता है।

प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर आज तक के इन उदाहरणों से साफ जाहिर है कि, समलैंगिकता और लैंगिक विविधता पश्चिमी देशों से यहाँ आई नहीं है। बल्कि यह इस देश में पहले से ही मौजूद है। भारतीय समाज ने हर समय, हर काल में इस विषय को नजर अंदाज कर दिया है। इस विषय पर हमेशा चुप्पी साधके इस के

अस्तित्व को हमेशा नकारने की कोशिश की है। बीसवीं सदी तक भारतीयों की यही मानसिकता रही है। ॲलन डॅनिलाऊ नाम के लेखक ने कामसूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उसमें शुरुमें उन्होंने कहा है कि मंदिरों पर कुरदे हुए प्राचीन लैंगिक शिल्प कुचलने की आज्ञा महात्मा गांधीजी ने अपने शिष्यों को दी थी। आखिर रवींद्रनाथ टागोर जी ने यह काम रुकवाया था। ॲलन डॅनिलऊ जी ने भारत के समलिंगी शिल्पों के छायाचित्र जब दुनिया के सामने रखे तब पंडित नेहरु जी नाराज हुए थे। [14]

बीसवीं सदी

बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में समाज पुराणमतवादी, सनातन था। पुरुष और स्त्री का चाल चलन, उनका पेहराव तथा जिम्मेदारीयाँ पूरी तरह विभाजित थी और इन नियमों का कठोरता से पालन होना अपेक्षित था। पुरुष श्रेष्ठ तथा स्त्री कनिष्ठ यह भावना समाज मन का एक अभिन्न अंग थी। (आज भी बहुत सारी जगहों पर यही स्थिति है) लैंगिक विषय पर बातें करना, लिखना, जानकारी लेना-देना, भारतीय दंडविधान संहिता की धारा २९२ के अंतर्गत अपराध माना गया था। (आज भी माना जाता है।) लैंगिक विषय के ग्रंथों का अनुवाद करके उसे बेचना भी अपराध माना जाता था। (१९३६ में जब गजानन रघुनाथ मुळे जी ने 'अनंगरंग' (लेखक-कल्याणमल्ल) का मराठी अनुवाद छापा, तब उनपर यह धारा लागू कर दी गई थी। बाद में उनकी निर्दोष मुक्तता हुई लेकिन उन्हें यह बात कहनी पड़ी कि यह साहित्य केवल विवाहित पुरुषों के लिए है। अपनी पत्नी के साथ एकनिष्ठता बरकरार रखने में पुरुष की मदद करनेवाला है।) [15]

इस सनातनी विचारधारा को छेद देने का महान कार्य श्री र. धो. कर्वे जी ने किया। १९२० के दशक में उन्होंने मुंबई में परिवार नियोजन की जानकारी और इसके साधन लोगों में बाँटना शुरु कर दिया। इसके साथ उन्होंने 'समाजस्वास्थ्य' नाम की पत्रिका चलाई। इस पत्रिका के माध्यम से कर्वे जी ने लैंगिकता और इसंके विभिन्न पहलूओं को लेकर वाचकों से संवाद का सिलसिला शुरु किया। उन्होंने परिवार नियोजन, गुप्तरोग इन विषयों पर

कई किताबें लिखी। लोगों को लैंगिकता के बारे में उचित जानकारी मिले, लैंगिक इच्छा, संभोग आदि की तरफ देखने की समाज की दृष्टि स्वस्थ तथा साफ बनी रहे इसलिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। १९५३ में 'समाजस्वास्थ्य' के एक अंक में समलिंगी संभोग के कानून में परिवर्तन लाए जाने का विचार उन्होंने छापा था। [16] कहना जरुरी नहीं, इस कार्य में उन्हें तीखा विरोध झेलना पड़ा। कर्वे जी का इस विषय का गहरा अध्ययन, दो टूक जबाब देने का उनका स्वभाव, तथा आधुनिक विचार धारा को समझना आम आदमी के बसके बाहर था। कर्वे जी का यह महान कार्य उपेक्षा की खाई में दफनाया गया।

१९३० में 'ऑल इंडिया वुमन्स कॉन्फरन्स' में बढ़ती आबादी का विचार सामने रखा गया। माँ और नवजात शिशु की मृत्यु के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की गरीब जनता ने अगर परिवार नियोजन नहीं अपनाया, तो भारत की आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन बदतर हो जाएगी, इस विचार से, १९५१ में परिवार नियोजन की निति बनाई गई। १९५० के दशक में आय.पी.पी.एफ. (इंडियन प्लॅन्ड पेरेंटहूड़ फेडरेशन) और एफ.पी.ए.आय. (फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया) की स्थापना हुई। उन दिनों महिलाओं को ही परिवार नियोजन के बहुतांश कार्यक्रमों में सहभागी बनाया जाता था। (आज भी परिवार नियोजन महिलाओं की ही समस्या मानी जाती है) कुछ साल बाद, आपतकाल के दौरान, परिवार नियोजन की जोर जबरदस्ती जिस तरह से बटती गई, उससे खुद परिवार नियोजन विषय ही विवादास्पद बन गया।

१९८० के दशक में एचआयव्ही विषाणु का पता चला। लेकिन उसपर दवा उपलब्ध नहीं थी। समाज में यह बीमारी भय पैदा कर गई। लैंगिक शिक्षा का अभाव, एचआयव्ही के बारे में अज्ञान तथा नीतीमूल्यों की जकड़ से एचआयव्ही बाधित लोगों पर अन्याय, अत्याचार होने लगे। 'बाजारू पश्चिमी संस्कृति का यह नतीजा है', 'व्यभिचार करनेवालों को अच्छी खासी सीख मिली', ऐसी उलाहना सुनते-सुनते एचआयव्ही बाधितों का जीना दुश्वार हो गया।

ऐसे परिवेश में लैंगिक शिक्षा का जन्म हुआ। लड़के-लड़किया बड़े होते समय उन्हें लैंगिक शिक्षा दी जानी चाहिए यह विचार होने लगा। लेकिन यह शिक्षा दे तो कौन दे? एक तरफ यह सोच थी की, लड़के-लड़कियों को लैंगिकता के बारे में अवगत कराने की जिम्मेदारी माँ-बाप की है। तो दूसरी तरफ माँ-बाप चाहते थे की यह काम शिक्षक करे। माँ-बाप और शिक्षक दोनों इस विषय पर बोलने से कतराते थे।

लड़के-लड़कियों को आज जो लैंगिक शिक्षा मिलती है, उसका स्वरूप उपरी, कामचलाऊ है। भिन्नलिंगी लैंगिकता के बारेमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है, उनका जिक्र ही नहीं किया जाता। बढ़ती आबादी पर काबू पाना तथा एचआयव्ही काबू में रखना, इन बातों के कारण लैंगिक शिक्षा का जन्म हुआ। इन दो मुद्दों में लैंगिकता पर काबू पाना यही एक लक्ष्य माना गया है। जब समाज चाहेगा तब ही, समाज को जो कारण मंजूर है, उसी कारण से ही, समाज को मान्य है ऐसे ही व्यक्ति के साथ और समाज जिस तरह से चाहे उसी प्रकार लैंगिक संबंध बनने चाहिए, यह दृष्टि ही इसके पीछे है। लड़के-लड़कियों की लैंगिकता पर काबू रखने के प्रयास में उन के मन में इस विषय का भय पैदा किया गया। आज डर और बहुत सारी गलतफहमीयों पर आधारित लैंगिक शिक्षा दी जाती है। इसमें लैंगिक इच्छा, लैंगिक सुख, उससें संबंधित मानसिक आरोग्य और लैंगिक अधिकार इन महत्त्वपूर्ण पहलूओं का विचार ही नहीं होता। लैंगिकता के इन पायाभूत तत्त्वों से लड़के-लड़कियों को परे रखा गया है। भिन्नलिंगी लैंगिकता की शिक्षा का यह हाल है, तो समलिंगी जीवनशैली जैसी बातें कोसों दूर रह जाती है।

इक्कीसवीं सदी

बीसवीं सदी के अंत मे समाज में बहुत ही तेज गतिसे परिवर्तन आ गया। जागतिकीकरण, तंत्रज्ञान प्रसार माध्यमों का जबरदस्त प्रभाव (दूरदर्शन, इंटरनेट) इन सबसे यह परिवर्तन हो पाया। दुनिया में कही भी छोटी-सी आवाज क्यों न उठे, तुरुंत उसकी गुँज हमतक पहुँचने लगी। समाज से कुछ भी छिपाए रखना नामुमकिन हो गया। सरकारी माध्यमों पर कुछ पाबंदियाँ जरूर है लैकिन निजि चैनेल्स के लिए कोई भी विषय निषिद्ध नहीं था। लैंगिक विषयों से इन चैनेलों ने कभी जी नहीं चुराया। खुले आम लैंगिकता दर्शकों के सामने प्रस्तुत होने लगी।

कोई भी विषय समाज के सामने आना, उसपर वाद-चर्चा होना, सभी पहलुओं पर विचार विमर्श होना, अंतर्मुख होकर उस विषय पर चिंतन करना यह प्रक्रिया समाज के हित में है। परंतु इस मंथन से असुरक्षितता निर्माण होना भी अनिवार्य है। समलैंगिकता के बारे में बस यही होता है। पहले यह विषय बोलचाल का था ही नहीं। अगर कहीं कभी कभार छेड़ा भी गया तो, संबंधित व्यक्ति का मजाक उड़ाना या उसका तिरस्कार करना, इसी तरीके से व्यक्त होता था। आज यह स्थिति थोड़ी-थोड़ी बदलने लगी है। विभिन्न प्रसार माध्यम यह विषय उठाने लगे हैं। कुछ समलिंगी व्यक्ति खुले आम अपनी जीवनशैली जीते हुए दिखाई देने लगे है। उनमें से कुछ

अपने अधिकार तलब कर रहे हैं। इससे हुआ यह है कि लोगों में असुरक्षितता की भावना बढ़ने लगी है। विविध प्रकार से यह असुरक्षितता दिखाई देने लगी है। उदाहरण के तौर पर, दो लडकों ने या दो पुरुषों ने एक दूसरे का हाथ थामे रास्ते से चलना, कंधे पर हाथ रखना, चलते-चलते सहसा दूसरे के कमर में हाथ रखना हमारे समाज में कोई हर्जवाली बात मानी नहीं जाती। यह तो महज एक दोस्ती-भाईचारा व्यक्त करनेवाली बात है। मेरे कुछ अमरिकन दोस्त ऐसे लोगों को देखकर मुझे पूछते-है, "क्या ये सब के सब 'गे' है?" मैं तपाक से उत्तर देता हूँ, "नहीं तो, आपने ऐसा कैसे सोच लिया?" उनका जवाब होता है, "हमारी संस्कृति में समान लिंग के दो व्यक्ति की ऐसी शारिरीक समीपता 'समलिंगी झुकाव' दर्शाती है। एक व्यक्तिने दूसरे समान लिंग की व्यक्ति से कुछ दूरीपर रहना हम ठीक समझते हैं।" यह चाल चलन पश्चिमी संस्कृति का एक हिस्सा है। (यह समाज रचना लँघने का मौका उन लोगों को मिलता है, सिर्फ खेलकूद के मैदान में। एक दूसरे को हाथ लगाना, एक दूसरे पर कूदना जैसी हरकतें सिर्फ उसी जगह हो सकती है। 'मेल बॉडिंग' व्यक्त करने की छूट यहीं पर मिल सकती है।) समलैंगिकता का विषय जब थोड़ा खुलके सामने आने लगा तबसे कॉलेजों में एक अजीब-सी बात देखने को मिली। दो समान लिंग के मित्रों को बाकी के छात्र 'समलिंगी जोड़ी' कहकर उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। इस छेड़ने-चिड़ाने का एक दबाव-सा छात्रों के मन पर छाने लगा कि हरएक का भिन्न लिंग का दोस्त होना अनिवार्य है।

नए/हटके विचार प्रस्तुत होने से थोडी-सी असुरक्षितता निर्माण होना स्वाभाविक है। परंतु जल्द-से-जल्द यह स्थिति बदली नहीं गई, तो आगे चलकर समाज पर इसके विपरीत परिणाम दिखाई देते है। जाने अनजाने में समाज का चाल चलन इन विचारों से प्रभावित होता है और खुदसे अलग (उदा. समलिंगी) व्यक्ति के बारे में द्वेष की भावना बैठ जाती है। समलिंगी व्यक्ति के बारे में रहनेवाला डर तथा उसमे से निर्माण होनेवाला द्वेष होमोफोबिया कहलाता है। समलिंगी व्यक्ति की ओर देखने का समाज का यह नजरिया उस व्यक्ति के लिए अन्यायकारक होता है। चूँकी ऐसा अन्याय न हो, इसलिए इस विषय की विभिन्न विचारधाराओं को समझना निहायत जरूरी है। इससे समाज में फैलनेवाली असुरक्षा कम होने में मदद होगी, तथा समाज अधिक सुदृढ और सहिष्णु बनेगा।

धार्मिक दृष्टिकोन

कई शतकों पहले, विभिन्न कालखंड में, अलग अलग जगहों पर विविध धर्म स्थापित हुए। हर एक के धर्म ने अपने रीती-रिवाज बनाएँ, नीतीमत्ता तय की। संबंधित समाज पर वह रिवाज, नीतीमूल्य लागू हो गए। पुरुष और महिलाओं पर कई प्रकार के बंधन आ गए। इन बंधनों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, लैंगिक संबंधों का नियंत्रण। कौन किसके साथ संबंध बनाए, कब, कैसे, किस प्रकार के संबंध हो, इस बारे में हर एक के धर्म ने अपनी नीति बनाई। उसे उल्लंघना पाप समझा गया। अलग-अलग पाप के लिए अलग-अलग प्रकार के शाप तय किए गए। वक्त के साथ धर्म की अनेक शाखा, उपशाखाएँ उभरती गई और उन शाखाओं ने भी अपने नियम बनाएँ।

अनेक धर्म तथा अध्यात्मिक शाखाओं की नींव है संन्यास और विरक्ति। अपनी इच्छा वासनाओं को छोड़े बगैर, मुक्ति नहीं मिलती, इस प्रमुख विचार पर बहुतांश धर्मों का आदर्श खड़ा होता है। ऐसा माना गया है की लैंगिक सुख का आदान-प्रदान अध्यात्म के मार्ग में बाधा होती है। इसलिए इस पर काबू पाना जरुरी है। परंतु कामवासना पर काबू पाना, उससे कुचल डालना मनुष्य के लिए मुश्किल है, यह बात समझ आने में देर न लगी। दूसरी बात यह भी है कि सभी लोग इसी प्रयास में लग जाए तो मनुष्य जाती समाप्त हो जाएगी। इसलिए इन दो विचारों के बीचोबीच वाला एक दृष्टिकोन तयार हो गया कि लैंगिक संबंध सिर्फ विवाहित जोडों ने, केवल संतती जनने के हेतु ही, अपना कर्तव्य समझकर, करने चाहिए। (लेकिन अपना फर्ज निभाते हुए शरीरसुख का उपभोग न लिया जाए।)

जहाँ भिन्नलिंगी लैंगिक सुख के बारे में इतने नकारात्मक विचार मौजूद है, वहाँ समलिंगी संबंध में नकारात्मक विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। यही कारण है की समलिंगी संबंधों को कोई भी धर्म मान्यता नहीं देता। हर एक धर्म ने समलिंगी संबंधों को पाप की श्रेणी में ढकेला है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो, इस्लाम, ख्रिस्ती इन धर्मों की अपेक्षा हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म इस विषय़ में कुछ हदतक सहिष्णू है। (अर्थात इसका मतलब यह नहीं कि, हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मों ने समलिंगी संबंधों को मान्यता दी है।)

हिंदू धर्म

मनुस्मृति [4]

८:३६९ - अगर कुँवारी स्त्रीने दूसरी कुँवारी लड़की के साथ ऐसा संग किया, तो उसे दो सौ 'पण' दंड फर्माया जाए। उससे शादी में दुगुनी रक्कम वसूल की जाए और उस स्त्री को दस कोड़ों की सजा फर्माई जाए।

८:३७० - अगर कोई प्रौढ स्त्री, कुँवारी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो तुरंत उसके पूरे बाल कटवाए जाए अथवा उसकी ऊंगलीयो में से दो ऊंगलीया काँट दी जाए और गधे पर सवार उसका जुलूस निकाला जाए।

११.६८ - पुरुष ने धर्मगुरु को जखमी करना, मद्य अथवा कोई भी निषिद्ध पदार्थ सुँघना, कपट खेलना, दूसरे पुरुष के साथ लैंगिक संबंध करना, इससे परंपरानुसार वह पुरुष जाती से बहिष्कृत किया जाता है।

११.१७५ - अगर द्विज वर्ण के पुरुष ने अनैसर्गिक लैंगिक दुराचार किया, बैलगाडी में, पानी में दिन-दहाड़े किसी स्त्री से संभोग किया, तो उसने त्वरित सचैल स्नान करना चाहिए।

नारद स्मृति [17]

'पुरुष और स्त्री का नाता' इस विभाग में चौदह प्रकार की लैंगिक विविधताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें समलैंगिकता का अंतर्भाव है। लिखा है की, औरत ने इस प्रकार के (समलिंगी या बाकी दिए गए लैंगिकता के पहलूँओं के) पति को त्यागना चाहिए।

बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म के जो पंचशील है, उनमें तीसरा है- लैंगिक व्यभिचार न करना। [18] यहाँ पर लैंगिक व्यभिचार की परिभाषा स्पष्ट रुपसे दी नहीं गई है। परंतु समलिंगी संभोग तीसरे शील का उल्लंघन माना जाता है।

(१७ जून १९९७ को कुछ 'गे' और लेस्बियन कार्यकर्ताओं को तिब्बत के दलाई लामा जी से मिलकर 'समलैंगिकता और बौद्ध धर्म' इस विषय पर उनसे वार्तालाप करने का मौका मिला था। उस वार्तालाप में दलाई लामा जी ने कहा, कि समलिंगी लोगों का स्वीकार न करना गलत है। उन्हें उनके हक मिलने चाहिए। [19]

जैन धर्म

जैन धर्म केवल विवाह की चौखट में ही स्त्री पुरुषों के लैंगिक संबंधो को मान्यता देता है।

शीख धर्म

जब कैनडा के सांसद में समलिंगी विवाह को मान्यता देनेवाला विधेयक प्रस्तुत हुआ था, तब, 'वर्ल्ड शीख फोरम' के ज्ञानी जोगिंदर वेदांती जी ने शीख कैनेडियन सांसद सदस्यों से आवाहन किया था, की समलिंगी जीवनशैली को आधार देनेवाले कानूनों का विरोध करे। क्योंकि अगर ऐसे कानून अमल में आए, तो शीख समाज समलैंगिकता का शिकार हो जाएगा। [20]

ख्रिस्ती धर्म

बायबल- लेव्हिटिकस [21]

१८:२२ - पुरुष जिस प्रकार स्त्री के साथ सेज सजाता है, उस प्रकार उसने दूसरे पुरुष के साथ नहीं करना चाहिए। यह निंद्य कर्म है।

२०:१३- पुरुष जिस प्रकार स्त्री की शय्या सजाता है, वैसा ही व्यवहार उसने दूसरे पुरुष के साथ किया, तो समझना चाहिए कि उन दोनों ने अत्यंत निंद्य कृत्य किया है (महापाप किया है) और दोनों को मृत्युदंड दिया जाए।

इसके अलावा, 'रोमन्स' (१:२६, १:२७), 'कॉरिनथियन्स' (६:९, ६:१०) टिमोथी' (I १:९, १:१०) में भी समलिंगी संबंध के बारे में नकारात्मक भूमिका अपनाई गई दिखाई देती है।

इस्लाम धर्म

कुराण [22]

४:६ - अगर तुम में से दो पुरुषों ने कामुक कृत्य किया तो दोनों को भी सजा दे दो। उन्हें पछतावा हुआ और वे सुधर गए तो उन्हें बक्श दो। परमेश्वर क्षमाशील और दयालु है।

७:७६ - तुम लोग स्त्री के बारे में काम वासना रखने की अपेक्षा, पुरुषों के बारे में वैसी आसक्ति मन में रखते हो, सच में तुम अधम हो।

२६:१६६ - भगवान ने तुम्हारे लिए बनाई स्त्री को छोड़कर क्या तुम पुरुष के साथ व्यभिचार करोगे? तो फिर तुम महापापी हो।

२७:४८ - तुम जानबूझकर व्यभिचार करते हो स्त्री के साथ संग करने के बजाए पुरुष को अपनाते हो? तो तुम सचमुच में अनपढ़ हो।

इसके साथ 'स्पायडर' (२९:२७) में भी समलिंगी संबंधों को नकारात्मक रुपसे देखा गया है।

हादीथ

हादीथ कई लोगों द्वारा लिखी गई है। सभी लेखकों ने दिए उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करना मुमकिन नहीं। इसलिए उदाहरण के तौर पर 'सूनन अबू दाऊद' हादीथ के कुछ अंश यहा दिए हैं। [23]

३८:४४४७ - अब्दुलसे इल्बा-अब्बास ने कहा, प्रेषित कहते है लॉट के लोगोंने जिस प्रकार का बर्ताव किया, वैसा बर्ताव करते हुए तुमने किसीको देखा, तो जो कर रहा है उसे और जिसके साथ किया जा रहा है, दोनों को भी जान से मार डाला जाए।

३८:४४४८ - अब्दुलसे इब्ल अब्बास ने कहा कि अगर कोई गैर शादीशुदा व्यक्ति गुदमैथुन करता हुआ दिखाई दे, तो उसे पत्थरों से कुचल दिया जाएगा।

धार्मिक परिवेश का परिणाम

जो समलिंगी लड़के-लड़कियाँ धार्मिक परिवेश में बड़े होते है, उनकी मानसिकता पर विपरीत परिणाम होता है। समलिंगी प्रेम, समलिंगी संभोग पाप माना जाता है इसलिए, 'मैं बहुत बुरा हूँ', 'मैं पापी हूँ' ऐसी उनकी धारणा बन जाती है। एक बार यह न्यूनगंड उनके मन में पैदा हो गया, तो फिर, 'मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी यही पात्रता है', इस प्रकार के विचार लड़के-लड़कियों के मन को खाए जाते हैं। ऐसी स्वद्वेष की भावना में एक बार लड़का अटक गया, तो उसे बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। एक लड़के ने कहा, "मेरे परिवार के लोग मेरे समलिंगी होने की बात जानते नहीं। मेरा परिवार बहुत ही धार्मिक है। मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत है और ईश्वर से भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्या करू मेरी समझ में नहीं आता। आखिर यह तो पाप ही है ना?"

समलैंगिकता को कुछ लोग जादूटोना का नतिजा समझते है, तो कुछ लोग उसे पीछले जन्म के पाप का प्रायश्चित मानते हैं। 'यह सरासर विकृति है और हमारे पीछले जन्म का पाप इस जनम में तुम्हारे रुप में हम भुगत रहे है', या, 'गत जनम में तुने बहुत बड़ा पाप किया होगा, इसलिए तुझे इस जन्म में ऐसा शाप मिला है।'

इस तरह के ताने समलिंगी लड़कों को हर कदम सुनने पड़ते हैं। 'इस जनम में भगवान की पूजा-अर्चना करते रहो तो ऐसे गंदे विचार कम होंगे' जैसी सलाह दी जाती है। व्रत, होम-हवन या फिर तावीज वगैरा उपचारों का भी सहारा लिया जाता है। लैकिन इन बातों से कुछ भी नहीं होता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता।

इस बेचारगी से एक अजीब-सा विचार कुछ समलिंगी लोगों को छुता हुआ दिखाई देता है- 'कोई भी ठोस कारण न होते हुए भी मुझे समाज से इतनी अवहेलना मिलती है, इसका मतलब यह तो नहीं, कि मैं अध्यात्म में कुछ आगे निकल गया हूँ? बाकी के लोगों जैसा ही तो मैं भी हूँ, फिर भी इतनी तकलीफ मुझे ही क्यों?मेरी इतनी-सी बात को लेकर समाज मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मुझे इतना दुख भुगतने का कारण यह तो नहीं की मैं इन लोंगों से ज्यादा ईश्वर के करीब हूँ? क्या इसलिए भगवान मेरी इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे है? (ऐसे तर्क मैं अपनी तरफ से नहीं लड़ाता, फिर भी लोगों का ऐसा सोचना मैं समझ जरूर सकता हूँ। वैसे कॉलेज के दिनों मे मैंने भी भगवान के सामने रो-रो कर, 'मुझे बदल डालो' कहकर गिड़गिड़ाता था, यह बात मैं कैसे भूल सकता हूँ?)

कुछ लोग अध्यात्म की शरण जाने की सोचते हैं। इससे पापक्षालन हो जाएगा, ऐसी इच्छाओं से मुक्ति मिलेगी। इस विचार से कुछ समलिंगी व्यक्ति संन्यास लेने का प्रयास करते हैं और फिर मठ, आश्रम, महाराज की तलाश में दर-दर भटकते रहते हैं। मोक्ष की राह उनके मन में उठती रहती है। कुछ लोग समाज कार्य की सोचते है। समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाते-निभाते अपने जीवन का अर्थ खोजते है। श्री अशोक राव कवि जी (संचालक 'हमसफर ट्रस्ट') इस बारे में कहते है, "मैं अध्यात्म सीखने के हेतु रामकृष्ण मठ में दाखिल हुआ। मुझे संन्यास लेना था। मेरे समलिंगी होने के बारे में जब वहाँ पता चला तब स्वामी हर्षानंद जी ने मुझे मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, 'समलिंगी होना एक स्वाभाविक बात है। तुम समगिंली हो। खुद से घृणा मत करो। खुद का स्वीकार करो।' " इतना अमूल्य मार्गदर्शन देनेवाले कभी कबार ही मिलते है।

तुम्हारा लैंगिक झुकाव साया बनकर तुम्हारे साथ रहता है। उसे कुचल डालो, बाहर निकालो, बदल डालो इस हेतु खुद पर उपचार करवाना, खुदपर ही अन्याय बरतना है। जबतक शरीर है, उसकी सारी आवश्यकताएँ उसके साथ बनती रहेगी। जैसे शरीर पानी चाहता है, खाना माँगता है, उसी प्रकार उसे लैंगिक सुख की भी जरूरत है और वह सुख उस व्यक्ति के लैंगिक झुकाव पर निर्भर रहता है। संन्यास

लेने से शरीर की जरुरतें खत्म नहीं होती। आखरी साँसतक वे शरीर के साथ ही रहती है।

लैंगिकता की ओर देखने का हर एक धर्म का तरीका तुलनात्मक रुपसे अलग होता है; फिर भी सभी धर्मो के स्त्री के बारे में होनेवाले विचार, जाति व्यवस्था, लैंगिकता के बारे में जो मत होते है, वे घिसे पिटे, पुराने हो चुके हैं। हजारों साल पहले मनुष्य की खुद के बारे में जो समझ थी और आज जो समज है उसमें बहुत अंतर है। पहले से आज का समाज अधिक अनुभवसंपन्न है, ज्ञानी है। अनेक शतकों से गुजरते हुए समाज में धीरे-धीरे बदलाव आया है। आज का समाज समानता के आधार पर, हर एक व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के सिद्धांत पर खड़े रहने का प्रयास कर रहा है। स्वाभाविक है की हजारों साल पहले के रीती रिवाज, नियम आज के समाज पर लागु हो नहीं सकते। इसलिए धर्म के बनाए हुए नियम, विचारों कों दूर हटाकर आज के ज्ञान-विज्ञान और मानवाधिकारों के आधार पर समलैंगिकता का विचार होना बहुत जरूरी है।

⊙ ⊙

कानून का दृष्टिकोन - धारा ३७७

पुराने जमाने के ब्रिटिश कानून ईसाई धर्म विचार से प्रभावित थे। उस समय समलिंगी संभोग करनेवालों को ब्रिटन में मृत्युदंड दिया जाता था। सतरहावें शतक तक यही स्थिति थी। आगे चलकर समाज बदलता गया। कानून में परिवर्तन होता गया। मृत्युदंड की जगह कैद और जुर्माने की सजा आ गई।

ब्रिटिश राज्य से पहले भारत में कई छोटे-छोटे राज थे। हर एक के अपने अपने कानून थे। आहिस्ता-आहिस्ता ब्रिटिश साम्राज्य फैलता गया और उन्होंने पूरे भारत वर्ष पर कब्जा कर लिया। सारे देश पर एक ही समान कानून व्यवस्था जारी रहे, इस विचार से ब्रिटिश लोगोंने उनके कानूनों के आधार पर भारतीय दंड विधान संहिता का निर्माण किया। १८६० को देश में इसका अमल हुआ। इस कानून की धारा ३७७ के अनुसार समलिंगी संभोग अपराध ठहराया गया।

धारा ३७७ (भारतीय दंड विधान संहिता) [24]

जो कोई, किसी पुरुष, स्त्री अथवा प्राणी के साथ निसर्गक्रम के विरुद्ध, इच्छापूरक संभोग करेगा उसे उमर कैद अथवा दस साल तक की किसी एक प्रकार के कारावास की सजा दी जाएगी। और उसे पैसो में जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

(Note: The offence is cognizable, nonbailable, noncompoundable, and is triable by magistrate of the first class.)

कानून की व्याप्ती

इस कानून के तहत, समलिंगी संभोग करना अपराध है, समलिंगी होना अपराध नहीं। मतलब किसी व्यक्तिने खुले आम वह समलिंगी है ऐसा जाहिर करने से उस व्यक्ति पर, वह समलिंगी है इसलिए कोई गुनाह दाखिल नहीं किया जा सकता। परंतु उस व्यक्तिने समान लिंग के व्यक्ति के साथ संभोग किया तो वह अपराध माना जाता है।

लिंग प्रवेश होना जरूरी है। वीर्यपतन होना न होना कोई मायने नहीं रखता। समलिंगी संभोग करने के उद्देश में अंतर्वस्त्र या लुंगी सिर्फ नीचे खिंचने से ३७७ की धारा लागु नहीं होती। [25]

लिंग प्रवेश करके किया हुआ समलिंगी संभोग धारा ३७७ के तहत अपराध समझा जाता है। संभोग शब्द का अर्थ 'Visiting organism being enveloped by

visited organism' ऐसा लगाया जाता है। [26] इसका मतलब एक व्यक्ति की मुठ्ठी में दूसरे ने उसका लिंग डालना, एक व्यक्ति ने दूसरे का हस्तमैथुन करना अनैसर्गिक संभोग माना जा सकता है। [27]

स्त्री अगर पुरुष ने किसी जानवर से किया हुआ संभोग धारा ३७७ के पात्र होता है।

व्यक्ति की उम्र

सात साल की उम्र तक किसी भी व्यक्ति ने किया हुआ कोई भी उपराध कानून की दृष्टि से अपराध नहीं होता। अपराध की परिभाषा समझने के लिए वह व्यक्ति अपात्र है ऐसा माना जाता है।

आठ से बारह साल की लड़की या लड़के ने किया हुआ अपराध कानूनी तौर पर अपराध समझा जाता है। उसके बारे में 'ज्युवेनाईल कोर्ट' में कानूनी कारवाई होती है। 'मैं जो कर रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था।' इस तरह का बचाव गुनाहगार लड़का या लड़की दे सकती है। परंतु उसके वकील को यह बचाव अदालत में सिद्ध करना पड़ता है।

तेरह से अठारह साल के उम्र के लड़के-लड़कियों ने किया हुआ अपराध कानूनी तौर पर अपराध समझा जाता है। इसपर 'ज्युवेनाईल कोर्ट' में कारवाई होती है। इस उम्रकी लड़की या लड़का, 'मैं जो कुछ कर रहा था, उसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा था', इस प्रकार के बचाव का आधार नहीं ले सकते।

आठ से अठरा साल तक के उम्रके गुनाहगार को जो सजा दी जाती है, वह सख्त नहीं होती। बल्कि अपराधी के पुनर्वसन का सोच विचार करके फर्माई जाती है।

व्यक्तियों में होनेवाले संभोग के प्रकार

योनिमैथुन

अगर किसी पुरुष ने १६ साल से कम उम्रवाली लड़की के साथ योनिमैथुन किया तो वह बलात्कार समझा जाता है। उस व्यक्ति पर धारा ३७५ लागु होती है। (इस बाली उमर में लड़की संभोग को अनुमति देने या न देने की प्रगल्भता नहीं रख पाती। इसलिए संभोग के लिए उसकी अनुमति थी या नहीं यह बात बेमतलब हो जाती है।) अगर किसी पुरुष ने १६ साल या उससे ज्यादा उम्र की स्त्रीके साथ जबरदस्ती

योनिमैथुन किया, (अगर वह स्त्री उसकी पत्नी न हो) तो वह बलात्कार समझा जाता है और पुरुष पर धारा ३७५ लागू होती है।

मुखमैथुन, गुदमैथुन

अगर कोई पुरुष कोई भी उम्र की स्त्री या पुरुष के साथ मुखमैथुन या गुदमैथुन करता है तो वह धारा ३७७ के पात्र होता है। अगर एक स्त्री किसी भी उम्र के पुरुष या स्त्री के साथ मुखमैथुन करती है तो वह धारा ३७७ को प्राप्त होती है।

इस कानून के कारण आनेवाली कठिनाईयाँ

इस कानून की वजह से ब्लॅकमेल, साथीदार की ओर से होनेवाला छल, गुंड/बदमाश लोगों ने किया हुआ लैंगिक उत्पीड़न जैसे अपराध बहुत ही कम मात्रा में पुलिस तक पहुँचते हैं।

ब्लॅकमेलिंग के लिए इस कानून का बेझिझक उपयोग किया जाता है। मानो, एक समलिंगी व्यक्तिने दुसरे समलिंगी व्यक्तिसे लैंगिक नाता जोड़ा। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति दुसरे को ब्लॅकमेल करने लगती है। ऐसे हालात में पुलिस के पास जाना मुश्किल होता है। वह जानता है, कि ब्लॅकमेलर जरूर हवालात में जाएगा लेकिन साथ यह भी डर मन में बना रहता है कि, इस मामले में कहीं मुझपर भी ३७७ लगाया गया तो?

"मैं एक बार ..... जगह रात को पार्टनर ढूँढने गया था। अचानक पीछे से एक पुलिस आ गई। मेरी गर्दन पकड़ के गाली देकर बोला 'तुम जैसे लोगो ने हमारे नाक में दम कर दिया है। थाने पे चल, तुझे अच्छा सबक सिखाता हूँ।' मैं घबरा गया। मेरे घर के लोगों को मालूम नहीं (कि मैं गे हूँ)। छोड़ देने के लिए उसे बहुत मनाया। वह मुझे कुछ दूर ले गया और उसने मुझे उसके साथ मुखमैथुन करने पर मजबूर किया। बाद में मुझे छोड़ दिया। जाते वक्त धमकाया, 'फिरसे इस एरिया में दिखाई दोगे तो खाल उधाड़ के रख दूँगा।' अगर पुलिस कस्टडी में मुझे ले गए, तो वहाँ मेरे समलिंगी होने के कारण मुझपर कितने अत्याचार किए जाएँगे, इस विचार से रोंगटे खड़े हो जाते हैं।"

जिस व्यक्तिने उसे ब्लॅकमेल किया, वह व्यक्ति सादे कपडे पहने हुआ था। क्या वह सचमुच पुलिस था? कैसे पता चले? कभी-कभी डरा-धमका के पैसे, मोबाईल छिना जाता है। शिकायत करे तो किससे?

इस कानून का नाजायज फायदा कुछ चोर भी उठाते है। चोरी करने का उनका अपना तरीका होता है। किसी भीड़ की जगह एकाध पुरुष को इशारा किया जाता है। अगर उसने इंटरेस्ट दिखाया तो उसे बहलाकर विशिष्ट स्थान पर ले जाकर फिर, शोर-शराबा किया जाता है कि, 'इसने मेरा विनयभंग किया है।' तुरंत उसके साथिदार आ टपकते हैं और 'मारो-पिटो साले को- हवालात ले चलो' इस तरह धमकाकर फिर उसके पास से पैसे, सेलफोन, अंगुठी, चेन हड़प की जाती है। चोरों को पक्का पता होता है कि वह व्यक्ति पुलिस में नहीं जाएगा। (इस प्रकार की चोरी करने में कुछ समलिंगी लोग भी शामिल होते हैं।)

कभी कबार समलिंगी पुरुष के साथ जबरदस्ती से गुदमैथून किया जाता है। जबरदस्ती करने वाले की सोच कुछ इस प्रकार की होती है- वह पुरुष जनाने ढंग का है, प्रतिकार करने का दम उसमें नहीं है, ऐसे लोग मन में यही (जबरदस्ती सेक्स) चाहते हैं, इसे ऐसी ही सजा होनी चाहिए- आदि। उन्हें पक्का पता होता है की समलिंगी पुरुष पुलिस ठाने मे कभी भी शिकायत नहीं करेगा। कभी-कभी, ऐसा भी होता है कि, समलिंगी पुरुष से संभोग की मांग की जाती है और अगर समलिंगी पुरुष ने संभोग के लिए ना कहा तो नकार बर्दाश नहीं होता और अपमान की भाव से तिलमिलाकर उस समलिंगी पुरुष पर जबरदस्ती की जाती है। (औरतों के बारे में और समलिंगी पुरुषों के बारे में (खास करके जनाने ढंग के समलिंगी पुरुष) मर्दों की सोच में वैसे कोई फर्क नहीं होता है।) अत्याचार हुआ समलिंगी पुरुष पुलिस से बहुत डरता है। पुलिस अपने साथ कैसे पेश आएगी? अगर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की, तो अत्याचारी की हिम्मत बढ़ती है, और इस प्रकार के अपराध लगातार होते रहने की संभावना बढ़ती है।

बीसवीं सदीतक ब्रिटन में इसी प्रकार की समस्याएँ पाई जाती थी। एक तरफ कुछ लोग समलिंगी लोगों का लैंगिक एवं आर्थिक शोषण कर रहे थे, और दूसरी ओर समलिंगी लोगों को समलिंगी संभोग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता था। सादे कपडों में पुलिस खुद समलिंगी होने का बहाना बनाकर, समलिंगी लोगों को अपने जाल में फँसाते थे और हिरासत में ले लेते थे। इस प्रकार अनेक नामवर लोग इस गिरफ्तारी की लपेट में आ गए। थोड़ेसे जुर्माने से लेकर उमरकैद तक की सजाएँ इन लोगों को फर्माई जाती थी। इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था, न चाहते हुए भी लैंगिक झुकाव बदलनेवाले उपचार जबरदस्ती करवा लेना। (जिससे कुछभी फर्क आनेवाला नहीं था) इन हालात पर जब मीडिया की नजर पड़ी तब समलैंगिकता को

लेकर ब्रिटन में बवंडर खड़ा हो गया। आखिर दिसंबर १९५३ में दो सांसद सदस्यों ने ब्रिटिश सरकार को, एक समिति गठन कराके इस कानून पर पुनर्विचार करने पर बाध्य किया।

वुल्फेंडेन समिति

१९५४ में वुल्फेंडेन समिति की स्थापना हुई। इसके १४ पुरुष तथा ३ महिलाएँ सदस्य थे। इन में धर्मगुरु, मनोवैज्ञानिक, राजकीय नेता आदि थे। समिति के अध्यक्ष सर जॉन वुल्फेंडेन खुद रेडिंग विश्वविद्यालय के उपकुलगुरु थे। तीन साल तक समिति ने इस कानून पर काम किया। धर्मगुरु, पुलिस, मनोवैज्ञानिक, समाज कार्यकर्ता एवं, समलिंगी लोगों से मिलकर इस विषय पर बात की। १९५७ में समिति ने अपना अहवाल प्रस्तुत किया। १४ सदस्यों में से १३ सदस्य मान गए कि समलिंगी संभोग अगर निजी रुपसे होता हो, दोनों की अनुमति से होता हो और दोनों की उम्र अगर २१ सालसे ज्यादा हो, तो वह अपराध माना नहीं जाना चाहिए। (अगर दोनों व्यक्ति सेना में काम करनेवाले न हो तो।)

अहवाल के प्रमुख मुद्दे [28]

वुल्फेंडेन समिति ने जो अहवाल प्रस्तुत किया, उसमें समलैंगिकता का खंडन किया, उसे अनैतिक ठहराया परंतु इसीके साथ समिति ने यह भी कहा कि, समलिंगी संभोग को अपराध मानना उन व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। कानून का काम है समाज व्यवस्था का ढ़ाँचा सँभाल के रखना। नागरिकों को तकलिफ न हो, किसी पर अन्याय, अत्याचार न हो (खास करके दुर्बल लोगों पर) इसके लिए कानून जिम्मेदार होता है। किसी का निजी जीवन कैसा है, अपनी निजी जिंदगी में कौन किस तरह का बर्ताव करता है, इसमें दखल देना कानून का काम नहीं है। कानून को यह अधिकार भी नहीं है। समिति में मात्र एक जेम्स अडैर थे, जिन्हें यह रवैया पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि, समलिंगी संभोग को अगर कानून ने इजाजत दी गई तो समलिंगी लागों को मानो अश्लिल वर्तन की लायसेंस ही मिल जाएगी।

समिति ने समलिंगी झुकाव को बीमारी नहीं माना लेकिन निर्देश दिया की समलिंगी होने के कारणों पर अधिक संशोधन होना जरूरी है।

समिति ने अपने अहवाल में पुरुष वेश्या व्यवसाय पर अधिक कड़े निर्बंध लागू करने की सिफारिश की।

अहवाल पर उठी प्रतिक्रिया

यह अहवाल लोकप्रिय और वादग्रस्त हुआ। बहुत सारे धर्मगुरु, राजनीतिक हस्तियाँ, और अखबारों ने इस अहवाल का खंडन किया। मनोवैज्ञानिक भी नाराज हो गए क्योंकि समिति ने समलैंगिकता को बीमारी कहने से इन्कार किया था। लॉर्ड डेव्हलिन ने इस अहवाल पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि, समाज ने तय की हुई नीतिमत्ता समाज का आधार होता है। समलिंगी संबंधों को अगर मान्यता दी गई तो समाज का आधार ही डावाडोल हो जाएगा, समाज टिक नहीं पाएगा। यह एक खास वजह है, जिसके कारण व्यक्ति के घरेलू व्यवहारों को सार्वजनिक नीति के तहत लाया जाना जरुरी है। (इसका मतलब इस बारे में कानून ने निजी व्यवहार में दखल देनी चाहिए।)

एच. एल. ए. हार्टने लॉर्ड डेव्हलिन के इस मत के विरोध में अपना मत दिया। उनका कहना था कि निजी तौर पर (सहमती से) किए गए समलिंगी संभोग में कानून दखल न दे। वह हर एक की अपनी निजी बात है। [29] (डेव्हलिन के साथ हुए विवाद की पृष्ठभूमि के आधार पर कानून और नीतिमत्ता इस विषय पर हार्ट ने 'लॉ, लिबर्टी अँड मोरॅलिटी' नाम की किताब लिखी) कॅन्टरबारी के आर्य बिशप ने इस विषय पर अपना मत प्रदर्शन करते हुए कहा की, 'हर एक व्यक्ति की अपनी एक निजी जिंदगी होती है। उसकी स्वतंत्रता, उसकी अस्मिता को ठेंस न पहुँचे, इसलिए व्यक्ति की जिंदगी की पवित्रता अबाधित रहना जरूरी है।' इस अहवाल को 'ब्रिटिश मेडिकल असोसिएशन', 'हॉवर्ड लीग फॉर पीनल रिफॉर्म', 'नॅशनल असोसिएशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स' इत्यादी संस्थाओं ने सहमती दर्शाई।

समिति द्वारा कि गई सिफारिशों पर 'हाऊस ऑफ लॉर्डस्' में १९५७ में बहस हुई। उस समय १७ में से ८ लोगों ने कहाँ की, समलिंगी संभोग अपराध नहीं माना जाना चाहिए। परंतु गृहसचिव सर डेव्हिड मॅक्सवेल फेफ इन सिफारिशों से बेहद नाराज थे। इस विषय पर और अधिक अध्ययन की जरुरत है यह रवैया लेकर उन्हो ने इन सिफारिशों को अमल में लाने से इन्कार कर दिया।

'होमोसेक्शुअल लॉ रिफॉर्म सोसायटी' ने १९६० में, इस कानून में परिवर्तन लाने हेतु फिर से एक बार यह प्रश्न उठाया। १९६७ में (वुल्फेंडेन अहवाल के दस साल बाद) सांसद सदस्य लिओ अबसे ने (गृहसचिव रॉय जेन्किन्स और प्रधानमंत्री हॅरॉल्ड विल्सन की अनुमति के साथ) 'सेक्शुअल ऑफेन्सेस' विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। बहुत सारी बहस के बाद, बड़ी मुश्किल से यह विधेयक मंजूर हो गया। [30]

वैसे वुल्फेंडेन समिति का अहवाल बहुत उदारवादी होने का दावा नहीं कर सकता। समलिंगी और भिन्नलिंगी रिश्तों को समान स्तरपर यह अहवाल प्रतिष्ठा नहीं देता, बल्कि समलैंगिकता का इसमें खंडन ही किया गया है। फिरभी इस अहवाल का अपना महत्त्व है। उन दिनों समाज की जो धारणाएँ थी, उनके परिप्रेक्ष्य में, समाज का जो एक दबाव-सा था उसे घास न डालते हुए, समलैंगिकता के बारे में अपने विचार प्रकट करने की हिम्मत इस समिति ने दिखाई। समिति का यह अहवाल महत्त्वपूर्ण साबित हुआ। आगे चलकर १९९४ में समलिंगी संभोग के लिए अनुमति की न्यूनतम उम्र २१ सालसे १८ साल पर आ गई। २००० में १६ सालतक कम कर दी गई। (भिन्नलिंगी संभोग की अनुमति के लिए यही शर्त है।) इ. स. २००० से ब्रिटन में दो समलिंगी व्यक्तियों को कानूनन विवाह (सिव्हिल मॅरेज) करने की इजाजत मिल गई। वुल्फेंडेन समिति ने अपने अहवाल में महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना की, निजी लैंगिक संबंधों की नीतिमत्ता कानून के दायरे से बाहर है, कानून उसमें दखल नहीं दे सकता। यह तत्त्व आगे चलकर अमरिका, कैनड़ा में लैंगिकता से संबंधित कानूनों में परिवर्तन लाने के लिए किया गया।

भारत की ३७७ धारा पर जनहित याचिका

१९८५ के आस पास एचआयव्ही का प्रसार भारत में होने लगा। एचआयव्ही तथा गुप्तरोग पर काबू पाने के लिए जो सरकारी योजनाएँ बनी थी, उनको कार्यान्वित करने में धारा ३७७ बाधा बनी। समलिंगी लोगों के साथ काम करनेवाली जो संस्थाएँ थी उनके कार्यकर्ताओं को समलिंगी संभोग करनेवाले पुरुषों तक पहुँचना मुश्किल हो रहा था। इसका कारण यह था कि, सुरक्षित संभोग के बारे में जानकारी देना, कंडोम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, अपराध (समलिंगी संभोग) करने के लिए बढ़ावा देना है, इस तरह की गलत-सी धारणा कुछ लोगों में बनती दिखाई दी। १९९० के दशक में तिहाड़ के कारावास में समलिंगी संबंध होते हुए एक वैद्यकीय दल की नजर में आ गए। चूँकि असुरक्षित लैंगिक संबंधो से एचआयव्ही का प्रसार तेज गति से होने की संभावना थी, इसलिए कैदियों को कंडोम दिए जाने का सुझाव उन डॉक्टरों ने दिया। तुरुंग की प्रमुख किरण बेदी (आय.जी. तुरुंग) ने इस सुझाव का विरोध किया। कंडोम देने पर समलिंगी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा तथा कंडोम देना, समलिंगी संबंधों को मान्यता देना होगा। इस विचार से डॉक्टरों का सुझाव ठुकराया गया। [31]

इन हालात के कारण धारा ३७७ में बदलाव लाना जरुरी था। 'एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन' (ABVA) ने १९९४ में धारा ३७७ बदल देने के हेतु दिल्ली

न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखल की। [32] परंतु उसपर आगे कुछ न हो पाया और फॉलोअप न होने के कारण वह याचिका खारिज कर दी गई। सात साल के बाद, २००१ में 'नाझ फाउंडेशन, इंडिया' ने, अगर दो प्रौढ़ व्यक्ति (चाहे किसी भी लिंग के हो) अपनी मर्जी से संभोग करते हो, तो उनपर यह कानून लागू नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह' की मदद से नई दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की। [33]

इस याचिका के प्रधान मुद्दे इस तरह के थे-

धारा ३७७ के कारण, भारतीय संविधान की जिन धाराओं का उल्लंघन होता है वह इस प्रकार-

१) अपनी निजी जिंदगी जीने का अधिकार का उल्लंघन- धारा २१ का उल्लंघन- दो व्यक्ति (चाहे किसी भी लिंग के हो) शयनगृह में किस प्रकार के संबंध करते हैं, इसमें सरकार का दखल देना इस अधिकार का उल्लंघन करता है।

२) समान अधिकार का उल्लंघन- धारा १५ का उल्लंघन- यह कानून समलिंगी और भिन्नलिंगी व्यक्तियों में भेद-भाव जताता है।

३) ताकि इस कानून की नजर में समलिंगी संबंध अपराध माने जाते है, इसलिए धारा १९ (१) (a to d) का उल्लंघन होता है।

१९-१ a : इस विषय पर विचार प्रस्तुत करने का स्वातंत्र्य

१९-१ b : इस विषय पर सम्मेलन आयोजित करना, मोर्चा निकालने का स्वातंत्र्य

१९-१ c : इस विषय पर संघटित होना; संस्था, संघटना निर्माण करने का स्वातंत्र्य

१९-१ d : इस विषय से संबंधित कामकाज के लिए घूमने फिरने का स्वातंत्र्य

४) धारा १४ का उल्लंघन- लैंगिक संबंध सिर्फ प्रजनन हेतु से ही रखे जाते हैं, इस कालबाह्य समझ पर यह कानून आधारित है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यह याचिका बरखास्त कर दी। उन्होंने कारण बताते हुए काहा कि, धारा ३७७ के कारण जिस व्यक्ति पर अन्याय हुआ है, खुद उसी व्यक्ति ने याचिका दाखल करनी थी। याचिका खारिज होने के बाद लॉयर्स कलेक्टिव्ह ने समलिंगी लोगों के साथ काम करनेवाली संस्थाएँ और बाकी कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में, इस मामले में आगे

क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा हुई। विचार विमर्श के बाद, जिस व्यक्ति पर ३७७ धारा से अन्याय हुआ है, ऐसी व्यक्ति मौजूद नहीं है यह कारण देकर, क्या यह जनहित याचिका खारिज करना बराबर था? इसी मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना तय हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा ३७७ का मुद्दा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है और इस कारण यह याचिका रद्द नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार घूम फिरकर यह याचिका फिरसे दिल्ली के उच्च न्यायालय में आ पहुँची। इस याचिका पर सरकार की तरफ से इस प्रकार के मुद्दे रखे गए-

१) समलैंगिकता भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। समलिंगी संबंधों को मान्यता देने की भारतीय संस्कृति की इस वक्त मानसिकता नहीं है।

२) समलिंगी संबंधो को मान्यता देने से समाज की नीतिमत्ता बिगड़ेगी।

'नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन' ने इसके प्रत्युत्तर में बताया कि धारा ३७७ एचआयव्ही/एड्स नियंत्रण योजनाओं को अमल में लाने में बाधा डालती है। It is submitted that the enforcement of section 377 of IPC can adversely contribute to pushing the infection underground, make risky

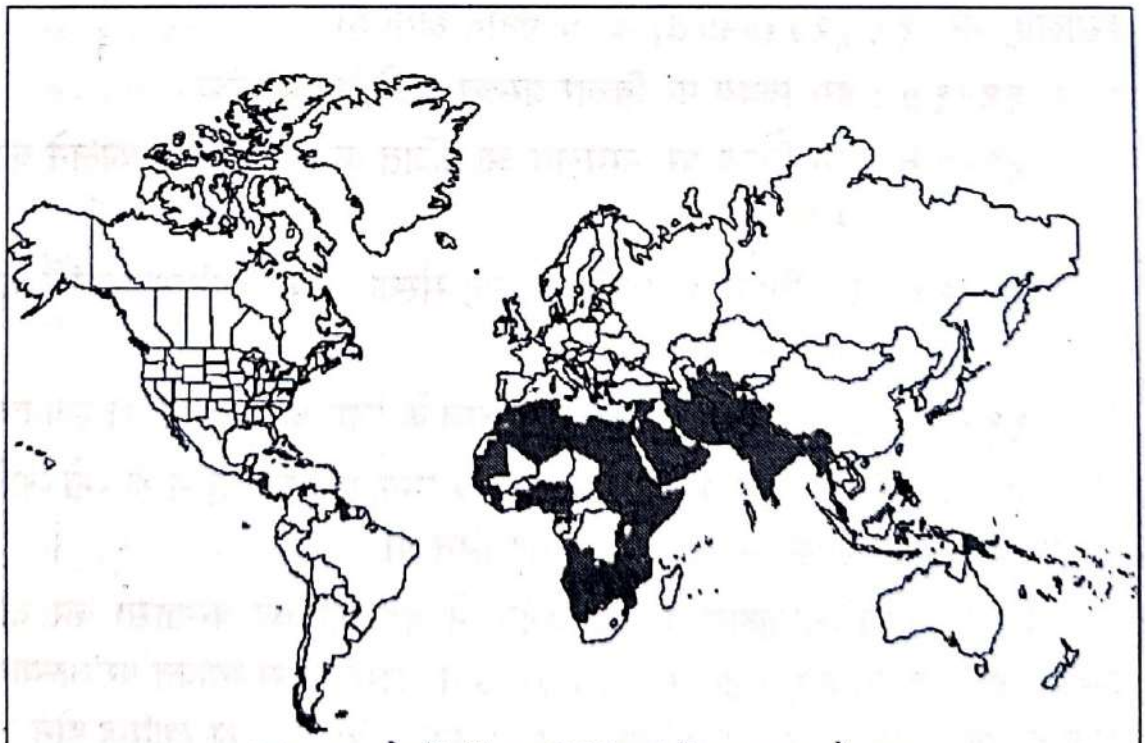

■ इन देशों में समलिंगी संभोग गुनाह है। (२००७)

(Map Source- http://www.sodomy.org)

sexual practices go unnoticed and unaddressed. The fear of harassment by law enforcement agencies leads to sex being hurried, leaving partners without the option to consider or negotiate safer sex practices....."[34]

अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना ने धारा ३७७ बदल देने की पुष्टि की। २००३ में वृंदा करात जी (उस समय 'AIDWA' की सचिव) ने अरुण जेटली जी (उस समय के कानून मंत्री) को इस संदर्भ में एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा, दो प्रौढ व्यक्ति निजी तौरपर अपनी मर्जीसे किस प्रकार के लैंगिक संबंध रखते है, इसमें दखल देने का अधिकार सरकार को नहीं है। यदि सरकार यह मानती है, कि चूँकि समाज इन संबंधों को मान्यता नहीं देता, इसलिए धारा ३७७ बनी रहनी चाहिए; तो गौरतलब बात यह है कि अगर सरकार यही बात पर अड़ी रहती तो महिलाओं के दलितों के अधिकार के जो कानून है, वे बन ही नहीं पाते क्योंकि आज भी दहेज लेना, स्त्री को मारपीट करना, जातीवाद में विश्वास करना आदि बातें हमारे समाज में दिखाई देती हैं। [35]

धर्मनिष्ठ, राजकीय पक्ष समलिंगी संबंधों को मान्यता देने का सरासर विरोध करते हैं। समाजवादी पक्ष इतने खुलेआम अपना विरोध जाहीर नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं की समलिंगी संबंधों को मान्यता देने के लिए वह पक्ष राजी हैं।

३७७ के कारण निर्माण होनेवाले कानून के सवाल

* क्या छोटे बच्चों के लैंगिक शोषण पर अलग कानून होना जरुरी है?

* क्या बिना अनुमति किया गया गुदमैथुन अथवा मुखमैथुन बलात्कार कहलाता है?

* क्या समलिंगी संभोग के लिए सम्मति होना अथवा न होना, दोनो बातों को कानून का एकही मापदंड लागू होना सही है?

* नैसर्गिक संभोग की परिभाषा क्या है? जननेंद्रियों के अलावा शरीर का और कोई अवयव अथवा दूसरी चीज की मदद से किया गया संभोग नैसर्गिक माना जाए? या अनैसर्गिक? कौन-सा संभोग का प्रकार नैसर्गिक माना जाए? कौन-सा अनैसर्गिक? यह कौन और किस आधार पर तय करेगा?

* क्या दो व्यक्तियों का संभोग और एक व्यक्ति और एक जानवर के बीच हुआ संभोग के लिए एक ही मापदंड लागू होना सही है?

* क्या इस कानून के साथ, इस कानून को समांतर जो सेना का कानून है, उसमें परिवर्तन लाया जाए?

छोटे बच्चों का लैंगिक शोषण

छोटे लड़के-लड़कियों के साथ किए गए गुदमैथुन/मुखमैथुन के लिए, अपराधी पर धारा ३७७ लागू की जाती है क्योंकि छोटे बच्चों के इस प्रकार के शोषण के लिए भारतीय दंडविधान संहिता में कोई अलग धारा नहीं है। १९९० से लेकर २००० तक के दस सालों में धारा ३७७ के अंतर्गत जो अपराध सामने आए उनका ब्यौरा इस प्रकार है- पुरुष और स्त्री : १ घटना, दो पुरुष : ३ घटनाएँ, छोटे लड़के-लड़कियों के साथ हुए संभोग की १८ घटनाएँ हैं। [36] यह प्रमाण बताता हैं कि छोटे बच्चों के सभी प्रकार के लैंगिक शोषण के लिए कानून में स्वतंत्र्य व्यवस्था होना जरुरी है।

सम्मति

कानून की नजर में, पुरुष ने स्त्री से जबरदस्ती किया हुआ योनिमैथुन बलात्कार माना जाता है। पति ने पत्नी के साथ जबरदस्ती से किया हुआ योनिमैथुन बलात्कार नहीं माना जाता। साथ ही जबरदस्ती से किए गए संभोग के बाकी प्रकारों को बलात्कार नहीं माना जाता। एक पुरुष ने दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ जबरदस्ती से किए हुए गुदमैथुन या मुखमैथुन को बलात्कार नहीं माना जाता। स्त्रीने दूसरी स्त्री के साथ जबरदस्ती से किया हुआ मुखमैथुन बलात्कार नहीं माना जाता।

जबरदस्ती से किया संभोग केवल लैंगिक कृति नहीं होती है बल्कि दूसरे व्यक्ति की अवहेलना करना, अपमान करना, नीचा दिखाना, उसकी अस्मिता को चोट पहुँचाने वाला कृत्य होता है। जबरदस्ती से किया हुआ किसी भी प्रकार का संभोग एक जघन्य दुश्कर्म होता है। (चाहे वह पुरुष ने स्त्री के साथ किया हो, अथवा पुरुष ने पुरुष के साथ किया हो।) इसलिए जबरदस्ती से किए गए सर्व प्रकार के संभोग को बलात्कार की संज्ञा देना जरुरी है।

बलात्कार की आज की परिभाषा परिपूर्ण नहीं है। उसमें सुधार होना निहयत जरुरी है। बलात्कार की परिभाषा बदली जाने के हेतु 'साक्षी' नामक संस्था ने दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। [37] इसपर मतप्रदर्शन करते हुए सरकार ने कहा कि धारा ३७५ परिपूर्ण है, समझने में आसान है। अगर इस धारा का विस्तार किया गया तो, गडबड़ हो जाएगी। बाकी के अपराधों के लिए

(उदा. जबरदस्ती से किया गया गुदमैथुन) ३७७ धारा मौजूद है। सरकार के इस कथन को न्यायालय ने सर आखों पर लिया। सरकारी पक्षने व्यक्त किए मत कहातक उचित है, इसपर विचार होना आवश्यक है।

बाकी अवयव/कृत्रिम चीज का उपयोग

व्यक्ति के जननेंद्रिय छोड़कर बाकी शरीर का कोई भी अवयव या कोई कृत्रिम वस्तु जबरदस्ती से दूसरे के जननेंद्रियों में डालना बलात्कार ही समझा जाना चाहिए। जननेंद्रियों के अलावा बाकी अवयव अथवा दूसरी वस्तू की मदद से खुद को दिया लैंगिक सुख अपराध नहीं माना जाना चाहिए। जननेंद्रियों को छोड़कर बाकी अवयवों से अथवा कृत्रिम चीज की मदत से दो प्रौढ व्यक्तियों ने सम्मति से किया हुआ संभोग अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

लॉ कमिशन

लॉ कमिशन के १७२ वे अहवाल ने सुझाव दिया कि धारा ३७५ का दायरा बढ़ाकर उससे लैंगिक अत्याचार की एक नई धारा बनाई जाए ताकि बलात्कार के अपराध के साथ बाकी लैंगिक अत्याचार भी इस धारा के तहत आ सके। खास करके उसमें बिना अनुमति किया गया योनीमैथुन, मुखमैथुन और गुदमैथुन तथा कृत्रिम चीज की मदद से किया गया संभोग इस धारा की परिप्रेक्ष्य में आ जाने चाहिए। उसीके साथ, लॉ कमिशन ने धारा ३७७ रद्द करने का सुझाव दिया। [38] यह नई परिभाषा लिंगभेद नहीं मानती (स्त्री और पुरुष दोनों को समान मानती है) तथा इस नई परिभाषा में भी पतिने पत्नी की अनुमति बिना उसके साथ किया हुआ संभोग अपराध नहीं मानती इन कारणों से कुछ स्त्रीवादी संघटनों ने इस नई परिभाषा का विरोध किया।

नैसर्गिक और अनैसर्गिक संभोग

कानून की तहत, गुदमैथुन और मुखमैथुन को अनैसर्गिक माना जाता है। प्रश्न है कि, किस संभोग को नैसर्गिक माना जाए? क्या सिर्फ बच्चे जनने के लिए किया गया संभोग नैसर्गिक है? जो अवयव हमें जिस कारण निसर्ग ने दिए हैं, उनका उपभोग, क्या उन्हीं कारणों के लिए करना नैसर्गिक कृति कहलाता है? क्या निसर्ग में जिस प्रकार के लैंगिक संबंध दिखाई देते है, उन्हें नैसर्गिक कहा जाए? जो भावनाएँ हम पैदाईशी पाते हैं, वह नैसर्गिक समझी जाए?

प्रजनन

क्या लैंगिक संबंध सिर्फ बच्चे जनने के हेतु ही रखे जाते हैं? क्या प्रेम, अपनापन, लगन, इन मानवी भावनाओं का संभोग से कुछ संबंध नहीं? हर बार संबंध अगर सिर्फ बच्चें की इच्छा से ही होने लगे तो फिर कंडोम की क्या जरूरत है? अपने जीवनसाथी को आनंद, प्रेम, सुख देना लैंगिक संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश है। किसी कारण अगर भिन्नलिंगी पति-पत्नी बच्चा जनने में सक्षम न हों अथवा दोनो बच्चा चाहते न हो तो क्या उनके लैंगिक संबंध बेमतलब हो जाते हैं? उन्होंने साथ रहकर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए? किसी लैंगिक रिश्ते में प्रजनन संभव नहीं है, इस कारण से उन्होंने प्रेम करना, शरीर सुख का आदान-प्रदान करना गलत/व्यर्थ है, इस तरह का निष्कर्ष निकालना गलत है।

प्रकृति ने जो अवयव जिस हेतु दिए हैं, उन्हें उसी कारण से उपयोग में लाना

कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है कि प्रकृति ने मनुष्य को जो अवयव जिस हेतु दिए है, उनका उपयोग उसी हेतु किया जाना चाहिए। परंतु असल में हम शरीर के अनेक अवयव अनेक कारणों से काम में लाते है। मुँह से हम खाते है, बोलते है और चुंबन लेते है। हाथों की ऊँगलियों से हम अनेक काम करते है। उनका उपयोग खुदको शरीर सुख देने के लिए भी किया जाता है।

प्रकृति में पाए जानेवाले लैंगिक संबंध

मनुष्य के अलावा प्राणि जातियों के लैंगिक जीवन का भी अभ्यास किया गया है। शुरु का यह अभ्यास पूर्वदूषित था, उनके सर्वेक्षण पक्षपाती थे। प्राणि, पंछियों के समलिंगी जोड़े जब संभोग करते देखे गए, तो अभ्यासकों ने लिखा की वे खेल रहे है, या आगे की भिन्नलिंगी जिंदगी की तैयारी कर रहे हैं। पूर्वदूषित दृष्टि से निकाले गए उनके अनुमान आगे चलकर सरासर गलत साबित हुए। जब अभ्यासकों ने अपनी पूर्वदूषित दृष्टि त्याग कर खुले दृष्टिकोन से प्राणिजगत का निरीक्षण किया तब प्राणि जगत के लैंगिक जीवन के अनेक पहलू सामने आए। निसर्ग में सिर्फ भिन्नलिंगी संबंध, रिश्ते होते हैं, यह गलतफहमी दूर हो गई। अनेक प्राणि जातियों में समलैंगिकता तथा उभयलैंगिकता के दर्शन अभ्यासकों को हो गए। चिपांझी, गोरिला, हनुमान लंगूर, बॉटल नोज डॉल्फिन, ग्रे व्हेल, ग्रे सील, सफेद पूँछवाला हिरन, हाथी, बकरी, शेर, चिता, अमरिकन बायसन, ग्रेलॅग गुस, मॅल्र्ड बदख, रिंग बिल्ड गल, फ्लेमिंगो, पेग्विन, पाईड किंगफिशर आदि प्राणियों में समलैंगिकता देखने को मिली है। [39]

प्राणी जगत में समलैंगिकता के अनेक उदाहरण मिलते है। उदाहरण के तौर पर- मॅनहॅटन के 'सेंट्रल पार्क' प्राणि संग्रहालय में कुछ समलिंगी पेंग्विन्स के जोड़े हैं। उनमें रॉय और सीलो नामके नर पेंग्विन का एक जोड़ा है। उनके घोसले में एक गोल पत्थर रखा गया। तो उन्होंने उसे अंडा समझा और वे उसपर बैठ गए। कुछ दिनों बाद प्राणि संग्रहालय के एक कर्मचारी रॉब ग्रॅमजेने वो पत्थर निकालकर उसकी जगह पेंग्विन का अंडा रख दिया। उसपर भी दोंनो नर बैठे और अंडे से टँगो नाम की मादी पेंग्विन का जन्म हुआ। दोनोंने उसे पालपोसकर बड़ी अच्छी निगरानी में बड़ा किया। [40]

सायमन ली व्हे जी ने लिखा है, कि हनुमान लंगूर जाति के नर और मादा दोनों मे समलिंगी संबंध बहुत मात्रा में दिखाई दिए। दो नर लंगूर एक दूसरे की पूँछ के नीचे वीर्यपतन होने तक लिंग घिसते हुए नजर आए मगर जैसे कुछ जानवरों में दो नर गुदमैथुन करते हुए दिखाई देते है, वैसे यहा इन बंदरों में देखने को नहीं मिला। [41]

प्राणियों में समलैंगिकता होने के बारे में जबतक लोग नहीं जानते थे, तबतक कहा जाता था, 'देखो भाई, इन प्राणियों के समझ में भी जो बातें आती है, वो ऐसे लोगों को समझती नहीं।' अब इस जानकारी के बाद कहा जाने लगा, 'सो तो ठीक है, लेकिन वे ठहरे बुद्धिहीन जानवर। हम तो उन जैसे नहीं है न। फिर हम लोगोंने ऐसा बर्ताव किया, तो जानवरों में और मनुष्यों में फर्क ही क्या रहा।' इस तरह से, दोगली दृष्टि से इस विषय को देखा जाता है।

चुना हुआ विकल्प

कुछ लोगों का मानना है कि समलिंगी आकर्षण व्यक्ति का चुना हुआ विकल्प होता है। परंतु यह मत अक्सर गलत है। समलिंगी झुकाव पैदाई-शी होता है। वह किसीको सिखाया नहीं जा सकता। अब यह आकर्षण पैदाई-शी है, तो समलिंगी संभोग करने की इच्छा होना भी उतनी ही स्वाभाविक बात है। दोनो व्यक्ति प्रौढ हो, तथा दोनों के अनुमति से गुदमैथुन अथवा मुखमैथुन करते हो, तो कानून की दृष्टि से वह अपराध क्यों ठहराया जाता है? इसमें कौन-सा अन्याय हो रहा है? किसके साथ अन्याय हो रहा है?

कुछ लोगों के मनमें एक डर छुपा रहता है, कि अगर सभी लोग समलिंगी हो गए तो समूचे मानव जाति का क्या होगा? इस पर मेरा मत है कि, दुनिया में

बहुत कम लोग समलिंगी होते हैं, कुछ लोग उभयलिंगी होते हैं और बहुत सारे लोग भिन्नलिंगी होते हैं। तुलना में समलिंगी लोगों का समाज बहुत छोटा है। दुसरी बात आज के जमाने में इस बढ़ती बेकाबू जनसंख्या से ही मानव जाति का अस्तित्व धोखे में आ गया है। मजे की बात यह है, कि जब परिवार नियोजन का काम शुरु हुआ तब यही डर व्यक्त किया गया था।

मनुष्य और जानवरों का संभोग

कानून, समलिंगी संभोग और मनुष्य ने जानवर के साथ किया हुआ संभोग, दोनों को एक ही मापदंड से तोलता है। अगर संमति की बात है तो पुरुष वा स्त्री जब किसी जानवर के साथ संभोग करती है, तब जानवर की इजाजत नहीं ले सकते। दो समलिंगी प्रौढ पुरुष/दो समलिंगी प्रौढ महिलाएँ अगर संमति के साथ संभोग करते/करती है, तो उसमें किसी को क्या ऐतराज है? दूसरी बात यह की मनुष्य और जानवर अलग अलग जाति के (Species) है, मगर दो पुरुष या दो महिलाएँ अलग जाति के (Species) कैसे ठहराए जा सकते है? एक पुरुष या एक महिला, दूसरे पुरुष वा महिला को दूसरे जाति का नहीं मानती। इसलिए मनुष्य और प्राणि में होनेवाले संभोग के लिए अलग विचार होना जरूरी है।

इस कानून का समानांतर सेना का कानून

सेना में सेवा करनेवाले अगर समलिंगी आचरण करें तो उनपर मुकदमा दायर होकर, उन्हें कारावास की सजा हो सकती है। [42] समलिंगी व्यक्ति अगर सेना में दाखिल हुए तो सैनिकों का मनोबल ढहेगा, यह डर इस के पीछे छिपा हुआ रहता है। समलिंगी व्यक्तियों को सेना में प्रवेश न देने का कानून ब्रिटन नें भी था। लेकिन इससे समलिंगी लोगों पर अन्याय होता है, इस विचार से २००० में यह कानून बदल दिया गया। अब ब्रिटन में समलिंगी लोगों को सेना में प्रवेश मिलता है। [43]

लैंगिक इच्छा तथा प्रेम व्यक्त करने का हर एक का अपना अलग तरीका होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ की, प्रत्येक व्यक्ति ने सभी तरीके अपनाने चाहिए, उनका अनुभव करना चाहिए, हर तरिका हर एक को पसंद आए। लेकिन अगर समाज में कुछ लोगों को समलिंगी संबंध करने की इच्छा हो (या कुछ भिन्नलिंगी लोगों को गुदमैथुन, मुखमैथुन करने की इच्छा हो), तो यह उनकी अपनी निजी बात है। यह दृष्टिकोन कानून और समाज ने अपनाना जरुरी है।

कानून का दृष्टिकोन - समलिंगी विवाह

भारत में विवाह का अर्थ है, धर्म, समाज और कानून ने, दो भिन्नलिंगी व्यक्तियों का स्वीकार किया हुआ लैंगिक रिश्ता। बहुत सारे लोगों के मत में विवाह धर्म से संबंध रखता है। धार्मिक रीति-रिवाज पूरे हो जाने के बाद ही स्त्री-पुरुष में लैंगिक संबंध प्रस्थापित होना अपेक्षित है। भगवान के आशीर्वाद लेकर, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रिया विधिवत पूरी हो जाने से ही विवाह संपन्न होता है।

कोई भी धर्म समलिंगी जीवनशैली को मान्यता नहीं देता। फिर भी कुछ समलिंगी जोड़े शादी के सभी रस्म-रिवाज मनाते हैं, ताकि उनके मन को तसल्ली मिलें।

भारतीय दंडविधान की धारा ३७७ का कानून समलिंगी संबंधों को अपराध की संज्ञा देता है, इसलिए समलिंगी विवाह का अधिकार पाने में यह कानून सबसे बड़ी बाधा है। जबतक इस कानून में परिवर्तन नहीं हो जाता तबतक समलिंगी विवाह का अधिकार दिलवाना या इस दिशा में कुछ करना नामुमकिन है। यह कानून में बदलाव आने के बाद सिविल मॅरेज की माँग करनी पड़ेगी।

विवाह की एक मजबूत नींव हो जिसपर विवाह टिक पाए इस दृष्टि से कानून ने कई अधिकार दिए है, कई नियोजन बनाए है। (उदा. विमा, उत्तराधिकार इ.) समलिंगी विवाह को कानूनन मान्यता न होने कारण अनेक समलिंगी जोड़े विवाह से मिलनेवाले अधिकारों से वंचित रहते है। उदाहरण-

समलिंगी जोड़ा 'परिवार' नहीं कहलाता। उदा. पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युअटी ॲक्ट १९७२- इस कानून की 'परिवार' की जो परिभाषा है, उसमें समलिंगी साथी को कोई स्थान नहीं। [44]

समलिंगी जोड़ो में एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर (डिपेंडंट) नहीं दिखा सकते। उदा. प्रॉव्हिडंट फंड ॲक्ट १९२५- इस ॲक्ट में निर्भर व्यक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसमे समलिंगी साथी का समावेश नहीं होता। [45]

भिन्नलिंगी दंपती को इस परिभाषा के तहत ग्रॅच्युइटी, पी.पी.एफ., जीवन बीमा, वैद्यकीय बीमा जैसी अनेक सुविधाएँ बाकायदा प्राप्त होती है, समलिंगी दंपती को इन सुविधाओं से हाथ धोना पड़ता है।

नामांकन

नामांकन का मतलब है, व्यक्ति के मृत्यु के बाद, उसकी जायदाद जिस व्यक्ति के नामसे नामांकन किया गया हो, उसने कानूनन उत्तराधिकारी को सौंपने की जिम्मेदारी निभाना। Nominee acts as an agent for the legal heirs of the deceased person. नामांकन करना मतलब उत्तराधिकारी बनना नहीं होता। दोनों बातें अलग हैं। स्पष्ट है कि, समलिंगी साथीका नाम नामांकन में दर्ज करने से उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता।

डिप्लोमॅट

समलिंगी रिश्ते के बारे में हर देश के अलग-अलग कानून हैं। उदा. कुछ देश समलिंगी विवाह को इजाजत देते है। ऐसे देश का कोई डिप्लोमॅट अगर समलिंगी हो, और उसकी नियुक्ति भारत में हो जाए, तो इस हालत में उसके समलिंगी साथी को भारत में डिप्लोमॅटिक स्टेटस नहीं मिल सकता। क्योंकि भारत देश इस प्रकार के रिश्तों को स्वीकृती नहीं देता। [46]

बच्चा गोद लेना

अनेक समलिंगी व्यक्ति अपना परिवार चाहते हैं। उनका मन करता है कि अपने बालबच्चे हों। अगर ऐसा समलिंगी व्यक्ति या दंपती बच्चा चाहता है, तो क्या बच्चा गोद लेने का विकल्प उनके लिए मौजूद है?

'त्रिकोण' के संस्थापक अशोक और अरविंद का विवाह

'सेंट्रल ॲडॉप्शन रिसोर्स ॲथॉरिटी' मार्गदर्शिका कहती हैं की, जिन देशों में समलिंगी विवाह को अनुमति है, वहाँ के समलिंगी जोड़ों को भारतीय बच्चे गोद न दिए जाए। [47] वैसे भारत में अकेली स्त्री या अकेला पुरुष बच्चा गोद ले सकता है। लेकिन समलिंगी व्यक्ति के बारे में लोगों के मनमें डर होता है कि, बच्चों को पालपोसकर बड़े करने की जिम्मेदारी 'ऐसे' लोग अच्छी तरह से निभा नहीं पाऐंगे। जहाँ समलिंगी पालक हो, उस परिवेष में बच्चों की परवरिश ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चे गोद देनेवाली संस्थाएँ समलिंगी लोगों को बच्चे देने से कतराते हैं। मुझे एक संस्था से सुनना पड़ा, 'हमें बच्चों का हित देखना चाहिए। अगर समलिंगी व्यक्ति उन्हें गोद लेते हैं, तो निगरानी ढंग से नहीं हो पाएगी। इसलिए हम समलिंगी लोगों को बच्चे गोद नहीं देते।'

'अमरिकन सायकॉलॉजिकल असोसिएशन' इससे विपरीत मत रखती है। असोसिएशन का कहना है कि, 'एक कुशल पालक होना उसके लैंगिक झुकाव पर निर्भर नहीं रहता। गे अथवा लेस्बियन पालक, बच्चों को उतनाही सशक्त, पोषक परिवेश दे सकते हैं, जितनी कि भिन्नलिंगी पालक दे पाते हैं। शास्त्रीय संधान में साफ दिखाई दिया है कि, बच्चों की परवरिश, उनका मानसिक आरोग्य और उनके पालकों का लैंगिक झुकाव इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है, दोनों प्रकार के पालकों के बच्चे समान रुपसे सुदृढ, आरोग्यपूर्ण हो सकते है।' [48]

समाज में हर तरह के लोग होते है, जिम्मेदार भी- गैर जिम्मेदार भी। गोद देते समय, उस व्यक्ति या दंपती के बारे में पूरी जानकारी होना, उनकी आर्थिक, धार्मिक, लैंगिक, सामाजिक, कानूनी तथा वैद्यकिय पृष्ठभूमी पर विचार करना गोद देनेवाली संस्था की जिम्मेदारी है। लेकिन चूँकि गोद लेनेवाला समलिंगी है सिर्फ इसलिए उसे बच्चा गोद देने से इन्कार करना, यह उस व्यक्ति और एक अनाथ निराश्रय बच्चे के साथ निहायत नाइन्साफी है।

कुछ समलिंगी लोग अपनी लैंगिकता छिपाकर बच्चा गोद लेने की कोशिश करते है। इसमें बहुत सारे खतरे रहने की संभावना है। झूठ बोलकर अपनी जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू छिपाकर, जिंदगी भर झूठका ही दामन थामने की नौबत आ सकती है। इसमें ब्लॅकमेल होने का खतरा भी रहता है।

इसका विकल्प है- 'फॉस्टर पालक' बनना। डॉ. राज राव जी (पुणे विश्वविद्यालय, अंग्रेज़ी शाखा) का अनुभव विचार करनेलायक है- डॉ. राव कहते है, "मैं एक बच्चे का 'फास्टर पालक' हूँ। उसकी शिक्षा तथा विकास का जिम्मा मैंने लिया है। यह बच्चा

मैंने कानूनन गोद नहीं लिया है। अपने पास बहुत सारा पैसा हो, उच्च शिक्षा हो, अच्छा स्वभाव, अच्छी चालचलन होने के बावजूद भी हम बच्चा गोद नहीं ले सकते। असल में बात यह है, कि भिन्नलिंगी लोगों की अपेक्षा हम लोग बच्चों की परवरिश और अधिक अच्छी तरह से कर सकते है। बच्चों का महत्त्व, उनका मोल हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि समलिंगी संबंध में हम बच्चे जनने में असमर्थ है, इस बात का एहसास हमें रहता है। समाज ने इस दृष्टि से हमारी तरफ देखना चाहिए, पर हमारी बदनसिबी ऐसा अक्सर होता नहीं।''

⊙ ⊙

वैद्यकीय दृष्टिकोन- प्राथमिक जानकारी

लैंगिक कल (Sexual Orientation)

बच्चे जब जवान होने लगते हैं, तब उनमें विविध मानसिक तथा शारिरीक परिवर्तन होने लगते हैं। पाठशाला में या पड़ोस में रहनेवाला कोई खास अच्छा लगने लगता है। उसके बारे में अपनापन बढ़ता जाता है। और धीरे धीरे उसके, साथ शरीरसंबंध करने की इच्छा जागृत होती है।

बालिग होते समय बहुत सारे लड़कों का भावनिक और लैंगिक आकर्षण सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। वैसेही लड़कियों को लड़कों का आकर्षण होता है। इस तरह भिन्न लिंग के व्यक्ति के बारे में होनेवाला भावनिक तथा लैंगिक आकर्षण भिन्नलिंगी लैंगिक झुकाव कहा जाता है।

कुछ लड़के-लड़कियों को दोनो लिंग के व्यक्तियों की तरफ आकर्षण महसूस होता है। स्त्री-पुरुष दोनों के बारेमें उन्हें भावनिक, लैंगिक आकर्षण होता है। इसे उभयलिंगी लैंगिक झुकाव कहा जाता है।

कुछ लड़के-लड़कियों को सिर्फ उनके लिंग के व्यक्ति के बारे में ही भावनिक और लैंगिक आकर्षण महसूस होता है। इस प्रकार के आकर्षण को समलिंगी लैंगिक झुकाव कहाँ जाता है।

एक सैद्धांतिक संभावना यह भी रहती है कि, किसी एकाद व्यक्ति को स्त्री या पुरुष दोनों के बारे में भावनिक और लैंगिक आकर्षण न हो।

समलिंगी शब्द के बारे में.....

डॉ. भूषण शुक्ल जी का कहना है, "समलिंगी शब्द के उच्चार से लोगों के सामने सिर्फ शारिरीक पहलू आता है। लेकिन असल में प्रेम, स्नेह, अपनापन का परिपूर्ण रिश्ता समलिंगी व्यक्ति भी उतनाही अनुभव कर सकता है, जितना की भिन्नलिंगी व्यक्ति। इसलिए 'समलिंगी' शब्द के बजाए उसका पर्याय ढूँढ़ना चाहिए। मुझे लगता है, समलिंगी की अपेक्षा 'समसुखी' शब्द उचित होगा। समलिंगी कहने से उस व्यक्ति का विचार सिर्फ संभोग के परिप्रेक्ष्य में ही किया जाता है, उसका बाकी व्यक्तित्व, उसकी भाव भावनाएँ उपेक्षित-सी रह जाती है। समसुखी कहने से संभोग का केंद्रबिंदू थोड़ा परे हटकर, लोगों को इस रिश्ते के भावनिक पहलूओं का भी एहसास होगा।"

डॉ. शुक्ल जी की सूचना महत्त्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद मैं इस फैसले पर आया कि समलिंगी शब्द सर्वपरिचित है। यही शब्द का चलन अधिक मात्रा में होता है इसलिए इस किताब में यही शब्द का उपयोग किया जाए। शहरों में समलिंगी लोग 'गे' शब्द का प्रयोग करते हैं। मगर छोटे गावों में यह शब्द प्रचलित नहीं है। आशा है, धीरे धीरे इस ('गे') शब्द का उपयोग बढ़ेगा।

लैंगिक झुकाव और लैंगिक वर्तन (Sexual Orientation and Sexual behavior)

लोंगों के मन में एक गलतफहमी रहती है कि, व्यक्ति का लैंगिक झुकाव जिस प्रकार का है, उसके अनुसार ही व्यक्ति का लैंगिक वर्तन होता है। असल में लैंगिक झुकाव और लैंगिक बरताव दो अलग बातें हो सकती है। यह बात कुछ उदाहरणों के साथ स्पष्ट होगी-

उदाहरण १ - अजय को भावनिक और लैंगिक तौर पर सिर्फ पुरुषों की तरफ आकर्षण है। इसका मतलब अजय का लैंगिक झुकाव समलिंगी है। अजय केवल पुरुषों के साथ ही संभोग करता है। इसका मतलब उसका लैंगिक वर्तन भी समलिंगी है।

उदाहरण २ - सविता भावनिक और लैंगिक दृष्टि से सिर्फ लड़कों की तरफ ही आकर्षित होती है। मतलब उसका लैंगिक झुकाव भिन्नलिंगी है। सविता कॉलेज में पढ़ती है। उसकी क्लास में एक लड़का है जिससे वह प्यार करती है। उसके साथ शरीरसुख का आनंद चाहती है। फिर भी अबतक उसने उस लड़के के साथ शरीरसुख लिया नहीं है। इसका मतलब अभीतक सविता ने भिन्नलिंगी वर्तन किया नहीं है।

उदाहरण ३ - रमेश का लैंगिक झुकाव समलिंगी है। उसने अभीतक किसी पुरुष के साथ संभोग किया नहीं है। समाज के दबाव में आकर उसने एक स्त्री के साथ शादी की और उसके साथ लैंगिक संबंध प्रस्थापित किए। इसका मतलब है रमेश का लैंगिक झुकाव समलिंगी है, तथा लैंगिक वर्तन भिन्नलिंगी है।

हर व्यक्ति का एक लैंगिक झुकाव रहता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके लैंगिक झुकाव जैसा ही उसका वर्तन हो।

तीसरे उदाहरण में हमने देखा कि, रमेश समलिंगी होकर भी उसका लैंगिक वर्तन भिन्नलिंगी है। वैसे ही भिन्नलिंगी झुकाव के कुछ लोग समलिंगी लैंगिक वर्तन करते हुए देखे जाते हैं। उन्होंने अगर असुरक्षित संभोग किया तो उन्हें एचआयव्ही

बाधित व्यक्ति के जरिए एचआयव्ही की बाधा हो सकती है। इसलिए गुप्तरोग, एचआयव्ही का प्रसार रोकने के लिए इन सब लोगों को सुरक्षित संभोग की जानकारी देना जरूरी है। इसका मतलब, सुरक्षित संभोग के बारे में केवल समलिंगी झुकाव के लोगों को अवगत कराने से काम नहीं बना बल्कि समलिंगी संभोग करनेवाले सभी पुरुषों को सुरक्षित संभोग के बारे में जानकारी देना जरुरी है। इस उद्देश से 'एमएसएम' शब्द चलनमें आ गया। श्एश - शह ैपद र्ग्न ऍौ ग़ शह - पुरुषों के साथ संभोग करनेवाले पुरुषों का समूह। इस गट के अनेक उपगट होते है- समलिंगी, उभयलिंगी, परिस्थितीनुरुप समलिंगी लैंगिक वर्तन करनेवाले, ट्रान्सजेंडर, कुछ इंटरसेक्स व्यक्ति, प्रायोगिक दृष्टि से लैंगिक संबंध करनेवाले।

एम.एस.एम. वर्ग

१. समलिंगी (Homosexuals)

इन लागों को समान लिंग के व्यक्ति की तरफ ही भावनिक और शारिरीक आकर्षण रहता है। समय के साथ इस झुकाव में बदलाव नहीं आता (कोई भी समलिंगी झुकाव से भिन्नलिंगी या उभयलिंगी झुकाव का नहीं बनता), वह झुकाव बदला भी नहीं जा सकता।

- समलिंगी लोगों की शारिरीक रचना बाकी पुरुषों जैसी ही होती है। (वैसे ही समलिंगी स्त्रीयों की शारिरीक रचना बाकी महिलाओं जैसी ही होती है।)

- अधिकांश समलिंगी लोग समाज से डरके मारे अपनी लैंगिकता छुपाते हैं।

- इनमें से कुछ, शरम के मारे, पुरुष के साथ कभी भी संभोग नहीं करते।

- कुछ सिर्फ पुरुषों से ही संबंध जोड़ते है। उनका लैंगिक झुकाव समलिंगी होता है और लैंगिक वर्तन भी समलिंगी ही होता है।

- कुछ समलिंगी पुरुष, स्त्री के साथ शादी करते है और सिर्फ उसीके साथ संभोग करते है। ऐसे लोगों का लैंगिक झुकाव समलिंगी होते हुए भी लैंगिक वर्तन (मजबूरन) भिन्नलिंगी होता है।

- कुछ ऐसे होते है, जो स्त्रीके साथ विवाह करते है और बाहर अन्य पुरुष साथी के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं। इनका लैंगिक झुकाव समलिंगी है और लैंगिक वर्तन उभयलिंगी होता है। (घर में पत्नी के साथ और बाहर पुरुष के साथ संभोग किया जाता है।)

समलिंगी पुरुष अपने साथी के साथ 'इन्सर्टिव्ह' भूमिका ले सकता है या 'रिसेप्टिव्ह' भूमिका अपना सकता है। अथवा 'व्हर्सटाईल' भूमिका ले सकता है। उसकी मानसिकता, उस व्यक्ति की लैंगिक इच्छा तथा उसका स्वप्नरंजन इन सब बातों पर उसकी भूमिका निर्भर रहती है।

२ उभयलिंगी (Bisexuals)

इन लोगों को स्त्री और पुरुष, दोनो की तरफ भावनिक और लैंगिक आकर्षण रहता है।

- उभयलिंगी पुरुषों की शरीर रचना बाकी पुरुषों जैसी ही होती है। (उभयलिंगी स्त्री की शरीर रचना बाकी महिलाओं जैसे ही रहती है।)

- अधिकांश उभयलिंगी लोग अपनी लैंगिकता जाहीर न करते हुए विवाह कर लेते है क्योंकि उन्हें विरुद्ध लिंग के व्यक्ति का थोड़ा बहुत आकर्षण रहता है।

कुछ लोग कहते है, कि सभी उभयलिंगी व्यक्ति असल में समलिंगी प्रवृत्ति के होते हैं, तथा उभयलिंगी होने का ढ़ोंग करते हैं। यह सही है कि कुछ समलिंगी व्यक्ति उभयलिंगी होने का बहना करते है। लेकिन सभी उभयलिंगी व्यक्ति ऐसे ही होते है- समलिंगी होकर भी उभयलिंगी होने का बहाना बनाते है, यह प्रतिपादन गलत है। कुछ लोग उभयलिंगी झुकाव के होते है और उसमें बिलकुल ढ़ोंग नहीं होता।

३. परिस्थितीनुरुप समलिंगी वर्तन (Homosexual behavior due to circumstance)

कभी-कभी भिन्नलिंगी झुकाव के पुरुषों को विशिष्ट स्थिति में स्त्री साथीदार मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त वह पुरुष जरुरत निभाने के लिए पुरुष के साथ संभोग कर सकता है।

उदा. १ रवि भिन्नलिंगी झुकाव का है। एक अपराध में उसे पाँच साल की सजा हो गई है। कैदखाने में उसे अपनी शारिरीक इच्छा पूरी करने के लिए स्त्री का साथ मिलना नामुमकिन था। इसलिए उसने कैदखाने के दूसरे पुरुष के साथ संभोग किया। इस उदाहरण में व्यक्ति का झुकाव भिन्नलिंगी होने पर भी परिस्थिति के अनुसार उसका समलिंगी लैंगिक वर्तन हुआ है।

उदा. २ सचिन भिन्नलिंगी झुकाव का है। उसकी शादी हो गई है। सचिन को मुखमैथुन बहुत पसंद है लेकिन उसकी पत्नी को मुखमैथुन बिल्कुल अच्छा नहीं

लगता। इसलिए सचिन उसके पहचान के एक पुरुष से मुखमैथुन कराके अपनी इच्छा पूरी कर लेता है। यहाँ सचिन का झुकाव भिन्नलिंगी है, परंतु इस खास परिस्थिति में उसका वर्तन उभयलिंगी बनता है।

४ कुछ इंटरसेक्स व्यक्ति

कुछ इंटरसेक्स व्यक्ति खुद को पुरुष मानते हैं और उनमें से कुछ लोगों को पुरुषों के बारे में भावनिक एवं शारिरीक आकर्षण रहता है।

५ ट्रान्सजेंडर

जो पुरुष खुद को स्त्री समझते है और पुरुषों की तरफ आकर्षित होते है वे भी एमएसएम समूह का हिस्सा माने जाते हैं।

(समलैंगिकता और ट्रान्सजेंडर लैंगिकता के दो पहलू हैं। समलैंगिकता लैंगिक झुकाव का एक प्रकार है तथा ट्रान्सजेंडर लिंगभाव दर्शाता है।)

६. प्रायोगिक लैंगिक संबंध (Experimental Sex)

बालिग हो जाने के बाद, जब शरीरसुख की कामना उत्पन्न होती है, तब प्रायोगिक तरिके से समलिंगी संभोग हो सकता है। उदा. बोर्डिंग स्कूल में, दोस्त के साथ संभोग हो सकता है। यह स्थिति अस्थायी होती है। मतलब इस अधेड उम्र में अगर समलिंगी संभोग हो भी गया, तो इसका मतबल यह नहीं होता कि, वह लड़का या लड़की समलिंगी झुकाव की ही है।

पहला लैंगिक संबंध

किसी व्यक्ति का पहला पहल लैंगिक अनुभव समलिंगी है या भिन्नलिंगी इस बात से उस व्यक्ति का अपना लैंगिक झुकाव तय नहीं किया जा सकता। कुछ पुरुषों का पहला लैंगिक अनुभव भिन्नलिंगी होते हुए भी धीरे-धीरे उनका आकर्षण पुरुषों की तरफ बढ़ता जाता है। एक व्यक्ति ने अपना इस बारे में अनुभव बताते हुए कहा, "कॉलेज के दिनों में मेरी गर्लफ्रेंडस् थी। इन के साथ मैंने रातें गुजारी। पर कैसे हुआ पता नहीं धीरे-धीरे मुझे पुरुषों का आकर्षण महसूस होने लगा। फिर मैंने एक पुरुष के साथ सेक्स का अनुभव किया। उसके बाद मुझे पुरुष ही अब अच्छे लगते है। एक पुरुष मुझे जो सुख दे सकता है, स्त्री नहीं दे पाती।"

इसके विपरीत कुछ भिन्नलिंगी झुकाव के पुरुषों का पहला अनुभव समलिंगी होता है। मगर बाद में उन्हे समलिंगी आकर्षण बिल्कुल ही नहीं रहता। "मैं लड़कों

के हॉस्टेल में रहता था। रुममेट के साथ मैंने बहुत बार सेक्स का अनुभव किया। उस समय मुझे वह अच्छा भी लगता था। परंतु एक समय ऐसा आ गया कि मुझे महिलाएँ ही भाने लगी। अब मैं शादीशुदा हूँ। पुरुषों के बारे में मुझे कतई आकर्षण रहा नहीं है।''

डॉ. अल्फ्रेड किनसे की प्रमाणपट्टी (Dr. Kinsey Scale)

१९४८में अमरिका में डॉ. आल्फ्रेड किनसे ने पुरुषों के लैंगिक वर्तन का एक सर्वेक्षण किया था। उसके विवरण में, अमरिका में कितने लोगों को उभयलिंगी, समलिंगी आकर्षण महसूस हुआ, कितने लोगों ने समलिंगी, भिन्नलिंगी, उभयलिंगी संबंध बनाए, आदि जानकारी प्रसिद्ध की। बाद में ऐसा ही सर्वेक्षण उन्होंने महिलाओं के बारे में भी किया। इस अभ्यास के लिए उन्होंने एक प्रमाणपट्टी बनाई। उसे डॉ. किनसे प्रमाणपट्टी कहा जाता है। इस पट्टी पर ० से ६ तक के सात भाग बनाए गए। ०· मतलब पूर्णत: भिन्नलिंगी और ६ का अर्थ संपूर्ण रुपसे समलिंगी। उभयलिंगी लोगों को १-५ के अंक दिए गए। बहुत सारे लोगों से मिलकर, उनसे बातचीत करने के बाद डॉ. किनसे ने लोगों का इन सात विभागों में वर्गीकरण किया।

इस सर्वेक्षण ने समलैंगिकता और उभयलैंगिकता के बारे में पहली बार लोगों के सामने आँकडे रखे। समलिंगी और उभयलिंगी संबंधों का समाज में मौजूद प्रमाण समाज की अपेक्षा से बहुत ज्यादा देखकर, अमरिकी लोगों की लैंगिकता की धारणाओं पर चोट सी आ गई।

इस सर्वेक्षण कि चिकित्सा करते वक्त उसकी कुछ खामियाँ नजर आई। इसके बाद इस प्रकार के अनेक सर्वेक्षण हुए। विभिन्न प्रकार की आकडेवारी पेश की गई। भारत में भी लैंगिकता पर कुछ सर्वेक्षण हुए है। उनके जरिए समलिंगी लैंगिक झुकाव, समलिंगी लैंगिक वर्तन तथा इस समाज की समस्याओं से लोग परिचित हुए। [49]

अगर अपनी लैंगिकता समाज के नीतिनियमों से हटके है, तो समाज के डर/शरम से अधिकांश लोग अपना लैंगिक झुकाव, वर्तन के बारे में खुले दिल से बोल नहीं पाते। सर्वेक्षण अगर पूर्णदूषित है, तो उससे आनेवाले नतीजे गुमराह कर सकते है। इन सब कारणों से समलिंगी झुकाव, वर्तन आदि की प्रतिशत बताना मुश्किल हो जाता है। फिरभी अंदाजा बताता है कि दुनिया में ३ प्रतिशत पुरुष पूर्णरुप से समलिंगी झुकाव के होते है और १ प्रतिशत स्त्रिया पूर्णत: समलिंगी झुकाव की होती है। [50]

विशेष बात-छोटे बच्चों का लैंगिक शोषण

छोटे बच्चे-बच्चियों का लोगों द्वारा लैंगिक शोषण होने की घटनाएँ समाज में बहुतायत से घडती रहती है। (कई बार शोषण करनेवाली व्यक्ति पहचान की होती है।) लैंगिक शोषण के कई प्रकार है- लैंगिक स्पर्श, लैंगिक अवयवों का प्रदर्शन, मैथुन इ.। शनैः शनैः बच्चे बड़े होने लगते है, तो इस शोषण का उन्हें एहसास होने लगता है। इस उत्पीड़न से उन्हें बहुत-ही मानसिक क्लेश पहुँचते है, कुछ बच्चों की आनेवाली जिंदगी इस अनुभव से प्रभावित होती है।

छोटे बच्चों का लैंगिक शोषण क्यों होता है?

१) कुछ लोग बच्चों की तरफ सिर्फ एक 'सेक्स ऑब्जेक्ट' की दृष्टि से देखते हैं। लैंगिक सुख हासिल करने योग्य एक वस्तु इस नजरिए से उनके साथ यह खिलवाड़ किया जाता है। लालच दिखाकर, लुभाकर कभी डरा-धमकाकर उनका लैंगिक उपभोग लिया जाता है।

२) कुछ लोगों को छोटे बच्चों का लैंगिक आकर्षण होता है। इसे 'पेड़ोफिलिया' कहा जाता है। ऐसे लोगों को 'पेड़ोफाइलस' कहते है। **'पेड़ोफिलिया' और समलैंगिकता का एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है।** दोनो अलग-अलग बातें है। समलिंगी लोगों को छोटे बच्चों के बारे में तनिक भी आकर्षण नहीं होता।

छोटे बच्चों का लैंगिक शोषण कानूनी अपराध है और होना ही चाहिए। (उन नाबालिक बच्चों को उस उम्रमें अगर यह संबंध चाहे अच्छे भी लगे, फिर भी उन संबंधों का मतलब समझने की, उसे अनुमति देने की प्रगल्भता बच्चों में नहीं होती। इसलिए ऐसे संबंधों के लिए उनकी अनुमति है या नहीं यह बात कोई मायने नहीं रखती।)

⊙ ⊙

वैद्यकीय दृष्टिकोन - बीमारी से अलगपन तक

प्राचीन काल में समलिंगी बर्ताव पाप समझा जाता था। उसके बाद समलिंगी बर्ताव कानूनन अपराध माना गया। उन्नीसवीं सदी से इस विषय पर वैद्यकीय दृष्टि से विचार होने लगा। शुरु में डॉक्टरों का मत था कि समलैंगिकता विकृति है और इस मानसिकता को बदलना चाहिए। समलिंगी लोगों का लैंगिक झुकाव बदलने के लिए दवाईयाँ, शॉक थेरपी, मोहिनी विद्या, तथा कौन्सेलींग के उपचार किए जाते थे लेकिन इन उपचारों से तनिक भी असर दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मनोवैज्ञानिक मानने लगे की लैंगिक झुकाव बदला नहीं जा सकता।

एक तरफ समलिंगी व्यक्ति को मरीज समझकर उसपर उपचार किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ समलिंगी कार्यकर्ताओं ने उनके अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ा। उनकी माँग थी कि, समलैंगिकता एक अलगपन है, बीमारी या विकृति नहीं, इसलिए बीमारीयों की सूची से समलैंगिकता हटाई जाए। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उन्हें सफलता मिली। आज 'अमरिकन सायकिॲट्रिस्ट असोशिएशन', 'वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन' जैसी संस्थाएँ समलैंगिकता को बीमारी नहीं मानती।

आकृती १ : वैद्यकीय प्रवास

समलिंगी बर्ताव पाप माना जाता था।
समलिंगी बर्ताव अपराध माना जाता था। (कुछ देशों मे आज भी यह अपराध है)
समलैंगिकता को विकृति माना गया। (१८ वीं सदी)
समलैंगिकता का अभ्यास शुरु हुआ।

समलैंगिकता बीमारी न मानी जाए-
-इसलिए समलिंगी कार्यकर्ताओं का आंदोलन
समलिंगी और भिन्नलिंगी लोगों का तुलनात्मक अध्ययन
स्टोनवॉल का दंगा १९६९
समलैंगिकता बीमारी नहीं-
-अमरिकन सायकिॲट्रिस्ट असोसिएशन १९७३
समलैंगिकता बीमारी नहीं-
-अमरिकन सायकॉलॉजिकल असोसिएशन १९७५
समलैंगिकता बीमारी नहीं-
-डब्लू.एच.ओ. १९८१
समलैंगिकता का विभाजन
इगोसिंटोनिक ——— इगोडिस्टोनिक (ICD10) (F 66.1)

समलिंगी लोगों का लैंगिक झुकाव-
-बदलने की कोशिश

उन्नीसवीं सदी

उन्नीसवीं सदी में मनोवैज्ञानिकों ने समलैंगिकता के प्रकरणों को प्रसिद्धि देना शुरु किया। कुछ व्यक्तियों में समलिंगी आकर्षण क्यों पाया जाता है, इसपर विचार होने लगा। (उन दिनों लैंगिक झुकाव और लिंगभाव (Gender Identity) में फर्क नहीं किया जाता था। आगे चलकर उनका विभाजन हुआ।)

इस विषय को एक नए अंदाज में सामने लानेवाले कार्ल हेन्रिच उलरिच (१८२५-१८९५) खुद जर्मन ज्युरिस्ट थे। समलिंगी थे। गर्भ में बच्चे की जो गठन होती है, वो कुछ अलग तरीके से होने के कारण आगे चलकर व्यक्ति समलिंगी होता है, यह उनका विश्वास था। ऐसे लोगों को समाज ने अपनाना चाहिए, उनकी लैंगिकता समाज ने स्वीकारनी चाहिए, यह उनकी दृढ भूमिका थी।

ऑस्ट्रिया के डॉ. रिचर्ड फ्रायर फॉन क्रॅफ्ट एबिंग (१८४०-१९०२) ने लैंगिकता के विभिन्न पहलूओं का अभ्यास करके 'सायकोपॅथिया सेक्शुॲलिस' नाम का ग्रंथ लिखा। उनके मतसे समलिंगी आकर्षण एक विकृति थी। [51]

ब्रिटिश डॉक्टर हॅवलॉक एलिस (१८६९-१९३९) ने लैंगिकता का अभ्यास करने के बाद 'स्टडीज इन दि सायकॉलॉजी ऑफ सेक्स' ग्रंथ के कुछ खंड लिखे। दूसरे खंड में समलैंगिकता के बारे में लिखा गया है। समलैंगिकता की तरफ उन्होंने कुछ मात्रा में सहिष्णु वृत्ति से देखा। समलिंगी व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर सकता है, अपना कर्तृत्व सिद्ध करने के लिए समाज ने उसे बढ़ावा देना चाहिए, समलिंगी संबंधों को अपराध ठहरानेवाला कानून बदल देना चाहिए यह उनकी राय थी। [52]

डॉ. मॅग्नस हर्चफेल्ड (१८६८-१९३५) ने, १८९७ में बर्लिन में, समलिंगी लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष करनेवाली, दुनिया की पहली संस्था की स्थापना की। उसका नाम था 'Wissenchaftlich humanitares' (Scientific - Humanitarian Committee) फिर १९१९ में उन्होंने लैंगिकता पर संशोधन करने वाली दुनिया की पहली संस्था का निर्माण किया। उसका नाम था, 'Institute for sexual wissenschaft'। डॉ. हर्चफेल्ड समलिंगी थे। समलैंगिकता को एक बीमारी मानते हुए भी, समलिंगी संबंधों को अपराध मानने वाला जर्मन दंड विधान की धारा १७५ का कानून बदलने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। लेकिन नाकामयाब रहे। यह समय था जब हिटलर की पकड मजबूत होती चली जा रही थी। खुद को सर्वश्रेष्ठ आर्यन समझने वाले नाझी, 'समलिंगी लोग अपने उच्चस्तरीय

समाज को लगा हुआ रोग है' इस दृष्टि से देखते थे। उनको जल्द-से-जल्द नष्ट करने की सोच रखते थे। इस पृष्ठभूमि में समलिंगी लोंगो पर अन्याय, अत्याचार होना स्वाभाविक था। १९३३ में 'Institute for sexualwissenschaft' संस्था में आग लगा दी गई। १९३५ में नीस में डॉ. मॅग्नस हर्चफेल्ड का निधन हो गया। १९३३ और ४५ के बीच जर्मनी के हजारो समलैंगिक लोगों को कहर का जुल्म ढानेवाले कॉन्संट्रेशन कैंप में भेजा गया। वहाँ अनेकों की मौत हो गई। इस कैंप में समलिंगी व्यक्ति की पहचान के लिए एक गुलाबी रंग का त्रिकोण उनके कपड़े पर लगाया जाता था। आगे चलकर समलिंगी अधिकारों के आंदोलन में यह गुलाबी त्रिकोण समलिंगी गर्व की निशानी बन गया।

बीसवीं सदी

इस सदी में डॉ. सिग्मंड फ्रॉईडने (१९५६-१९३९) समलिंगी आकर्षण निर्माण होने के कारण ढूँढे। समलिंगी होने के बारे में उन्होंने कई सिद्धांत पेश किए। समलैंगिकता को लेकर डॉ. फ्रॉईड के मन में थोड़ा मनमुराद जरूर था। परंतु इस विकल्प के बावजूद भी उनकी पक्की धारणा थी कि, समलैंगिकता कोई बीमारी या विकृति बिल्कुल नहीं है। समलिंगी पुरुष और स्त्रिया अपनी इस जीवनशैली में अच्छी तरह से जिंदगी बिता सकते हैं।

१९४८ में गोर विडाल ने 'द सिटी अँड द पिलर' नाम की किताब लिखकर अमरिका में खलबली मचा दी। इसी साल डॉ. अल्फ्रेड किनसे का पुरुषों पर किया गया सर्वेक्षण प्रसिद्ध हुआ।

जैसे लोगों का समलैंगिकता के बारे में ज्ञान बढ़ता गया वैसे लोगों के विचार बदलने लगे। १९४२ में, शिकागो में हेन्री गर्बर ने 'सोसायटी फॉर ह्युमन राईटस्' की स्थापना की। यह संस्था ज्यादा टिक नहीं पाई। फिर उसके बाद १९५० में 'मॅटॅचिन सोसायटी' की स्थापना लॉस एंजेलिस में हुई। १९५५ में सॅन फ्रॅन्सिस्को में, कुछ लेस्बियन्स ने 'डॉटर्स ऑफ बिलिटस्' नाम की संस्था स्थापन की। ये सारी संस्थाएँ शुरु में समलैंगिकता को बीमारी ही माननेवाली थी। उनकी धारणा थी कि, समलिंगी होने के कारण हम में शारिरीक और मानसिक तौर पर कुछ कमी होती है, जिंदगी में कुछ अधुरापन रह जाता है। परिपूर्ण जीवन हमें नसीब नहीं हो सकता। इसलिए यह संस्थाएँ लैंगिक झुकाव बदलने के रास्ते खोज रही थी।

कुछ समलिंगी कार्यकर्ताओं की सोच इन सबसे अलग थी। उनमें से एक थे फ्रँक कामेनी। कामेनी ने समलैंगिकता के बारे में सबसे हटके विचारशैली अपनाई।

उनका कहना था की, 'हमें मालूम नहीं होता कि लोग भिन्नलिंगी क्यों होते है। वैसे ही, कुछ लोग समलिंगी क्यों होते है, यह बात हमें मालूम नहीं है। भिन्नलिंगी व्यक्ति के मनमें, मैं भिन्नलिंगी क्यो हूँ यह प्रश्न नहीं उठता। अफ्रिका के लोगों को उनकी त्वचा काली क्यों है यह सवाल नहीं सताता। उन्होंने वे जैसे हे वैसा खुदका स्वीकार किया है। इसलिए मैं समलिंगी क्यों हूँ इस सवाल पर विचार करना जरूरी नहीं।' ऐसे विचारों के कार्यकर्ता समलिंगी अधिकारों के लिए लढ़ने लगे।

१९५० के उत्तरार्ध में इस आंदोलन को एव्हलिन हुकर द्वारा किया गया अन्वेषण लाभदायक हुआ। मनौवैज्ञानिक एव्हलिन हुकरसे उनके पहचान के एक समलिंगी जोड़े ने प्रार्थना की, कि उनकी जीवनशैली का निरीक्षण करने के बाद, अगर एव्हलिन को वे बीमार न लगते हो तो वह इस विषय पर और खोज करे और उसके नतिजे लोगों के सामने रखें। उनकी बिनती के अनुसार एव्हलिन हुकर ने कुछ समलिंगी और भिन्नलिंगी लोगों का परीक्षण किया। क्या भिन्नलिंगी और समलिंगी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में कुछ फर्क है? उनमें कोई अलगपन दिखाई देता है? इस हेतु किए इस अभ्यास से एव्हलिन ने सिद्ध कर दिया कि, अगर मनोवैज्ञानिक कसौटियाँ **बिना किसी पूर्वग्रहदुषित दृष्टि से** उपयोग में लाई गई, तो समलिंगी व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बीमार होता है, यह सिद्ध नहीं हो पाता। [53]

इस अभ्यास से समलिंगी कार्यकर्ताओं का मनोबल, उनकी हिम्मत बढ़ गई। अमेरिकन सायकिॲट्रिस्ट असोसिएशन के सम्मेलन में बाटेबाजी होने लगी। एक सम्मेलन में एक मनोवैज्ञानिक भेस बदलकर उपस्थित हुए और सबके सामने खुले आम उन्होंने बताया कि, 'मैं समलिंगी हूँ। मुझे और मेरे जैसे अनेक मनौवैज्ञानिकों को, सिर्फ व्यावसायिक मान्यता बरकरार रखने के लिए अपना लैंगिक झुकाव और समलिंगी रिश्ते मजबूरन छिपाके रखने पड़ते हैं।'

स्टोनवॉल का दंगा

१९६० के दशक में न्यूयॉर्क शहर के कुछ शराब के अड्डों पर समलिंगी लोग इकट्ठा होते थे। इन अड्डों पर पुलिस की 'रेड' पड़ती थी और समलिंगी लोगों को गिरफ्तार किया जाता था। २८ जून १९६९ के दिन 'स्टोनवॉल इन' नाम के बार पर ऐसे ही पुलिस की 'रेड' होने पर पुलिस का विरोध किया गया। दंगा मच गया। इसे स्टोनवॉल का दंगा कहते है। इस घटना के बाद अमरिका में समलिंगी अधिकारों के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसे बड़ी मात्रा में पुष्टी मिली।

समलैंगिकता के पक्षधर अब विश्वास के साथ कहने लगे की, समलैंगिकता बीमारी नहीं है। प्रतिवाद करनेवालों का मत था, समलैंगिकता बीमारी ही है। जोरदार बहस होती रही और आखिर १९७३ में 'अमरिकन सायकिॲट्रिस्ट असोसिएशन' ने बीमारीयों की सूची से समलैंगिकता हटा दी। (Diagnostic and Statistics Manual III R)

'अमरिकन सायकॉलॉजिकल असोसिएशन' ने १९७६ में घोषित कर दिया कि समलैंगिकता बीमारी नहीं है। असोसिएशन के प्रस्ताव का संक्षिप्त रुप ऐसा है [54] -

निर्णय क्षमता, दृढता, विश्वासार्हता या सर्वसामान्य सामाजिक और उद्योग/व्यवसाय की कुशलता इन सारी बातों में समलिंगी प्रवृत्ति मूल रुप से बाधा नहीं डालती।

'अमरिकन सायकॉलॉजिकल असोसिएशन' आवाहन करती है कि पुराने जमाने से समलिंगी मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ मनोविकृति का कलंक धो डालने में मनोवैज्ञानिक पहल करें।

समलिंगी संबंध रखनेवाले लोगों के साथ, नौकरी, घर, सार्वजनिक निवास और लायसन्स देने में जो भेदभाव किया जाता है, उसके लिए 'अमरिकन सायकॉलॉजिकल असोसिएशन' को खेद है।

सर्वसामान्य व्यक्ति के लिए निर्णय क्षमता, कार्यकुशलता, विश्वासार्हता आदि के बारे में जो कसौटियाँ होती है, उससे अधिक कसौटियों की ऐसे लोगों को जरुरत नहीं है। वैसे ही परस्पर सहमती से, निजी जगहों पर किए गए प्रौढ व्यक्तियों के समलिंगी संबंधों के खिलाफ के संबंधित कानून रद्द कर दिए जाए।

१९८१ में 'वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायज़ेशन' ने समलैंगिकता को बीमारी की सूची में से हटा दिया।

अर्थात इसका मतलब यह नहीं कि, आज पाश्चात्य देशों के सभी मनोवैज्ञानिक इस बात का स्वीकार कर चुके हैं कि समलैंगिकता कोई रोग, बीमारी नहीं। कुछ मनोवैज्ञानिक आज भी समलैंगिकता बीमारी मानते है। कुछ मनोवैज्ञानिकोंने समलैंगिकता दो विभागों में बाँट दी। 'ईगोसिंटोनिक' और 'इगोडिस्टोनिक'। अपनी समलैंगिकता पर जिन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं उन लोगों को 'ईगो सिंटोनिक' कहा जाता है। 'ऐसे लोगों की लैंगिकता बदलने की कोशिश करना जरूरी नहीं,' ऐसा माना

जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते है कि जिन समलैंगिक लोगों को खुद की समलैंगिकता पर क्लेश होते है, जो इस कारण खुदसे नफरत करते है इनकी समलैंगिकता बदलने की कोशिश होनी चाहिए ('ईगोडिस्टोनिक' वर्ग)। ICD 10 में 'ईगोडिस्टोनिक' झुकाव के लिए F 66.1 प्रवर्ग तैयार किया गया। [55] (कुछ मनोवैज्ञानिक इन प्रवर्गों से सहमत नहीं हैं। वे मानते है की सभी समलिंगी बीमार होते हैं।)

भारत की स्थिति

आज के जमाने में भारत में अधिकांश मनौवैज्ञानिक समलैंगिकता को बीमारी मानते है। तथा यह झुकाव बदलना निहायत जरुरी है यह उनकी यकीनन भूमिका है। इस भूमिका के कारण है- संस्कृति का प्रभाव, पुरानी, कालबाह्य हो चुकी शिक्षाप्रणाली, व्यावसायिक दृष्टि वगैरा। मनोवैज्ञानिक भी सनातन, रुढ़ीवादी चौखट में ही पले होते हैं। स्वतंत्र रुपसे विचार करना, नई विचारप्रणाली जाँचने की, परखने की आदत उनमें नहीं है। मेरी संस्था का प्रसार करने के उद्देश से मैं जब मनोवैज्ञानिकों से मिलता था, उन दिनों की बात है- एक मनोवैज्ञानिक ने मुझे पूछा, "इन लोगों को ठीक (भिन्नलिंगी) करने के लिए आप सपोर्ट ग्रुप क्यों नहीं चलाते? वैसे आपकी संस्था तो बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह उलटी दिशा में काम करनेवाली संस्थाएँ भी मौजूद है!" एम.बी.बी.एस. का जो अभ्यासक्रम है, उसकी किताबों में आज भी समलैंगिकता को बीमारी बताया गया है। इसमें व्यवसाय का भी अपना हिस्सा है। कुछ मनौवैज्ञानिक कहते है कि, 'समलैंगिकता के केसेस, हमारे समूचे प्रॅक्टिस का एक छोटा-सा हिस्सा होते हैं।' फिर भी आनेवाले व्यक्ति की तरफ केवल एक ग्राहक की दृष्टि से देखने की वृत्ति कुछ मनौवैज्ञानिक रखते है और उन्हें ठीक करने की बड़ी फीस लेते हैं।

कुछ मनोवैज्ञानिक दोगले होते है। आम लोगों के सामने उदारवादी बनने का ढोंग करके 'यह बीमारी नहीं है' की रट लगाते है। लेकिन अपने क्लिनीक में पेशंट से बातें करते वक्त उनकी भाषा बदलती है। एक 'एक्स-पेशंट' ने इस बारे में बताया कि, "एक मनोवैज्ञानिक ने मुझे बताया कि, 'परीक्षणों से साफ दिखाई देता है कि तुम समलिंगी हो। फिर भी शादी करने में क्या हर्ज है? वैसे शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।' दूसरा उदाहरण- एक मनोवैज्ञानिक ने सलाह देने का दिखावा करते हुए कहा, "देखो अब डब्ल्यू.एच.ओ. समलैंगिकता को बीमारी नहीं समझता। लेकिन जरा सोचो, इस देश में ऐसे रहना तुम्हारे लिए मुमकिन होगा? अगर तुम

चाहोगे, इजाजत दोगे तो ही मैं तुम्हे बदलने की कोशिश करुँगा। अर्थात इसमें सफलता मिलना न मिलना पूरे तौर पर तुम्ही पर निर्भर है। तुमने अगर ठान ली, तो यश मिलेगा। नहीं तो निराश होना पड़ेगा।''

मनोवैज्ञानिकों का एक गट ऐसा भी है, जिसके विचार में समलिंगी झुकाव बदलने का मतलब व्यक्ति को विवाह के लिए सक्षम बनाना। सक्षमता की कसौटी है- समलिंगी पुरुष स्त्री के साथ संभोग कर सके तथा समलिंगी स्त्री पति के साथ होनेवाला संभोग सहने की क्षमता रखे। (माँ-बाप भी अपने लड़के-लड़कियों से यही चाहते हैं।) शादी के बाद समलिंगी व्यक्ति और उसके साथीदार पर क्या बीतेगी, कितनी घुटन उन्हें भुगतनी पड़ेगी, इसकी फिक्र किसी को तनिक भी नहीं रहती। माँ-बाप भी अपने लड़के-लड़कियों की भलाई के नामपर डॉक्टरों के कितने ही घिनौने उपचार कबूल कर लेते हैं।

(जो है ही नहीं वो) बीमारी ठीक करना

इन कोशिशों के (कोशिश नहीं ये तो दरसल अत्याचार होते है।) अनेक प्रकार है।

अ) समलिंगी पुरुष को नग्न पुरुषों के चित्र दिखाना। पुरुष उत्तेजित होते ही उसे शॉक देना। इससे नग्न पुरुष को देखकर समलिंगी पुरुष उत्तेजित होना बंद हो जाएगा। स्त्री के नग्न चित्र उसे दिखाना परंतु शॉक न देना।

ब) समलिंगी पुरुष को नग्न पुरुषों के चित्र दिखाना और उस पुरुष को उत्तेजना आते ही उसे 'नॉशिया' लानेवाली दवाएँ तथा इंजेक्शन देना।

क) कौन्सेलिंग की आड में 'ब्रेनवॉशिंग' करना जैसे-

* भिन्नलैंगिकता भी तुममें कही ना कही छिपी होगी। हम उसे ढूँढ निकालेंगे।
* स्त्री अच्छी होती है, उससे डरने की जरुरत नहीं।
* दो पुरुषों का रिश्ता आधा-अधुरा होता है।
* इस प्रकार की जीवनशैली में तुम्हें कौन-सा सुख मिलनेवाला है?
* उस पुरुष ने तुम्हें बहकाया है। उससे दूर हो जाओ, धीरे धीरे तुम्हें स्त्री पसंद आने लगेगी।
* इस बारे में सोचने का यह वक्त नहीं है। पहले तुम्हारी पढ़ाई पूरी करो। बाद में देखेंगे। अभी ये विचार दबोच डालो।
* तुम्हारे बचपन में तुम्हें किसी ने बहकाया है।

साफ जाहिर है, इसमें से एक भी प्रकार कामयाब नहीं होता। बल्कि समलिंगी व्यक्ति की नैसर्गिक इच्छाओं को धुत्कार ने से उसकी अस्मिता को ठेस पहुँचती है। उसकी जिंदगी बरबाद होती है। और इस बरबादी के लिए जिम्मेदार होते हैं- उसके माँ-बाप, मनोवैज्ञानिक और कौन्सेलर्स।

जहाँ धर्म, कानून, समाज समलैंगिकता की तरफ पाप, बीमारी, विकृति की नजर से देखता है, समलिंगी संबंध जहाँ अपराध माने जाते हैं, ऐसे परिवेश में रहनेवाला व्यक्ति 'इगोडिस्टोनिक' होना स्वाभाविक बात है। मैं भी ऐसा ही था। लेकिन जब मुझे मेरे जैसे कुछ लोग मिले, मैं बीमार नहीं हूँ इस बात का यकीन हो गया तब मैं 'ईगोसिंटोनिक' बन गया। मैंने खुद का स्वीकार कर लिया और इस बात का पक्षधर बन गया कि 'इगोडिस्टोनिक' कॅटॅगरी के लोगों का लैंगिक झुकाव बदलने की कोशिश करने की मनोवैज्ञानिकों की नीती बस एक पाखंड है और कुछ नहीं। गौरतलब बात है कि, समलिंगी पुरुष को 'बदल'कर उसके साथ अपनी बेटी की शादी करानेवाला मनोवैज्ञानिक मैंने आजतक कहीं नहीं देखा।

संवेदनशील मनोवैज्ञानिक

समलैंगिकता के बारे में उदारवादी दृष्टि रखनेवाले मनोवैज्ञानिक कम मात्रा में पाए जाते हैं। समलिंगी व्यक्ति को वे स्पष्टत: बता देते है, 'समलैंगिकता कोई बीमारी या रोग नहीं है। समाज इसे बिमारी मानता है, और इस आईने में खुद को देखकर तुम्हें तुम्हारी तस्वीर बीमार जैसी लग रही है। चूँकि तुम बीमार नहीं हो, इसलिए तुम्हारे इलाज का सवाल ही नहीं उठता। कोई लोग बाए हाथ से लिखते हैं, कोई दाहिने हाथ से, कोई दोनों हाथों से लिख सकते हैं, तुम्हारी बात कुछ ऐसी ही है। इसमें भले-बुरे होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। ९५ फीसदी लोग संत्रा पसंद करते हैं, ५ फीसदी लोगों को सेब पसंद है। मगर इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता न, कि ५ प्रतिशत लोगों की पसंदगी कम दर्जा की है। बस वह कुछ अलग है, इतनाही कहा जा सकता है।' ऐसे लड़के-लड़कियाँ खुद का स्वीकार करें और उनके माँ-बाप को समझाने के लिए उदारवादी मनोवैज्ञानिक मदद करते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक, 'कुछ भी करो मगर मेरी बेटे/बेटी को बदल कर रखो' इस प्रकार की जिद करनेवाले माँ-बाप को निकाल बाहर भी करने में हिचकिचाते नहीं।

डॉ. भूषण शुक्ल जी का कहना है, "मैं खुद इस मामले में Person centred approach का आधार लेता हूँ। मेरे पास आए हुए ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले इगोसिंटोनिक और इगोडिस्टोनिक का सही अर्थ और दोनों मे जो फर्क होता है, उसे

समझाता हूँ। अगर क्लाईंट को उसकी समलैंगिकता के कारण परेशानी हो, तो उसकी वजह ढूँढ़ निकालना और उसका निराकरण करने के मार्ग सोचना जरुरी होता है। खुद को बदलने की अपेक्षा (जो वास्तव में नामुमकिन है) क्लाईंट खुद का स्वीकार करे, अपनी लैंगिकता के साथ खुद को अपनाना सिखे यह मेरा प्रमुख सूत्र होता है। This usually works for the client कुछ अड़ियल माँ-बाप होते हैं, बच्चे को सुधारने की जिद करते हैं। लेकिन ऐसे माँ-बाप ज्यादा समय टिक नहीं पाते। क्योंकि जल्द ही उनके समझ में आ जाता है कि उनके बच्चे का मैं कोई भी इलाज करनेवाला नहीं। वैद्यकीय शिक्षा में इस विषय के बारे में संवेदनशीलता जताना सिखाया नहीं जाता। स्वाभाविक है, समलैंगिकता की तरफ संवेदनशील दृष्टिकोन रखना, अपनी मानसिक उन्नती पर निर्भर रहता है।" [56]

डॉ. संज्योत देशपांडे जी कहती है, "इस विषय का शास्त्रीय दृष्टिकोन कहता है कि होमोसेक्शुॲलिटी पैदाई शी प्रवृत्ति है। जैसे व्यक्ति के रंगरुप के बारे में हमें उलझन नहीं होती- यही सहजता समलैंगिकता के बारे में लोगों के मनमें होनी चाहिए। Its a away of one's life [57]

प्रसार माध्यमों का दृष्टिकोन

समलैंगिकता के बारे में नफरतभरी विचार प्रणाली विभिन्न माध्यमों से प्रकट होती रहती है। विभिन्न माध्यमों से लोग समलैंगिकता के बारे में द्वेष भरी भावनाएँ व्यक्त करते रहते है। दूसरों पर इसका क्या असर होगा; इस बात का लोगों को अंदाजा नहीं होता। ऐसे में जाने अनजाने में हम अपने ही मित्र, रिश्तेदार, पहचान के लोगों पर अन्याय करते हैं।

करीब पंद्रह साल पहले का जमाना था जब समलैंगिकता पर बोला ही नहीं जाता था। अगर कहीं इधर उधर थोड़ा-सा पढ़ने का मौका मिला, तो वह लिखावट पूर्णत: नकारात्मक ही होती थी। इस विषय पर कुछ संवेदनशील साहित्य पढ़ना हो तो विदेशी किताबों का मुँहताज होना पड़ता था। यह किताबें, पत्रिकाएँ विदेश से मँगानी पड़ती और इसमें बहुत सारी कठिनाईयाँ होती थी। कस्टमस् ॲक्ट १९६२, आय.पी.सी. २९२ के तहत अश्लिल साहित्य लिखना, छापना, वितरित करना अपराध माना जाता है। किस प्रकार के साहित्य को अश्लिल माना जाए इसकी हर एक की अपनी अलग कसौटी होती है। उदा. १९९७ अक्तूबर का 'त्रिकोण' पत्रिका का अंक कोलकाता के कस्टम्स डिपार्टमेंटने जब्त किया था। [58]

बीसवीं सदी के आखिरी काल में, इस स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अंग्रेजी अखबारों में, पत्रिकाओं में समलैंगिकता के विषय को थीड़ी-सी जगह मिलने लगी। अर्थात जो कुछ लिखा जाता न अभ्यासपूर्ण होता था, न संवेदनापूर्ण। सामाजिक चौखट लांघना इतना आसान नहीं था। (कुछ समलिंगी व्यक्ति खुद समलैंगिकता के विरोध में लिखते थे। उनकी आत्मग्लानी इस तरह व्यक्त होती थी।) लंबे समय तक यही नकारात्मक दृष्टि रही क्योंकि जिन्होंने अपनी लैंगिकता का स्वीकार किया है, उन्होंने 'आऊट' होकर अपनी हिमायत करने की हिम्मत जुटाई नहीं।

एक्कीसवी सदी में अंग्रेजी अखबार समलैंगिकता की तरफ सहिष्णु नजर से देखने लगे। मराठी, हिंदी वृत्तसृष्टि में अभी अभी यह विषय झाँकने लगा है। समलिंगी कार्यकर्ताओं को अपनी सुनाने का थोड़ा मौका मिलने लगा है।

अखबार/पत्रिका

१९८०-९० के दशक में, भारत में समलैंगिकता के विषय पर कुछ पत्रिकाएँ छपने लगी। उदा. 'प्रवर्तक', 'सेक्रेड लव्ह' आदि। समलिंगी समाज उसे चोरी छिपे

पढ़ता था। परंतु अधिकांश समलिंगी समाज इनसे परिचित नहीं था। आगे चलकर अमरिका में भारतीय वंश के लोगों द्वारा संचालित 'त्रिकोण' संस्था 'त्रिकोण' नाम की त्रैमासिक छापने लगी। लेकिन चूँकि इसका प्रकाशन अमरिका में होता था, इसलिए यह पत्रिका भारतीयोंतक पहुँचना मुश्किल था। १९९० में भारत में, अशोक राव कवी जी ने समलिंगी लोगों के लिए, 'बॉम्बे दोस्त' नाम की पत्रिका का प्रकाशन शुरु किया। २००९ में 'द क्वीयर क्रॉनिकल्स' नाम का इ-मॅगेझीन शुरु हुआ।

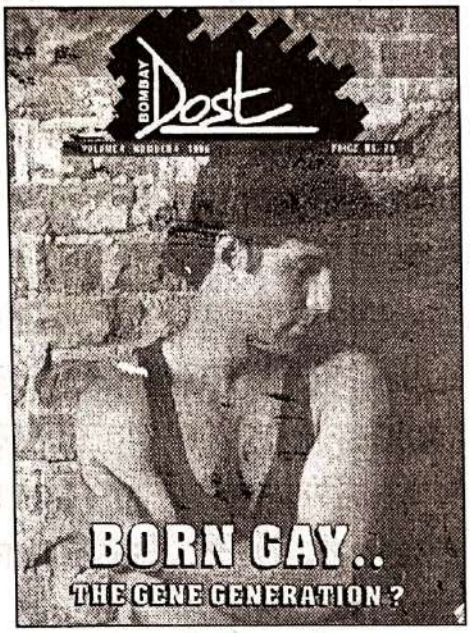

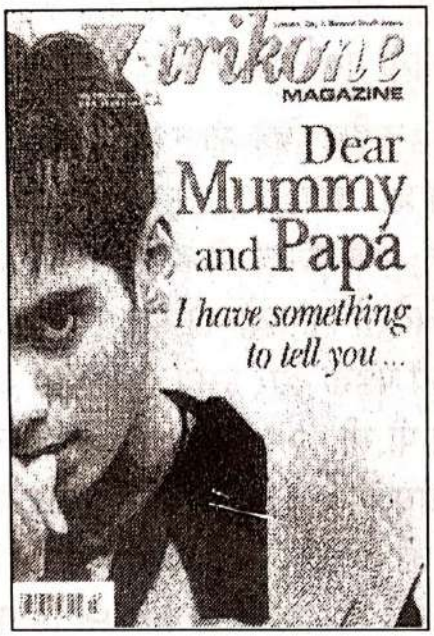

भाषा

समलैंगिकता पर लिखा हुआ अधिकांश साहित्य अंग्रेजी में लिखा हुआ है। (उदा. सुनीती नामजोशी, होशँग मर्चंट, गीती थदानी, अश्विनी सुखथनकर, रुथ वनिता, हनिफ कुरेशी, सलीम किडवाई, महेश दत्तानी आदि लेखक अंग्रेजी में लिखते हैं।)

अधिकतर भारतीय सिर्फ अपनी स्थानिक भाषा ही जानते है। इसलिए विभिन्न विचार स्थानिक भाषा में लोगों के सामने आना जरुरी है। नहीं तो, विचारों का लोगोंतक पहुँचना असंभव होगा और समलैंगिकता सिर्फ एक 'इलिटिस्ट' विषय बन कर रह जाएगा। मराठी, हिंदी में समलैंगिकता पर बहुत ही थोडा लिखा गया है। इसमें भी कई कुछ द्वेष से लथपथ है।

पिछले दस सालों में, मराठी में प्रकाशित हो चुके कुछ उपन्यासों का समलैंगिकता की ओर देखने का नजरिया बहुत कुछ संवेदनशील, सहिष्णु दिखाई देता है। उदाहरण की तौर पर 'तृष्णा' (लेखक-सुमेध रिसबूड-वडावाला), 'हे दुःख

कुण्या जन्माचे' (मंगला आठलेकर), 'पार्टनर' (बिंदुमाधव खिरे), 'कोबाल्ट ब्लू' (सचिन कुंडलकर) आदि का उल्लेख किया जा सकता है।

स्थानिक भाषा का साहित्य शायद ही लैंगिकता की दृष्टि से पढ़ा गया है। सलीम किडवाई ने इस बारे में कहा कि, "गे विषय के बारे में मैं खास कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात सच है कि प्राय: सभी स्थानीय भाषाओं में 'क्वीअर' साहित्य का निर्माण हुआ है, मगर वह अबतक बड़े पैमाने पर पड़ा नहीं गया है। Texts often speak in multiple languages and a rereading needs to be done." (लैंगिकता को मद्दे जनर रखते हुए मराठी, हिंदी वाङ्मय का फिरसे पढ़ा जाना आवश्यक है।)

नाटक

समलैंगिकता पर आधारित व्यावसायिक नाटक की निर्मिती करना आर्थिक दृष्टि से फलदायी नहीं होता लेकिन इसमें प्रायोगिक रंगभूमि काम आती है। यहाँ समाज मान्यता से हटके विचारों के नाटक कम बजट में खेले जा सकते है। समलैंगिकता पर लिखे गए अनेक मराठी नाटक प्रायोगिक रंगभूमी पर अभिनित हुए है। विजय तेंडुलकर लिखित 'मित्राची गोष्ट' (हिंदी अनुवाद- 'मित्रा की कहानी', दिग्दर्शक- चेतन दातार), महेश एलकुंचवार लिखित 'होली', गौरी देशपांडे की एक लघुकथा पर आधारीत 'जावे त्याच्या वंशा', चेतन दातार लिखित '१ मादव बाग', सचिन कुंडलकर लिखित 'छोट्याशा सुट्टीत', जमिर कांबले लिखित 'ऑफ बीट', प्रमोद काले लिखित 'न येती उत्तरे' आदि नाटक उदाहरण के तौर पर बताए जा सकते हैं।

लैंगिकता पर आधारित नाटकों पर 'द ड्रॅमॅटिक परफॉर्मन्सेस ॲक्ट' १८७६ की तलवार टँगी रहती है। इस विषय को विचारपूर्वक सोच समझकर पेश करना पड़ता है। इन नाटकों के प्रयोग, प्रायोगिक रंगभूमि पर ही होने के कारण, सिर्फ मुंबई-पुणे जैसे बड़े शहरों में देखे जा सकते है। छोटे शहर, गाँवों में पहुँच नहीं पाते।

मैंने इस साहित्य का जिक्र भले ही, 'समलैंगिकता के आधार पर लिखी गई किताबें, नाटक या सिनेमा' ऐसा किया हो, लेकिन ऐसा लेबल उनपर लगाना, सभी लेखकों को पसंद नहीं होता। सचिन कुंडलकर (नाटककार-'छोट्याशा सुट्टीत') इस बारे में कहते है, "नाटक, सिनेमा हो या और कोई भी कलाकृती हो, उसे 'गे' लेबल लगाना मुझे मंजूर नहीं। ऐसा लेबल हम नहीं लगा सकते। मेरे साहित्य में समलिंगी किरदार आता है वो सहज रुपसे। इन पात्रों के बारे में मेरी कोई विशिष्ट भूमिका है, इसलिए उनका प्रयोजन नहीं है। मेरी नजर में समलिंगी लोगों का औरतनुमा

स्टीरिओटाईप और ॲक्टिव्हिस्ट लोगों का, 'हम कितने वंचित है' वाला बेचारगी का स्टीरिओटाईप दोनों भी उतना ही हास्यास्पद है।''

टेलिव्हिजन

दूरदर्शन धारावाही में समलैंगिकता शायद ही दिखाई देती है। श्रीधर (दिग्दर्शक 'गुलाबी आईना') कहते है, ''टिव्ही इन दिनों सिर्फ 'मास ऑडियन्स' और 'महिला विशेष' की लहर में फँसा हुआ है। कुछ खास, कुछ हटके करने की कोशिश कहीं दिखाई नहीं देती। 'गे' प्रश्न तो बहुत दूर की बात है।'' (समलिंगी जीवनशैली पर चाहे कोई धारावाहिक न हो, लेकिन मराठी और हिंदी धारावाहिक, नाटक, सिनेमा में जनाने ढ़ग के पुरुषपात्र हँसी-मजाक, मनोरंजन के लिए आम तौर पर लाए जाते है।)

पाँच-सात साल पहले, चर्चा/संवाद के रुपमें, समलैंगिकता के विषय का दूरदर्शन पर प्रवेश हुआ। इन कार्यक्रमों को देखने के बाद मेरा टिप्पणी इस प्रकार है- चर्चा का सूत्र-संचालक अगर समलिंगी द्वेष्टा हो, तो चर्चा को वह अपने मतानुसार नकारात्मक दिशा देता है- पूर्वदूषित दृष्टि से ही प्रश्न करना, कार्यकर्ता जब अपनी बात कह रहा हो, तो बीच में ही उसे टोकना इ. दूसरी कठिनाई यह है कि, वो ही नित्य के चार-पाँच पुरुष हरबार चर्चा में हिस्सा लेते हैं। बाकी के समलिंगी पुरुष कहा है? तिसरी बात, लेस्बियन्स का इन कार्यक्रमों में सहभाग ना के बराबर है। उदाहरण के तौर पर- 'मी मराठी' वाहिनी पर मैंने 'दिलखुलास' शीर्षक के कार्यक्रम में भाग लिया था। विषय था 'समलैंगिकता योग्य या अयोग्य?' यह चर्चा सिर्फ पुरुषों के बारे में ही थी। रेकॉर्डिंग के बाद और एक शो लेस्बियन्स पर करने का इरादा संयोजकों ने व्यक्त किया। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद, लेस्बियन्स के लिए काम करनेवाली संस्थाओं से संपर्क करने पर भी एक भी लेस्बियन शो के लिए सामने नहीं आई।

सिनेमा

सिनेमा में समलैंगिकता का विषय मनोरंजन के लिए, खिल्ली उडाने के लिए या फिर सनसनी खेज सिनेमा की निर्मिती के हेतु किया जाता है। (इस विषय से संबंधित संवेदनशील किरदारों के दर्शन कुछ ही सिनेमाओं मे होते हैं। उदा. हिंदी सिनेमा 'सेव्हन रुल्स प्यार का सुपरहिट फॉर्म्युला', 'हनिमून ट्रॅव्हल्स' इ.)

संवेदनशीलता से इस विषय को पेश करनेवाले सिनेमा कम मात्रा में बनते हैं। 'बॉमगे' ('BOMBgAY') (डॉ. राज राव जी की कविताओं पर आधारित रियाध

वाडीया ने बनाई हुई शॉर्ट फिल्म), 'मँगो सुफले' (दिग्दर्शक महेश दत्तानी), 'गुलाबी आइना' (दिग्दर्शक- श्रीधर रंगायन), 'माय ब्रदर निखिल' (दिग्दर्शक - ओनीर), 'शांग' (English version - 'The Quest') (दिग्दर्शक - अमोल पालेकर), 'अडसट पन्ने' (दिग्दर्शक - श्रीधर रंगायन) जैसे कुछ फिल्मों का जिक्र किया जा सकता है।

इस विषय पर एक ही मराठी फिल्म बनी है- 'शांग'। समलिंगी संबंधों को मान्यता दी जानी चाहिए यह संदेश इस फिल्म में बिल्कुल स्पष्ट रुपसे दिया गया है।

संध्या गोखले जी (जो कि इस फिल्म की पटकथा लेखिका है) कहती है, "यह विषय गंभीरता से पेश करने के लिए मैंने स्त्रीकेंद्रित पटकथा की रचना की है। उस स्त्री का अनुभव और समलैंगिकता का प्रश्न प्रेक्षकों ने समझ लेना महत्त्वपूर्ण था। अपने देहलीज तक आकर, जब यह समस्या अपना दरवाजा खटखटाती है, तब कितनी मानसिक पीड़ा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तकलीफ देह बात से उबरकर वह खुद को कैसे सँभाल पाती है, उसकी पहली प्रतिक्रिया और बाद में यथासांग विचार करने के बाद उसका दृष्टिकोन, यह आलेख प्रेक्षकों के सामने रखना मैंने महत्त्वपूर्ण समझा। समस्या का सामना करते हुए उसकी मानसिक प्रगल्भता कैसे बढ़ती है, उसके साथ प्रेक्षकों का प्रवास होता, उसका मानसिक परिवर्तन प्रेक्षकों ने खुद महसूस करना मेरी दृष्टि में जरुरी था। फिल्म का अंत ट्रॅजिक नहीं है (जैसे बहुतबार दिखाया जाता है- उदा. 'ब्रोकबॅक माऊंटन') बल्कि इस फिल्म के माध्यम से हमने समलिंगी रिश्तों को मान्यता होना जरुरी है यह अत्यंत सहिष्णु तथा स्पष्ट संदेश दिया है।"

ऐसी फिल्में बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलना मुश्किल होता है। ओनीर (पटकथाकार, दिग्दर्शक- 'माय ब्रदर निखिल') कहते है, "ऐसे विषय को आर्थिक सहायता मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इस फिल्म की दोनों बातों में- समलैंगिकता और एचआयव्ही- 'कमर्शियल वॅल्यू' नहीं थी। फायनान्सर्स बोले, 'समलिंगी किरदार को भिन्नलिंगी बना दो, हम तुम्हें पैसा देने को तैयार है।' मगर मैं नहीं माना। कथा और उसके प्रमुख पात्र निखिल से में ईमानदार रहना चाहता था। मैंने मेरी जिद नहीं छोड़ी।"

बहुत सारे अभिनेता ऐसी सिनेमाओं में समलिंगी भूमिका निभाने से कतराते हैं। उन्हें डर रहता है कि, परदे पर एक बार ऐसी भूमिका अदा की तो लोगों को

लगेगा वे समलिंगी है। एक बार अगर ऐसी भूमिका निभाई भी तो हरबार ऐसे ही किरदार पेश करने की नौबत न आए यह दूसरा डर होता है। नतीजतन बहुत कम अदाकार इस प्रकार की भूमिका करने का साहस करते हैं।

सेन्सॉर बोर्ड

वक्त, पैसा, कष्ट तीनों को दाँव पर लगाकर किसीने ऐसी फिल्म बनाई तो सेन्सॉर बोर्ड का प्रमाणपत्र मिलने मे दिक्कतें आने की संभावना होती है। श्रीधर रंगायन 'गुलाबी आईना' के बारे में कहते है कि, "एक सेन्सॉर अधिकारी ने कहा, 'Why cant you say without saying it and show without showing it? मैंने जवाब दिया, जो कुछ दिखाया है, वह जरुरी था।' उन्होने सर्टिफिकेट नहीं दिया। Now its mired in red tape."

एक भी लैंगिक दृष्य फिल्म में न होने पर भी 'थांग' फिल्म को सेन्सॉर का प्रमाणपत्र मिलना मुश्किल हो गया था। संध्या गोखले जी कहती है कि "जब सेन्सॉर बोर्ड ने यह फिल्म देखी, उसके बाद अमोल पालेकर और मुझे बताया गया कि, 'यह सब बातें मराठी लोगों के पल्ले नहीं पड़नेवाली। मराठी प्रेक्षक इस विषय को स्वीकार नहीं करेंगे। तुम्हें प्रमाणपत्र मिलना मुश्किल है। फिर भी 'ग्रँड ज्युरी' को फिल्म दिखाकर आखरी फैसला होगा।' हम दोनों ने पूछा कि, "इस फिल्म में एक भी लैंगिक दृश्य नहीं, इसकी भाषा भी अश्लिल नहीं है। फिर ना किस लिए? Give us you verdict in writing and we will take legal course of action. दरसल बात यह थी कि विरोध मूल रुपसे इस विषय को ही था। समलैंगिकता का अस्तित्व ही नकारने की वृत्ति थी। आगे चलकर प्रमाणपत्र तो मिल गया, लेकिन सिर्फ प्रौढों के लिए। फिरसे एक बार वही तकरार, फिर वो ही वाद प्रतिवाद। हम बुनियादी तौर से इस बारे में आग्रही थे, कि यह फिल्म पूरे परिवार ने साथ-साथ देखनी चाहिए। लड़के-लड़कियों ने खास करके यह फिल्म देखनी चाहिए। देखने पर उसपर चर्चा, वाद-संवाद होना जरूरी है। मेरी तेरह साल की बेटी के साथ मैं यह सिनेमा देख सकती हूँ, उसपर चर्चा कर सकती हूँ। विभिन्न विषयों पर अपने बच्चों के साथ बातचीत, संवाद करने की जिम्मेदारी आखिर अपनी ही होती है। लेकिन सेन्सॉर बोर्ड ने एक न सुनी।"

वितरण

इतनी मेहनत करके बनाई गई फिल्म आम लोगों तक पहुँचने में भी दिक्कतें आती है। संध्या गोखले जी इस समस्या पर कहती है कि, "इस प्रकार के सिनेमा

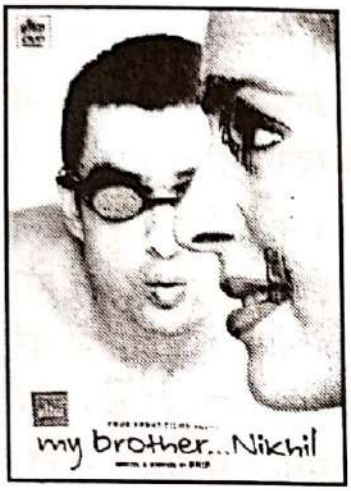

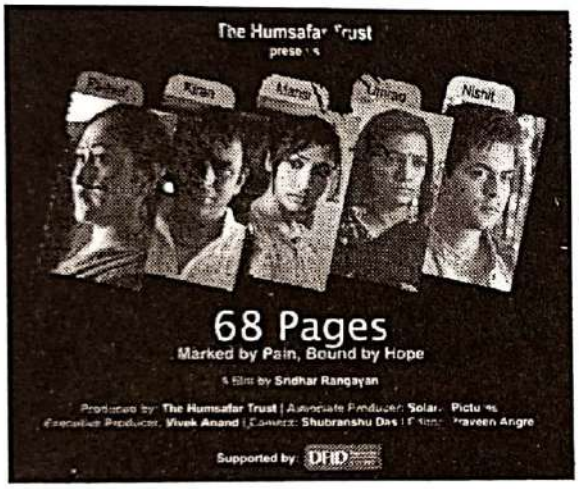

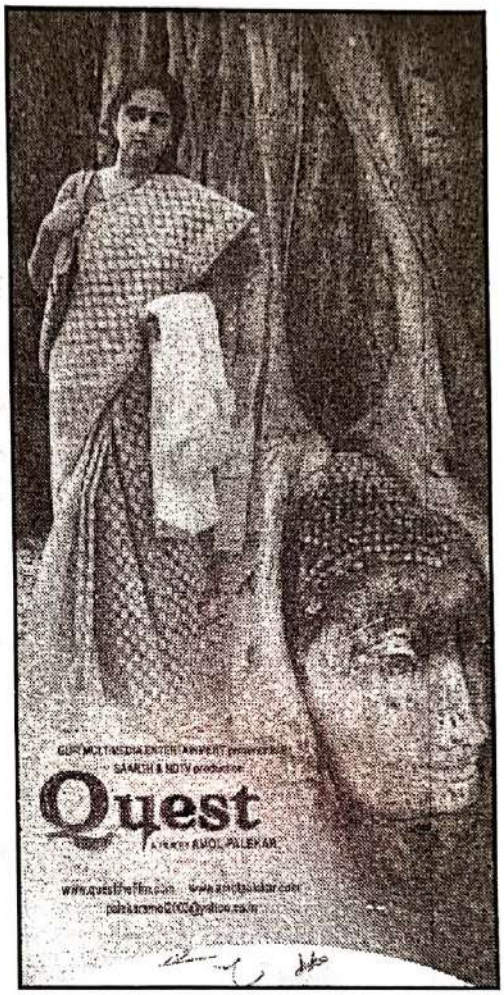

मुंबई-पुणे जैसे शहरों में चलते है। लेकिन वितरक सहयोग नहीं देते। फिल्म बनाकर वह आम लोगोंतक पहुँचाने के लिए हम अकेले क्या क्या कर सकते है? फिल्म के रोल लेकर कितनी जगहों पर हम खुद जा सकते हैं? इस सिनेमा को हर गाँव में पहुँचाने की उम्मीद थी। परंतु फिल्म का वितरण ही ढंग से नहीं हो पाया। फिल्म दो-चार शहरों को छोड़कर बाकी जगह पहुँची ही नहीं। हम निराश हो गए।''

रुढ़िवादियों ने इस प्रकार के फिल्म का प्रदर्शन बंद करवाया, तो इतनी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। 'फायर', 'गर्लफ्रेंड' जैसे सिनेमा जब प्रदर्शित हुए थे तब इसकी झलक देखने को मिली। 'फायर' सिनेमा जिन थिएटर्स में चल रहा था, वहाँ सनातनी लोगों ने मोर्चे निकाले। फिल्म प्रदर्शन बंद करवाई। मुख्तार अब्बास नकवी (Federal Minister of State for I&B) ने कहा, ''ऐसी फिल्में दिखाना अपने समाज के लिए हानिकारक है।'' 'गर्लफ्रेंड' के विरोध में प्रमोद नवलकर ने कहा, ''इस सिनेमा के चलते समाज में हिंसा फूट पड़ सकती है।'' बीजेपी ने कहा, 'ऐसे सिनेमे हमारे संस्कृति के खिलाफ है।' [59] 'इन्किलाब' अखबार में लिखा गया

कि, 'बाकी मुद्दों पर चाहे हमारी मनभिन्नता हो, लेकिन इस फिल्म के बारे में हम इन लोगों से (शिवसेना, बीजेपी) सहमत है।' 'हिंदुस्तान' अखबार में लिखा गया की, 'समलैंगिकता पाश्चात्य देशों से आया हुआ एक अभिशाप है।' [60]

समाज को अगर प्रगल्भ, सुसंस्कृत बनाना है, तो हर एक व्यक्ति को अपना मत कहने का अधिकार मिलना चाहिए। वह चाहे समाज को स्वीकार हो, न हो। व्यक्ति के विचार स्वातंत्र्य पर गाज नहीं आनी चाहिए। अगर व्यक्ति के मन में डर हो तो समाजमान्यता से हटके मत व्यक्त करने से व्यक्ति हिचकिचाता है। धीरे धीरे संवाद कम हो जाता है। और आखिर में रुक जाता है। जिस समाज में संवाद न हो, वह समाज खौकला हो जाता है।

भाग - २

समलिंगी जीवनशैली

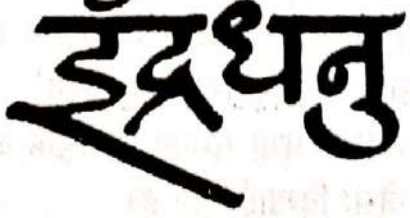

यौन अवस्था

समलिंगी लड़के-लड़कियाँ बड़े होते होते उन्हे उन्हींके लिंग के कोई व्यक्ति के बारे में शारिरीक और भावनिक आकर्षण होने लगता है। एक लेस्बियन बोली, "जब मैं नौंवी कक्षा में पढ़ती थी, तब हमे पढ़ानेवाली एक शिक्षिका मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। एक दिन भी अगर वह शिक्षिका स्कूल नहीं आई तो मेरा चैन खो जाता, मानो सिर्फ उन्हें देखने के लिए ही में स्कूल जाती थी! उन्हें मन मैं रखकर मैं खुद को शरीरसुख देती थी। स्कूल के एक-दो लड़के मुझ पर लाईन मारते थे लेकिन उनकी तरफ मैंने आँख उठाकर भी नहीं देखा।"

उभयलिंगी लड़के-लड़कियों को अपनी लैंगिकता समझने में देर लगती है। एक लड़के ने कहा, "शुरु शुरु में मैं बहुत ही झुँझलाया-सा था। मेरा मन दोनों की तरफ (लड़के-लड़कियाँ) आकर्षित होता है। इस उधड़े बुन से परेशानी होती थी। अब मैं समझ गया हूँ कि मैं उभयलिंगी हूँ और मेरा आकर्षण अधिकांश रुपसे पुरुषों की तरफ है।"

अपना लैंगिक झुकाव बाकी लोगों से अलग होने की बात सहसा लोगों पर जाहिर नहीं की जाती। अगर अपना यह राज खुल गया तो लोगों मे अपनी छी थू होगी यह भय रहता है। ऐसा लड़का अगर जनाने ढंग का हो, तो उसे सताया जाता है। स्कूल-कॉलेज में रॅगिंग होने की संभावना रहती है। इससे उबा हुआ लड़का स्कूल या कॉलेज जाने से कतराता है। एक लड़के ने बताया, "मेरे समलिंगी होने के बारे में हॉस्टेल में पता चल गया है। अब लड़के मुझे बहुत तंग करते है, खिल्ली उड़ाते हैं। रॅगिंग भी होता है। वहाँ रहना दिन-ब-दिन मुश्किल हो गया है। ऐसा लगने लगा है कही जाके डूब मरु तो ही इस उत्पीड़न से छुटकारा मिलेगा।"

लड़का अगर जनाने ढ़ग का ना हो, तो किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। ऐसे लड़के सहज स्वाभाविक रुपसे सबके साथ मिल जुलकर रह सकते हैं। जब तक वह नहीं बताता तब तक उसकी लैंगिकता किसी को समझ नहीं पाती। (इसी तरह सिर्फ मर्दाना ढंग की स्त्री सबका ध्यान खींच लेती है।) आम तौर पर समाज का दृष्टिकोन इस प्रकार 'जेंडर स्टिरीओटाइप' पर आधारीत रहता है। इससे गलतफहमी फैल गई है कि, सभी समलिंगी लड़के जनाना ढंग के होते है और सभी समलिंगी स्त्रियाँ मर्दो जैसी दिखाई देती है।

लड़के-लड़कियों की बालिग होने की यह उम्र बहुत असुरक्षितताभरी होती है। आम लोगों में अपना घुल मिल जाना, उन्होंने अपने को स्वीकारना, अपनाना बहुत बड़ा महत्त्व रखता है। क्या समाज ने मुझे स्वीकार लिया है? बेचैन मन लगातार इसी प्रश्न का उत्तर ढूँढने के लिए बेताब रहता है। अपने अलगपन का एहसास एक बार हो जाने के बाद, समाज स्वीकृती का एक भी चिह्न नजर नहीं आता। नजर आता है, समलिंगी लोगों के लिए द्वेष, उनका उड़ाया गया मजाक, जनाने ढंग के लड़कों पर कसा गया व्यंग। ऐसी हालत में उनकी मानसिक अवस्था दुबली हो जाती है। उन्हें मानसिक आधार तथा आदर्श प्रतिमाओं की जरूरत होती है। माँ-बाप का सहारा, दोस्तों का अपनापन और अपने जैसे समलिंगी लोगों की आदर्श प्रतिमा इन सब बातों की जरुरत महसूस होती है और यही बातें उसके लिए उपलब्ध नहीं होती। इसी कारण से अपना अलगपन स्वीकारने के लिए अधिकांश लड़के-लड़कियाँ तैयार नहीं होते।

अपनी लैंगिकता समझ में आने के बाद की यात्रा बहुत तकलीफदेह होती है। इस यात्रा के पड़ाव इस प्रकार हैं- लैंगिकता स्वीकारने से इन्कार, गुस्सा होना, लैंगिक झुकाव बदलने के रास्ते ढूँढना, हताश होना, अपनी लैंगिकता मान लेना, उसे पूर्ण रुप से स्वीकारना तथा अपनी लैंगिकता पर गर्व होना। कुबलर रॉस पड़ी की मदद से यह पड़ाव दिए गए है। (अंत में मैंने थोडी-सी बदल की है।)

लैंगिकता का स्वीकार करने से इन्कार (Denial)

कुछ समलिंगी पुरुष सोचते हैं, कि समलैंगिकता जवानी की अस्थायी स्थिति है। कुछ ही दिनों में यह झुकाव अपने आप कम हो जाएगा और लड़कियों की तरफ स्वभावत: आकर्षण हो जाएगा। लेकिन दो-तीन साल गुजर जाने के बाद भी यही स्थिति रहती है, लड़कियों की तरफ देखने को मन नहीं करता तब समझ में आता है की वह स्थिति अस्थायी नहीं थी। "मैं अभिनेत्रीयों का विचार करके हस्तमैथुन करने की कोशिश करता था। पर कभी हो नहीं पाया। अभिनेत्री खिसक जाती और उस जगह कोई सुंदर अभिनेता आ खड़ा होता था।"

कुछ लोग, समलिंगी होकर भी उभयलिंगी होने का दिखावा करते हैं। वे सोचते हैं कि, अगर उभयलिंगी होने का बहाना बनाया, तो समाज की नजर में मैं आधा ही खराब रहूँगा। शादी भी कर सकूँगा। एक लड़के ने कहाँ, "मुझे मालूम था, मैं समलिंगी हूँ। फिर भी शुरु में मैं खुद को 'बायसेक्शुअल' मानता था, जिससे मानहानि की भावना कुछ हल्की हो जाती थी।"

कुछ समलिंगी पुरुषों को साथीदार के साथ रिसेप्टिव्ह रोल लेने की इच्छा होती है। प्रत्यक्षत: लैंगिक संबंध हुए न हो तो भी स्वप्नरंजन के समय, हस्तमैथुन करते वक्त यही रिसेप्टिव्ह रोल मन में आता है। पुरुष होकर भी रिसेप्टिव्ह रोल लेने की इच्छा होने के कारण मन में न्यूनगंड की भावना सताती रहती है। यह भूमिका लांछनस्पद लगने लगती है। इसलिए रिसेप्टिव्ह रोल पसंद करनेवाले अनेक पुरुष, 'हम हमेशा इन्सर्टिव्ह रोल लेते हैं', यह झूठ बातातें हैं। आगे चलकर जब समलिंगी समाज के साथ परिचय बढ़ता है, खुद के लेंगिकता का स्विकार होने लगता है तब रिसेप्टिव्ह होने की बात खुले दिल से बोली जाती है।

कुछ समलिंगी लोगों के मन में अपनी समलैंगिकता के बारे में इतनी कमाल की नफरत भरी हुई रहती है कि, 'मैं बचपन में लैंगिक शोषण का शिकार हो गया था। उन अत्याचारों के कारण आज मैं ऐसा बन गया हूँ', इस तरह की मनगढंत दुनिया बनाते हैं। उनका कहने का मतलब होता है कि, 'इसमें मेरा कुछ दोष नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। मेरी इस स्थिति के लिए वह अत्याचारी जिम्मेदार है।'

अपनी लैंगिकता छिपाने के लिए कुछ लोग एक खुशहाली का उडनछू मुखौटा ओढ़ लेते है। हँसी, मजाक करनेवाला, मजाकियाँ जैसी आपनी प्रतिमा बनाकर दोस्तों में अपना स्थान बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ पढ़ाई-लिखाई में अपना ध्यान लगाकर अपनी लैंगिकता भूलने का प्रयत्न करते हैं।

गुस्सा

आहिस्ता-आहिस्ता, समलिंगी व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि लाख कोशिश करने पर भी अपनी लैंगिकता बदल नहीं जाएगी। तब मन में गुस्सा आता हैं। मैं ही ऐसा क्यों हूँ? नसीब ने मेरी जिंदगी से ऐसी खिलवाड़ क्यों की? मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया था, जिसके लिए भगवान ने मुझे ऐसा जन्म दिया? मेरे माँ-बाप ने मुझे क्यों जनम दिया? इस गुस्से के कारण चिड़चिड़ाहट होने लगती है। झगड़ा, तोड़-फोड़ करने पर वह उतारु होता है। दोस्तों की जीवनशैली देख के मन में उनके लिए ईर्ष्या पैदा होती है।

अपनी लैंगिकता बदलना केवल असंभव है इस भावना से झल्लाया हुआ मनुष्य मन मसोसकर अकेला हो जाता है। दोस्त, रिश्तेदारों से दूर रहने लगता है। वह घर-परिवार से अलग रहना पसंद करने लगता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से उड़ जाता है। फेल होने की संभावना होती है। घरवालों की समझ में नहीं आता कि आखिर इसे हुआ क्या है? उसके साथ बातचीत करने के सभी प्रयास व्यर्थ होते

है। धीरे धीरे माँ-बाप का संयम टूटने लगता है। इतनी अच्छी परवरिश मिलन पर भी इस लड़के का यह बर्ताव देखकर माँ-बाप गुस्सा होते है। खरी-खोटी सुनाते है। पहले से मायूस बने लड़के को लगता हँ, अपनी हैसियत ऐसी ही गालियाँ खाने की है और इस विचार से उसका बचाखुचा मनोबल भी टूट गिरता है।

ऐसी हालत में अगर किसी भिन्नलिंगी झुकाववाले व्यक्ति से प्रेम हो गया, तो स्थिति और बदतर होती है। जिससे प्यार होता है वह व्यक्ति अपने लिए 'सबकुछ' होता है। लेकिन इस तरह के एक तरफा प्रेम में हमेशा निराशा ही पल्ले पड़ती है। यह धुत्कार लड़के को निराशा की गहरी खाई में ढ़केलता है। "मुझे उसने कहा, 'ऐ मैं तेरे जैसा गांडू नही हूँ।' मेरे मन को यह बात चुभ गई। मैं सोचने लगा, जिससे मैं जी-जान से चाहता हूँ, वही अगर मुझे अपना नहीं सकता, तो मेरा जीना बेकार है।"

इन सब उलझनों में समाज में भिन्नलिंगी होने का मुखौटा ओढ़ के रहना पड़ता है। इस तरह की दो मुँहा जिंदगी पूरी ताकद दाँव पर लगाती है। मनपर बोझ-सा आता है। मन में यही एक विषय मँडराता रहता है। क्या मैं अकेलाही ऐसा हूँ? अगर नहीं, तो बाकी के सब कहाँ है? उनमें से अगर एक-दो भी मिल जाए तो उसके साथ खुले दिलसे बोल सकूँगा, मनका बोझ थोड़ा हलका हो जाएगा। वे समलैंगिता को किस नजरीए से देखते है? क्या मेरे जैसे सवाल उन्हें भी सताते हैं? मैं किस तरह बदल पाऊँगा? प्रश्नों की झड़ी मन में कुहराम मचाती है।

छुटकारा कैसे मिले? (Negotiation)

मानसिक स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जाती है, तो इससे छुटकारा पाने हेतु कोई मनौवैज्ञानिक के पास जाते है, कोई अध्यात्म का सहारा लेते है।

कुछ समलिंगी पुरुष स्त्री के साथ संभोग करने की सोचते है। (अगर स्त्री के साथ संभोग करने में सफलता मिली तो शादी कर सकेंगे चाहे पसंद हो या नं हो ऐसा विचार करते हैं। शादी का मतलब सिर्फ संभोग, यही धारणा इस विचार में होती है। अपनापन, स्नेह, प्रेम आदि भावनाओं को इसमें स्थान नहीं दिया जाता।

कुछ लोग दूसरे समलिंगी व्यक्तिओं को खोजते है। विविध मार्गो से उन्हें ढूँढ़ निकालते हैं। उनसे संपर्क करते है। बातचीत के जरिए उनका नजरिया समझ लेने की कोशिश करते है। इस दौरान उस लड़के की मानसिक स्थिति बेहद नाजुक होती है। वह लड़का मिले हुए व्यक्ति पर पुरा विश्वास करता हैं। कई बार इस स्थिति का

नाजायज फायदा उठाया जाता है। उस लड़के के साथ संभोग करके उनको ठुकराया जाता है। ऐसी झिडक खाए हुए लड़के अपनी जिंदगी से हार जाते है। अपना गैर इस्तेमाल हुआ देखकर कहीं के नहीं रहते।

बहुत कम लोग, समलिंगी लोगों के लिए काम करनेवाली संस्थाओं के कौन्सेलर्स से मदद लेते हैं।

निराशा (Depression)

निराशाग्रस्त लड़का अपनी सारी उम्मीदें हार बैठता है। कुछ भी करने की आकांक्षा नहीं रहती। दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, यह भावना बढ़ी क्लेशदायक होती हैं।

ऐसे समलिंगी लड़के-लड़कियाँ सहसा ही मिलेंगे जिन्होंने आत्महत्या करने का विचार न किया हो। उनमें से कई कोशिश करते हैं, कई मरते मरते बच जाते हैं, लेकिन कुछ लड़कों को जान से हाथ धोना पड़ता है। एक लड़के ने कहा, "मैं सोच रहा था, किस प्रकार से आत्महत्या की जाए जिससे परिवारवालों को कम-से-कम परेशानी होगी। अगर चिट्ठी लिख दूँ तो उनको मेरी आत्महत्या की वजह समझ जाएगी, उन्हें बड़ा दुख पहुँचेगा। इसलिए बेहतर है, किसी को कुछ कहे बगैर चलें जाए। लैकिन कैसे? जहर पी लूँ? या गले में फंदा डालू? कम-से-कम तकलीफ देनेवाला आत्महत्या का मार्ग मैं ढूँढ़ता रहा।"

कभी कभी अपना स्वीकार करनेवाली कोई समलिंगी व्यक्ति मिल जाती है। हमें स्वीकारनेवाली यह एकमात्र व्यक्ति होने के नाते उसके साथ प्यार हो जाता है। चौबीसौ घंटे मन में उसी के विचार आते रहते हैं। इस हालत में अगर अचानक कुछ कारणवश वह साथीदार छोड़कर चला गया तो यह दुख सहना बहुत ही मुश्किल होता है। 'मुझे स्वीकारने वाला यह एकमात्र था, उसे भी अब मेरी जरुरत नहीं तो फिर मैं जीकर क्या करुँ?'(ऐसे में अगर शराब पीने की आदत है, तो नशें में बेकाबू हो कर आत्महत्या करने की संभावना बढ़ती है।)

अपनी लैंगिकता मान लेना (Tolerance)

कुछ समलिंगी लोग इतनी सारी अग्निपरीक्षा के बाद खुद की लैंगिकता सहन करने की तैयारी कर लेते है। जो कुछ है वैसाही रहेगा, उसमें तनिक भी परिवर्तन नामुकिन है, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है। क्या इसे लैंगिकता का 'स्वीकार' कह सकते है? नहीं! कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, कुछ भी किया

नहीं जा सकता, इस तरह की यह विवशता की स्थिति होती है। अधिकांश समलिंगी लोगों का संघर्ष यहीं, इस स्थिति पर समाप्त होता है। लेकिन कुछ चुने लोग ऐसे होते है, जो आगे चलकर आखरी मंजिलतक पहुँच पाते हैं।

अपनी लैंगिकता का स्वीकार करना (Acceptance)

इस स्थिती में अगर कुछ समलिंगी ऐसे मिले जिन्होंने खुदको स्वीकार लिया है; तो उनकी विचारधारा, उनकी जीवनशैली, नजदीक से देखकर खुदके बारे में आजतक मन में भरी घृणा धीरे-धीरे कम होने लगती है। मैं आम आदमी जैसा ही हूँ इस बात का विश्वास होने लगता है और उसके साथ खुद की प्रतिमा बदलने लगती है। नफरत, घृणा, तिरस्कार की भावनाएँ कम होने लगती हैं। मन को शांती मिलने लगती है। आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जाने अनजाने में मनका बोझ शनैः शनैः हलका हो जाता है, तनाव कम होने लगता है और दुनिया के बाकी रंग नजर आने लगते है, उन रंगों की सुंदरता अनुभव की जा सकती है। ऐसी मनःस्थिति में दूसरे समलिंगी व्यक्ति से प्यार का रिश्ता निभाते वक्त उस रिश्ते का पूरा आनंद व्यक्ति उठा सकता है। अर्थात यह स्थिति एक दिन में नहीं आ सकती।

इसका मतलब यह नहीं की हर एक के समलिंगी व्यक्ति अपनी लैंगिकता जाहिर कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते है जो जिंदगीभर अपनी लैंगिकता के बारे में किसी को भी बताते नहीं। (इसे क्लोजेट में रहना कहते है।) कुछ लोग सिर्फ माँ-बाप को बता देते हैं। उनको अपने बारे में सबकुछ मालूम कराना वे अपना फर्ज मानते है। कुछ लड़के-लड़कियाँ घरवालो को अपनी लैंगिकता बता देते हैं ताकी उन्हें भिन्न लिंग की व्यक्ति से शादी न करनी पड़े। कुछ लड़के-लड़कियाँ अपना यह राज सिर्फ समलिंगी दोस्तों के साथ बाँटते हैं।

अपनी लैंगिकता का अभिमान (Out and Proud)

खुद का स्विकार होने के बाद धीरे-धीरे समाज की तरफ एक तटस्थ वृत्ती से देखने की दृष्टि प्राप्त होती है। बचपन से मिले संस्कार, सामाजिक बंधन, रुढ़ी, परंपरा, धर्म, कानून, वैद्यकीय दृष्टि इन सभी बातों की तरफ व्यक्ति एक चिकित्सक दृष्टि से देखना सीख जाता है। समाज में चल रही बहानेबाजी ढोंग, सामाजिक त्रुटियाँ साफ नजर आने लगती है। समाज की इस दोगली संस्कृति का शिकार मुझे बनना पड़ा है; इतना ही नहीं, मेरे साथ, समाज के और भी कुछ घटक हैं, जो समाज के इस दोहरेपन से बच नहीं सके हैं, जैसे महिलाएँ, दलित आदि, इस बात का एहसास हो जाता है। फिर मन में विचार फूटता है कि जिस संस्कृति

ने मेरी जिंदगी तहस-नहस कर दी, जिस संस्कृति की लपेटने मुझे साँस तक लेना मुश्किल कर दिया, वह संस्कृति बदल देनी चाहिए- भिन्नलिंगी लैंगिक झुकाव के लोगों से ईर्ष्या करके नहीं बल्कि उन्हें संवेदनशील बनाकर संस्कृति में बदलाव लाना जरुरी हैं। समलैंगिकता के बारे में समाज का रवैया बदलना है, तो समलिंगी समाज की समस्याएँ, स्थिति का यथार्थ ज्ञान लोगों को देना होगा, तब समाज के मनमें इन लोगों के बारे में जो उदासीनता, जो झिड़क की भावना रहती है, वह कम होकर इन्सानियत फूटेगी, हमदर्दी बढ़ेगी। इसलिए 'आऊट' होने की इच्छा होने लगती है। समाज को अपनी लैंगिकता बतानी है और वो भी गर्व के साथ कहनी है, अभिमानपूर्वक कहनी है। इसमें अभिमान शब्द महत्त्व रखता है। समाज के हर एक स्तर पर अपनी लैंगिकता का विरोध होने के बावजूद जो व्यक्ति बिना शरम के, किसी झूठी कारणों का सहारा लिए बगैर, किसी दबाव में न आते हुए, बेझिझक, आत्मसम्मानपूर्वक अपनी लैंगिकता बताता है, उसके लिए अभिमान शब्द ही उचित है।

◉ ◉

सामाजिक समस्या

समलिंगी व्यक्ति की मानसिकता का जो आलेख पिछले पन्नों पर देखा, जरुरी नहीं, कि हर समलिंगी व्यक्ति उस आलेख के हर एक पड़ाव से गुजरे। कुछ लोग जिंदगीभर अपनी लैंगिकता को नकारात्मक दृष्टि से ही देखते है। तो कुछ लड़के-लड़कियाँ कुछ समय के बाद उसे स्वीकार लेते है।

पढ़ाई खत्म होने के बाद, नौकरी मिल जाने पर लैंगिकता की समस्या सामाजिक समस्या बनने लगती है। क्या अपनी लैंगिकता को हमेशा के लिए छुपाए रखें? क्या घर-परिवारवालों को बताया जाए? क्या भिन्न लिंग के व्यक्ति के साथ शादी की जाए? इन समस्याओं के हल जिंदगी की दिशा तय करनेवाले होते है। स्पष्ट है कि निर्णय करना आसान नहीं होता। यह निर्णय पारिवारीक जीवन, अर्थार्जन के मार्ग आदि पर दूरगामी प्रभाव डालनेवाले होते हैं।

विवाह

इस देश में, शादीलायक उम्र हो जाते ही शादी हो जाना, एक अनिवार्य बात मानी जाती है। लड़के की पढ़ाई, आर्थिक स्थिती इ. बातों का शादी से कुछ भी संबंध माना नहीं जाता। वधू या वर, माँ-बाप ने ही ढूँढ़ने का रिवाज आज के जमाने में भी मौजूद है। वह उनकी ही जिम्मेदारी मानी जाती है। लड़का या लड़की सोचते है, कि जिंदगीभर का साथी ढूँढ़ना कोई ऐसा वैसा काम नहीं। इतना बड़ा निर्णय लेते वक्त उसमें सभी परिवारवालों का सहभाग होना जरुरी है। कल अगर कुछ कठिनाई आ भी गई तो, 'ये तो मेरे माँ-बाप की पसंद है, मेरी नहीं', कहकर इससे अपना दामन छुड़ाया जा सकता है।

शादी के बाद, एक साल के अंदर-अंदर पत्नी की गोद भरना निहायत जरुरी माना जाता है। लड़के पर दबाव रहता है, अपना पौरुषत्व सिद्ध करने का तथा लड़की से पुत्र की अपेक्षा रहती है। इस दंपति का अपना एक स्वतंत्र जीवन है, उनका परिवार उन्हें अपने ढ़ंग से चलाने का पूरा अधिकार है इस बात की दखल किसी को नहीं रहती।

इस तरह की मानसिकता रखनेवाले समाज में एक समलिंगी व्यक्ति के लिए 'मुझे शादी नहीं करनी है' कह पाना मुश्किल हो जाता है। जिसके लिए अपने मन में प्रेम, अपनापन तथा लैंगिक आकर्षण नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी

गुजारने का विचार रोंगटे खड़े कर देनेवाला होता है। इसलिए शादी टालने के लिए बहाने बनाने पड़ते हैं। 'अभी क्या जल्दी है?', 'नौकरी में अब तक सैटल नहीं हुआ हूँ', 'कोई लड़की पसंद ही नहीं आती' कहकर टालमटोल की जाती है। लेकिन शादी कब तक टाली जाएगी? दो-चार साल यह बहनेबाजी सफल होती है लेकिन धीरे-धीरे माँ-बाप परेशान होते लगते हैं। 'अब हमारी उमर होने को आई। हमारे बाद तुम्हें कौन देखेगा?' वाली भाषा माँ-बाप करने लगते हैं।

लड़की के लिए यह बात कुछ अधिक कठिन होती है। 'पागल तो नहीं हो? आज के जमाने में अकेली लड़की कैसे गुजारा करेगी?', 'कुछ टेन्शन मत लेना, शादी के बाद सबकुछ ठीक हो जाएगा, उल्टे हमें भी भूल जाओगी।' इस तरह की प्रतिक्रिया परिवारवालों की तरफ से आने लगती है।

लड़की के बारे में और एक महत्त्वपूर्ण पहलू होता है। 'पराया धन' कहकर लड़की की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। नौकरी के लिए भी इतना ही प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे शादी के बाजार में उसकी कीमत बढ़े। (लेकिन नौकरी भी ऊँची तनख्वाह वाली न हो नहीं तो उससे ज्यादा तनख्वाह मिलनेवाला वर ढूँढ़ने में मुश्किल होगी।) कुल मिलाकर समाज की यही अपेक्षा रहती है कि एक लड़की ने सिर्फ लड़की होने के कारण अपनी बुद्धि, महत्त्वांकांक्षा, जिद्द ज्यादा दिखानी नहीं चाहिए, सभी पर काबू रखना चाहिए। इससे लड़की को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की सहुलियत मिलना और मुश्किल हो जाता है।

इन सामाजिक तथा पारिवारिक दबावों के अलवा और भी कारण होते है, जिससे समलैंगिक लोग शादी करने पर मजबूर होते हैं।

कुछ समलिंगी पुरुष, भिन्नलिंगी झुकाव वाले पुरुष से प्रेम करते है और उसकी मंजूरी पाने के लिए स्त्री के साथ शादी कर लेते हैं।

कुछ पुरुषों कें आपस में समलिंगी रिश्ते होते हैं। उनमें से अगर एकाध पुरुष ने स्त्री के साथ शादी कर ली तो वह अपने पुरुष साथीदार को भी स्त्री के साथ शादी करने पर विवश कर सकता है।

माँ-बाप के लिए, उनका मन रखने के लिए शादी की जा सकती है। समलिंगी व्यक्ति सोचता है- 'यह मेरा फर्ज है, अपना लैंगिक झुकाव चाहे कुछ भी हो, माँ की इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज बनता है। अर्थात यह सिर्फ धोखा है- खुद से और अपनी होनेवाली पत्नी से भी।

समलिंगी लड़के-लडक़ियाँ जानती है कि शादी करके वे जानबूझकर उनके होनेवाले साथीदार को धोखा दे रहे हैं। फिर भी वे शादी के लिए राजी होते हैं। सिर्फ समाजके डर के मारे। एक लड़की ने कहा, ''मुझे पुरुष से शादी करनी ही पड़ेगी। मेरी इच्छा हो, न हो। परंतु मुझे ज्यादा चिंता मेरी गर्लफ्रेंड की है। उसे बहुत ही मानसिक क्लेश पहुँच रहे हैं। इस शादी का उसने अर्थ लगाया है कि मैंने उसे झिड़काया है। मुझे डर है कहीं वह खुदकुशी न कर ले। वैसे मैने मेरे बारे में सोचना छोड़ ही दिया है। पत्थर बना लिया है मैंने खुद को!''

समलिंगी व्यक्ति ने अगर धीरज बँधा के घरवालों को सबकुछ बता दिया, तो भी कुछ घरवाले कहते है, 'तुम अपनी मत सुनाओ, तुम्हे शादी तो करनी ही होगी, और देखो शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। एकाध बच्चा होने पर सबकुछ सेटल हो जाता है।' अपना लड़का या लड़की समलिंगी है, यह बात मानने को, स्वीकारने को घरवाले तैयार नहीं होते। लैंगिकता का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं होती। (सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए जो शिविर होते है, उसमें मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ कि, 'समलिंगी लोगों ने भिन्न लिंग के व्यक्ति से शादी करनी चाहिए या नहीं?' जवाब 'हा' में मिलता है। कुछ पुरुष जवाब देते है की वे समलिंगी लड़की से शादी करके उसे 'सुधारने' के लिए तैयार है। ये टिपिकल पुरुष है, जिनकी नजर में सिर्फ खुद का पुरुषार्थ महत्त्वपूर्ण है, बाकी किसी भी व्यक्ति की भावना, हक इनकी कोई कीमत नहीं। समाज इस विषय की ओर किस दृष्टि से देखता है, इस बात का यह साफ सबूत है। मैंने उन्हें पूछा कि, 'क्या आप किसी समलिंगी पुरुष के साथ अपनी बहन की शादी कराने को तैयार हो?' उत्तर अर्थात 'ना'!)

अधिकांश पालक समलैंगिकता की ओर नकारात्मक दृष्टि से ही दैखते हैं। आसपास, पड़ोस में, रिश्तदारों में यह बात मालूम हो गई, तो जिंदगीभर भला बुरा सुनाते रहेंगे। बहन की शादी होनी बाकी हो तो उसकी शादी हो नहीं पाएगी, यह डर मन में रहता है। इन सभी प्रकार की चिंताओं का माँ-बाप के मनपर बड़ा दबाव रहता है। इन विचारों की घौंस में बाकी कुछ सूझता नहीं। लड़के-लड़कियों को समझने की, उसकी समस्या, उसका भविष्य आदि के बारे में सोचने की मन:स्थिति माँ-बाप की नहीं रहती। बेटी/बेटे की शादी कर देने से उनपर क्या गुजरेगी, यह शादी करना दूसरे घर के बेटे/बेटी को सरासर धोखा देना है, इन बातों को माँ-बाप नजर अंदाज करते हैं। ''मैं अकेला बेटा। तीन साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए। अब मेरे सिवा मेरी माँ को कोई और सहारा नहीं रहा। उसे मैं कुछ भी बता नहीं सकता। मेरी शादी

हो गई। इस शादी के कारण मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत दु:ख हुआ। वह निराशाग्रस्त हो गया। उसने मेरे घर आकर मेरी माँ को साफ साफ बता दिया, 'हम पाँच साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं।' उस समय मेरी माँ चूप रही, उसने एक लब्ज भी मुँह से नहीं निकाला। दूसरे दिन मेरी पत्नी नौकरी पर चली गई तब मेरी माँ ने कहा, "जो हुआ सो हुआ! अब मुड़कर पीछे देखना नहीं। यह विषय यही खत्म हो गया, समझ लो!"

'सुखी' परिवार

कुछ समलिंगी पुरुष स्त्री के साथ पति का नाता निभा सकते है। उन्हे स्त्री के साथ संभोग करना आता है। पत्नी के साथ फर्ज की लिहाज से (और उसे शक न हो, इसलिए) कभी कभार उससे संभोग कर लेते है। उनके बच्चे भी होते है। पत्नी को जिंदगी भर पता नहीं चलता कि अपना पति समलिंगी है। समाज की नजर में यह एक 'भिन्नलिंगी' सुखी परिवार होता है। शादी के बाद, कुछ समलिंगी पुरुष दूसरे समलिंगी पुरुष के साथ रिश्ता बना लेते है। वो भी इस तरह कि, किसी को कानों कान खबर न हो। घर की जिम्मेदारियाँ निभाते अब समानांतर दो जिंदगीयाँ शुरु होती है। लेकिन यह दोहरी जिंदगी आसान नहीं होती। किसी को शक न हो जाए इसलिए हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। चौबीसौ घंटों की यह सतर्कता मन पर बड़ा बोझ डालती है। तनाव छा जाता है।

कुछ समलिंगी पुरुष, पत्नी के साथ संभोग करना टालते हैं। कुछ ऐसे जोड़े देखे जाते हैं, जिनकी शादी के बाद, कई महिनों तक, पुरुष ने पत्नी के साथ संभोग किया नहीं, अथवा कोशिश करने पर भी सफल नहीं हुए है। ऐसे होने पर, पत्नी की चिड़चिड़ाहट बढ़ती जाती है। शादी में अपने साथ धोखा फरेब हुआ है इस बात का उसे एहसास होने लगता है। कभी-कभी स्त्री के मन को एक अपराध की भावना चुभती रहती है कि, 'एक स्त्री के लिहाज से कहीं मुझमें तो कोई कमी नहीं है?' यह समस्या बताए तो भी किससे? बताने से घर की बदनामी होगी। कुछ स्त्रियाँ 'तुम मुझे सिर्फ एक बच्चा जना दो, फिर मैं कुछ नहीं माँगूगी' इस तरह का आग्रह करती है। जिन पुरुषों के लिए मुमकिन है, वे यही करते है और एक बच्चे के बाद पत्नी की तरफ देखते भी नहीं।

कुछ समलिंगी पुरुष स्त्री के साथ संभोग नहीं कर पाते। पति को शरम लगने लगती है। वह पत्नी को टालने लगता है। घर के बाहर समय बिताता है। काम में डूबे रहना या शराब पीना शुरु होता है। घरवाले, दोस्त परिवार सबके सब दुश्मन

लगने लगते हैं। "शादी हुए छह महिने हो गए, मैंने अभीतक उसको हाथ नहीं लगाया। कभी बाहों मे भर लिया, किस किया तो भी घिन आती है। उत्तेजना नहीं आती। इसलिए मैंने बाहर गाव में नौकरी ले ली है। घर में जितना कम समय रहूँ उतना बेहतर। बिवी का स्पर्श घिनौना लगता है। शुरु में वह मुझे समझ लेने की कोशिश करती थी। परंतु आजकल उसका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। दोष उसका नहीं, मैं खुद को दोषी मानता हूँ। लेकिन मन में विचार आता है कि अगर समाज मेरा लैंगिक झुकाव स्वीकार लेता, तो मुझे और उसे यह पीड़ा सहन न करनी पड़ती। फिर इसमें मैं अकेला ही दोषी कैसे?"

अगर पति भिन्नलिंगी झुकाव का है, और पत्नी लेस्बियन है, तब पति कितना भी अच्छा हो, दोनों का परिवार टिकना मुश्किल होता है। ज्यादा तर ऐसे पुरुषों को अपने पत्नी की लैंगिकता के बारे में मालूम नहीं पड़ता। स्त्री सिर्फ कर्तव्य के नाते लैंगिक संबंध रखती है। इसमें भी उसे घृणा होती है। इन संबंधो से उसकी लैंगिक और भावनिक जरुरत पूरी नहीं होती। पत्नी समलिंगी होने के बारे में पति को अगर पता चला तो वह खुद को न्यून समझने लगता है। मैं उसे शारिरीक, मानसिक सुख नहीं दे सकता इस विचार से खुद को कोसता रहता है।

कभी कभी पत्नी को पति की समलैंगिकता का पता चलता है। पत्नी या तो तलाक लेती है या उसी घर में अलग से रहने लगती है। सभी परिवारवालों पर कमाल का तनाव आता है।

कभी कभी पत्नी को अपने पति की समलैंगिकता मालूम पड़ती है और वह तलाक चाहती है लेकिन पति तैयार नहीं होता। पति को समाज में भिन्नलिंगी जोड़ी को मिलनेवाली मान्यता, प्रतिष्ठा की जरुरत होती है। इस स्वार्थ से वह पत्नी को आजादी नहीं देता।

कभी कभी पति तलाक देने पर राजी हो गया तो भी पत्नी तलाक नहीं चाहती। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं- 'स्त्री के नाते, मुझमें ही कुछ कमी है' यह गलतफहमी, मायके के लोगों पर बोझ बनने का डर, फिरसे शादी होने के बारे में आशंका, परिवार का सहारा छोड़ देने पर आनेवाली असुरक्षितता का डर, अकेले रहने का डर आदि।

अगर दोनों के बच्चे न हो तो, तलाक की प्रतिक्रिया आसान हो जाती है। अगर बच्चे हैं, तो तलाक के बाद बच्चों की क्या व्यवस्था की जाए इस पर झगड़ा हो सकता है। 'क्या मेरी लैंगिकता साथीदार को मालूम होने पर कोर्ट मुझे बच्चों की

कस्टडी देगा?', 'कम-से-कम व्हिजिटींग राईट्स मिलेंगे या नहीं?', 'बच्चों के भविष्य के बारे में निर्णय लेते वक्त मुझे पूछा जाएगा या नहीं?' आदि सवाल सामने आते हैं।

कुछ रिश्तों में ऐसा देखा जाता है की, साथीदार की लैंगिकता समझने पर भी तलाक के लिए दोनों राजी नहीं होते। तलाक से बदनामी होगी, लोग भला बुरा सुनाते रहेंगे, इस डर से दोनों एक छत के नीचे रहते हैं और साथ रहने का दिखावा करते रहते हैं।

अर्थार्जन की समस्याएँ

नौकरी

नौकरी मिलते समय और वह टिक पाने के लिए अपनी लैंगिकता जाहिर करना नुकसानदायक होता है। समलिंगी व्यक्ति पूरी तरह से जानता है कि, 'मैं समलिंगी हूँ' यह बताने पर उस काम के लिए पात्र होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिलेगी। इंटरव्ह्यू लेनेवालों के मन में समलिंगी लोगों के बारे में कई गलतफहमियाँ हो सकती है- ऑफिस में यह व्यक्ति किस तरह पेश आएगा? किसी को बहकाया तो? क्या ऑफिस के बाकी लोग ऐसे व्यक्ति के साथ काम करेंगे? आदि सवाल उनके मन में रहते है। अपनी लैंगिकता छिपाने की नौबत आना अपने पर अन्याय है, यह मालूम होते हुए भी, मजबूरी से लैंगिकता छिपानी पड़ती है। नौकरी ही नहीं मिली तो क्या करेंगे? क्या खाएँगे? आखिर जीना भी तो है। इसलिए अधिकांश लोग अपनी लैंगिकता का पता नहीं लगने देते।

कुछ साल पहले की बात है। मैं जहाँ नौकरी करता था, वहाँ मैंने एक व्यक्ति का इंटरव्ह्यू लिया। वह थोड़ा-सा जनाने ढंग का था। उसकी लैंगिकता मुझे मालूम नहीं थी। काम के लिए वह एकदम उचित था। आखरी इंटरव्ह्यू के वक्त मेरे मॅनेजर ने उसे पाँच मिनिटों में चलता कर दिया। बाद में मॅनेजर ने कुत्सित स्वर में कहा 'यह औरतनुमा स्वाँग किस काम का?' मैं गुस्से से लालपिला हो गया। मगर क्या करता, उसे कुछ बोलता तो मॅनेजर को मेरे बारे में ही शक हो जाएगा, इस डर से चूप रहा। उस वक्त उस व्यक्ति की हिमायत मैंने नहीं की। मेरे इस वर्तन पर आज भी मुझे शरम लगती है।

तीस साल की उमर तक शादी न हो गई, तो एच.आर. (Human Resources) के लोग और बाकी सहकारी भी पूछते हैं, 'अभीतक आपने शादी क्यों नहीं की?',

'कब करने का इरादा है?' वगैरा। ऐसे वक्त कोई भी ऐसा वैसा जवाब देकर उन्हें टालना पड़ता है, या तो अपनी लैंगिकता बता देनी पड़ती है।

नौकरी मिल जाने के बाद, अपनी लैंगिकता जाहिर कर दी तो सहकारीयों से परेशानी होने की संभावना रहती है। वह व्यक्ति कहा नौकरी कर रहा है यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण है। अगर किसी फैक्टरी के 'शॉप फ्लोअर' पर कोई कामगार समलिंगी होने का पता चल गया, तो उसके सहयोगी उसे सताते रहते हैं। खिल्ली उड़ाते हैं, गालियाँ देते हैं, कभी हातापायी भी हो सकती है। कभी इस त्रासदी से तंग आकर वह व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है। "मैं..... में काम करता हूँ। यहाँ की मॅनेजमेंट एकदम उदारवादी है। उन्हें पता है कि मैं गे हूँ लेकिन मेरे साथ काम करनेवाले मुझे उपहास की दृष्टि से देखते है। मेरा मजाक उड़ाते हैं- मेरी चीजें छिपा के रखना जैसी हरकते करके मुझे परेशान करते हैं। इस घिनौने व्यवहार से उकताकर आखिर मैंने मॅनेजमेंट से शिकायत की। मॅनेजमेंट ने सभी लोगों को स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दी कि फिर से ऐसा हुआ तो ऐक्शन ली जाएगी। तब से यह छेड़-छाड़ बंद हो गई लेकिन अब सभी लोगों ने मिलकर मुझे बहिष्कृत कर दिया है। क्या मैं इन्सान नहीं? मेरी लैंगिकता को छोड़कर, उनमें और मुझमें क्या फर्क है?"

समलैंगिक व्यक्तियों पर नौकरी की जगह कभी कभी सुक्ष्म स्तर पर अन्याय होता है। कभी कभी यह अन्याय सुक्ष्म स्तरपर होते है। इसे कहाँ तक जिम्मेदारी सौंपी जाए? प्रमोशन दिया जाए या नहीं? कब दिया जाए? तनख्वाह बढ़ाई जाए या नहीं? यह व्यक्ति किसको रिपोर्ट करेगी। इस प्रकार के निर्णय होते वक्त सूक्ष्म रुपसे उसकी लैंगिकता का विचार किया जाता है। जमीर कांबले जी ने कहाँ, "नौकरी की जगह सब लोग मुझसे अच्छी तरह से पेश आते है। मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछले साल जब मेरे कुछ साथियों के साथ मैं बाहरगाँव गया था, तब हर बेडरुम दो लोगों ने शेअर की, पर मेरे बेडरुम में मेरे साथ आने को कोई तैयार नहीं हुआ। मुझे अकेला सोना पड़ा। वैसे, यह अरेंजमेंन्ट मेरे लिए अच्छी थी लेकिन यह बात मेरे मन को चुभ गई।"

खुले आम भेदभाव किया हो या सूक्ष्म रुपसे, इससे समलिंगी व्यक्ति का आत्मविश्वास टूटने लगता है। मेरी बुद्धिमता, मेरी होशियारी, काम करने की लगन यह मेरे प्लस पॉइंटस् होने के बावजूद मेरे काम की कोई कीमत नहीं, इस विचार से उस व्यक्ति की महत्त्वकांक्षा पर विपरीत परिणाम होता है।

जरुरी नहीं की अपनी लैंगिकता बता देने पर हमेशा तकलीफ ही हो। डॉ. राज राव जी इस बारे में अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं- "मेरे बारे में यह प्रॉब्लेम नहीं हुआ। क्योंकि मैं लोगों के मन में समलैंगिकता के विषय में जो गलेतफहमियाँ होती है, जो आशंका रहती है उसे दूर करता रहता हूँ। आम तौर पर लोगों की धारणा होती है कि समलिंगी व्यक्ति हमेशा सिर्फ सेक्स का भूखा रहता है, उसका चालचलन घटिया किस्म का होता है, समाज के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होता। इन सभी गलतफहमियों का मैंने निराकरण कर दिया। पुणे विश्वविद्यालय में मैं 'क्विअर स्टड़ीज सर्कल' चलाता हूँ। अब सभी जानते है कि यह ग्रुप सिनेमा, चित्रकला, साहित्य में दिखाई देनेवाले सामाजिक, सांस्कृतिक राजकीय पहलूओं का लैंगिकता की दृष्टि से अभ्यास करता है। न कि यह ग्रुप यहाँ डेटिंग के लिए इकट्ठा होता है। शिक्षक, अध्यापकों ने की हुई छेड़खानी के अनेक वाकयात हम सुनते हैं। लेकिन यह बात मेरे बारे में कभी नहीं हो सकती। मेरी लैंगिकता मैंने बहुत ही गंभीरता से स्वीकार कर ली है। इसी कारण मुझपर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं खुद को जबाबदेह समझता हूँ। परिणामत: मुझे समाज से कभी द्वेष, घृणा, तिरस्कार नहीं मिला। मिला सिर्फ प्यार, आदर, सम्मान।"

कुछ आय.टी. (Information Technology) कंपनीयाँ उदारवादी होती है। एक एच.आर. विभाग में काम करने वाले बोले- "आपकी लैंगिकता से हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें मतलब है आपके काम से। वो ठीक होना चाहिए। बस!"

आज का जमाना जागतिकीकरण का है। काम के हेतु अनेक पाश्चात्य लोग अपने देश में आते हैं, तथा हमारे देश के लोगों को विदेश जाना पड़ता है। इस मेलजोल का सामना करने की दृष्टि से अनेक कंपनीयाँ विविध कार्यशालाएँ आयोजित करती है। अपने कामगारों की दृष्टि, लैंगिकता के विषय में, अधिक संवेदनशील हो इस दिशा से प्रयत्न किए जाते हैं। यह परिवर्तन स्वागतयोग्य है। फिरभी कुछ कंपनीयाँ कहती है कि, 'जबतक आय.पी.सी. ३७७ में परिवर्तन नहीं होता, हम समलिंगी लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते।' [61]

व्यवसाय/उद्योग

खुद का व्यवसाय चलाते वक्त अपनी लैंगिकता बता देने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी लोगों को अपनी लैंगिकता का पता चलने पर, कुछ विशिष्ट उद्योग बंद कर देने की नौबत आ सकती है। "मैं एक पंडित हूँ। सत्यनारायण की पूजा, शादी करवाता हूँ। अगर सबको पता चला कि मैं समलिंगी हूँ, तो समझ लीजिए बारह बज गए मेरे उद्योग के।"

घर का बड़ा उद्योग हो अथवा परिवार रईस हो और ऐसे परिवार में कोई समलिंगी हो, तो उस स्त्री/पुरुष के मनमें चिंता रहती है की, 'मेरे समलिंगी होने के बारे में अगर घरवालों को पता चला और उन्होंने मुझे घरसे निकाल बाहर कर दिया तो?' इतने दिनोंतक अमिरी में रहने के बाद, अब क्या मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँगा? इतना ऐश्वर्य लताड़ ने की हिम्मत मैं दिखा पाऊँगा? या फिर, शादी करके संपत्ती पर अपना अधिकार बनाकर घर से बाहर समलिंगी रिश्ता बरकरार रखूँ?' ऐसी स्थिति में बहुत थोड़े समलिंगी लोग घरवालों को अपनी लैंगिकता बता देने का साहस करते हैं।

मानवेंद्र गोहिल जी इसका एक उदाहरण है। बरोडा के नजदीक राजपीपला शाही परिवार के मानवेंद्र गोहिल जी राजपुत्र है। २००६ में उन्होंने एक अखबार में जाहिर कर दिया कि वह समलिंगी है। नाराज होकर, घरवालों ने नोटिस दे दिया कि, अभी से, राजपीपला शाही परिवार ने मानवेंद्र जी से सभी संबंध तोड़ दिए है। [62] मानवेंद्र जी ने कहा, "मैं समलिंगी हूँ। अब क्लोजेट में रहना मेरे लिए असंभव है।" (कुछ महिनों बाद परिवारवालों ने उन्हें वापस बुला लिया। २००७ के उत्तरार्ध में उन्हें ऑप्रा वीनफ्री शो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।)

लैंगिकता का स्वीकार

जब व्यक्ति अपनी समलैंगिकता का स्वीकार करता है और धीरे-धीरे अपने पहचान के लागों को बता देने लगता है, इस प्रक्रिया को 'कमिंग आऊट' कहा जाता है।

जैसे जैसे अपनी समलैंगिकता का स्वीकार होने लगता है, वैसे-वैसे अपनी लैंगिकता छिपा के रखना दोगला वर्तन लगने लगता है। यह दोहरेपन की नीती खुद पर ही अन्याय-सा लगता है। मैं खुद से प्रेम करता हूँ ना? मैंने खुद को स्वीकार लिया है ना? फिर मैं समलिंगी हूँ यह बात दुनिया को मालूम होने में क्या हर्ज है? लोगों को क्यों न बताया जाए? अपनी लैंगिकता दुनिया को बता देने से अनेक सामाजिक समस्याएँ निर्माण होगी यह जानने के बावजूद यह बात सबको बता देना, समलिंगी व्यक्ति के मानसिक आरोग्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बन जाती है। यह बात किसे बताए? कब बताए? कैसे बताए? इन प्रश्नों पर विचार शुरु हो जाता है। हर एक व्यक्ति का 'कमिंग आऊट' का रास्ता अलग होता है।

अपनी लैंगिकता किसी को बताने से पहले, इस निर्णय पे सभी पहलुओं का विचार करना पड़ता है। ठंडे दिमाग से सोच-समझकर यह निर्णय लेना पड़ता है। कुछ लोगों में 'सर्व्हायवल स्किल्स' की कमी होती है। किसे बताए, कब बताए, कैसे बताए इन बातों की उन्हें समज नहीं होती। खुद की लैंगिकता का पूर्णत: स्वीकार किए बगैर उससे पहले ही अगर आऊट हो गए तो इसका नतीजा क्या होगा इस बात का ध्यान उन्हें नहीं रहता और अचानक, भावविवश होकर, कभी-भी, कहीं भी वे 'आऊट' हो जाते हैं- और पछताते हैं। "मैंने उसे बताया कि मैं समलिंगी हूँ। तो वह तुरंत मेरे घर पहुँचा और मेरे माँ-पिताजी को उसने सबकुछ बता दिया। अब घरवालों को सब मालूम हो गया है और वे मुझे हरकदम पर कोसते रहते हैं।"

आऊट होने से पहले इन मुद्दोंपर विचार होना जरूरी है-

आऊट होने की प्रक्रिया जिंदगीभर आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक पड़ाव पार करते हुए चलनेवाली प्रक्रिया होती है। आज किसी एक को बता दिया, अगले महिने किसी दूसरे को, फिर कुछ दिनों बाद घर में, इस तरह 'आऊट' होने की प्रक्रिया जारी रहती है। इसमें हर बार वह व्यक्ति कौन है, बताने का यह वक्त सही है या नहीं, वह व्यक्ति यह बात गोपनीय रख पाएगा या नहीं इन सभी बातों का विचार करना जरुरी होता है।

समज लेना जरूरी है की, एक बार 'आऊट' हो जानेपर सभी समस्याएँ खत्म नहीं होती। अभी जो समस्याएँ है, वो शायद थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन दूसरी समस्याएँ सामने उभरती हैं।

किसी के दबाव में आकर 'आऊट' ना हो। आऊट होने की इच्छा अपने मन में फूटनी चाहिए। इसका एक अपवाद होता है जहाँ, व्यक्ति ने घरमें खुद बता देने से पहले ही किसी प्रकार घरवालों को मालूम हो जाता है। अथवा उन्हें शक होता है। एक लड़के ने कहा, "पिछले महिने में मेरी माँ ने मेरे कमरे में एक होमो पोर्नोग्राफिक मॅगेझिन देखा। और मेरा भंडाफोड़ हो गया।"

'आऊट' होने में बहुत मानसिक तनाव आ जाता है। इसलिए मन में पक्का ठान लेने के बाद, पूरा निश्चय हो जानेपर ही आऊट होना चाहिए। कहीं ऐसी न बीत पाए कि आज आऊट हो गए, उसका तनाव बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए कल फिरसे क्लोजेट में चले गए। ऐसी दुविधा न हो।

पूर्व तैयारी

अपनी लैंगिकता के बारे में अपनी राय क्या है?

अपनी लैंगिकता संपूर्णत: स्वीकारना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उसमें थोडी भी आशंका नहीं होनी चाहिए। अगर है, तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए, उसे समझ लेना चाहिए। इसके लिए जो 'आऊट' है ऐसे समलिंगी व्यक्तियों से बातचीत करनी चाहिए। समलिंगी सपोर्ट ग्रुप में चर्चा करनी चाहिए। इस तैयारी में संवेदनशील कौन्सेलर की मदद हो सकती है। अपने सारे संदेह, आशंका, डर, गलतफहमियाँ कौन्सेलर के साथ बाँट कर, इन सभी का पूर्ण निराकरण करके अपनी लैंगिकता के बारे में मन नि:संदेह होना जरुरी है। इस विषय पर लिखी गई किताबों का सहारा लिया जा सकता है। (परिशिष्ट 'क' में ऐसी कुछ किताबों की सूची दी गई है।) विवेक आनंद ('हमसफर ट्रस्ट' के सीईओ) कहते है- "खुद की लैंगिकता के बारे में अगर नकारात्मक भावना है तो प्रथम उसे हटा देना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जबतक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते तब तक 'आऊट' मत होना।"

किसे बताए?

अपनी लैंगिकता सर्वप्रथम किसे बताई जाए? पहचान के समलिंगी दोस्त को? नजदीकी भिन्नलिंगी दोस्त को? भाई को? बहन को? माँ-पिता को? या फिर ऑफिस के किसी सहयोगी को? इनमें से कौन है जो हमें स्वीकारने की सबसे ज्यादा

संभावना है? उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? उसे पता चलते ही क्या वो बाकी लोगों को बता देगा? लैंगिक विषय के बारे में वह कितना संवेदनशील है? इस विषय पर उसकी क्या राय है? स्वभाव से वो समझदार हैं या नहीं? इन बातों का अंदाजा लगाया जाता है।

मित्र/सहयोगी को बताना

मित्र या सहयोगी को बता देनेसे पहले, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी इसका अंदाजा लेना जरुरी होता है। शुरु में बातों-बातों में, इस विषय को हलके से छेड़ा जाता है। उदा. 'कल मैंने 'माय ब्रदर निखिल' फिल्म देखी।' इसपर सुननेवालें की प्रतिक्रिया भाँप ली जाती है। सुननेवाले ने अगर कुछ खास नहीं कहा, समलैंगिकता के बारे में द्वेष या उपहास नहीं प्रकट किया, तो आगे चलकर यह विषय फिरसे छेड़ने की हिम्मत की जाती है। अगर दोस्त ने पहली ही बार अपना द्वेष जाहिर किया, तो बतानेवाला चूप हो जाता है।

धीमे-धीमे दोस्तों को आजमाकर उनको बता देना आसान नहीं होता। अगर विश्वास के साथ किसी को बता दिया, तो बतानेवाले को स्वीकार की उम्मीद होती है। बतानेवाला उससे सहारा, हमदर्दी चाहता है। लेकिन दोस्त ने अगर विपरीत अर्थ ले लिया कि, 'तुम यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसा हूँ?' तो वह दोस्त उसे धुत्कार सकता है।

अपनी लैंगिकता बता देनेपर उसकी प्रतिक्रिया किस हदतक प्रतिकूल हो सकती है, इस बात पर विचार करके, मानसिक सिद्धता कर लेनी चाहिए। तुम्हारे मन में इस बारे में कितनी दृढ़ता है, कितने निश्चयपूर्वक तुम औरों को बताते हों, इसपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तुम्हारे मनमें अगर अनिश्चितता हो, दुविधा हो, तो वही भावना उस व्यक्तितक पहुँचती है और उसी नजर से वह तुम्हारी तरफ देखता है और तुम्हे इलाज करवाने की सलाह देता है।

कभी कभी, समलिंगी व्यक्ति अपनी लैंगिकता बता देनेके लिए उस व्यक्ति को चुनता है जिससे वह प्यार करता है। समलिंगी व्यक्ति उसे बता देता है कि वह उससे प्यार करता है। इसपर अगर उस व्यक्ति ने समलिंगी व्यक्ति को ठुकरा दिया, तो यह मानसिक आघात असाह्य हो सकता है। अपनी लैंगिकता जाहिर करना एक बात है और प्यार जताना दुसरी। दोनों एक साथ कभी न करे।

अपनी लैंगिकता समझने पर दोस्तों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। कुछ दोस्त दूर चले जाते है। कुछ दोस्त साथ तो रहते है, फिर भी तुम्हारी लैंगिकता तुम

दोनों की दोस्ती में दरार बनकर रह जाती है। (कुछ दोस्तों को शक हो जाता है कि कहीं यह समलिंगी दोस्त मेरी तरफ लैंगिक दृष्टि से देखने लगा तो?) कुछ ही दोस्त, हर एक की लैंगिकता उनका निजी मामला है, इस प्रगल्भ विचार से तुम्हें पूर्ण रुपसे स्वीकारत हैं।

माता-पिता से कहना

माता-पिता को बताते वक्त उनमें से कौन ज्यादा समझदार, सहिष्णु है, इस पर विचार किया जाता है। बहुत सारे लड़के-लड़कियों को माँ पर ज्यादा विश्वास रहता है। उन्हें यकीन होता है कि इस मामले में माँ मुझे समझ पाएगी। लेकिन फिर भी व्यक्ति ने अपने माता-पिता का व्यक्तिश: विचार करना ठीक होगा। "मैंने सबसे पहले मेरी माँ को बताया। उसे जोर का धक्का लगा। मेरा अंदाजा था कि पिताजी कभी भी मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों के बारे में मेरा अंदाजा सही निकला। पिताजी अभीतक परेशान है, लेकिन माँ अब ओके है।"

दूसरे एक लड़के ने बताया, "मेरे माँ-बाप को जो मानसिक क्लेश पहुँचे वे मेरी अपेक्षा से बाहर थे। लगातार रोते ही रहते। मुझे और अपने नसीब को हमेशा कोसते रहते। 'जनम लेते ही तुम मर क्यों नहीं गए?' यही बात मुझे सुनाते रहते थे। मेरी लैंगिकता सुनकर उन्हें आघात होना स्वाभाविक था, लेकिन इतनी गहरी चोट उन्हें लगेगी, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि इस हालत में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सहारा दिया, अच्छा साथ निभाया। उसकी माँ ने उसे अपना लिया था, इसलिए उनका भी आधार रहा।"

अपनी समलैंगिकता घरवालों को कब बताई जाए, यह बात घरवालों का स्वभाव, घर की परिस्थिति, परिवेश इन बातों पर निर्भर होती है। कुछ लोग अपनी लैंगिकता स्वीकारने के बाद तुरंत 'आऊट' हो जाते हैं। एक-एक करके सबको बता देते है। कुछ लोग शादी की बात छेड़ जाने तक चूप रहते हैं। तो कुछ नौकरी मिलने के बाद, स्वयंपूर्ण होने के बाद बता देते हैं- इसके पीछे विचार होता है कि, अगर घरवालों ने बाहर कर दिया, तो अपने पाँवपर खड़ा रह सकूँ। "मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहते थे कि, 'अभी घर में बता देनें की जल्दबाजी मत कर। पढ़ाई खत्म होने दे, अपने पाँव पर खड़ा हो जा और बाद में बोल।' परंतु मैं मेरे घरवालों को अच्छी तरह से पहचानता था। मुझे यकीन था कि मेरी समलैंगिकता उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वे ज्यादा परेशान नहीं होंगे। और वैसेही हुआ। कॉलेज के दिनों में ही मैंने घरवालों को विश्वास में लेकर सब बता दिया। अब टीवी पर 'विल अँड ग्रेस' प्रोग्राम आता है, तो वे मुझे देखने का आग्रह करते है।"

कुछ लोग आमने सामने माता-पिताको बताना पसंद करते है। लेकिन दोनों को एक साथ नहीं बताते। कुछ लोग खत लिखकर अपनी समलैंगिकता घरवालों को बता देते है। सावधानी बरतनी पड़ती है कि खत उचित व्यक्ति के हाथ में जाए। कुछ अपने भाई/बहन से बात करते हैं और उन्हें माता-पितातक यह बात पहुँचाने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं।

बताते समय शुरुआत कैसी करे? हरएक के अपने तरीके होते हैं। हर कोई अपना रास्ता ढूँढ निकालता है। इनमें कोई होते है जो सिर्फ इतना बताते है कि, 'मैं शादी नहीं करना चाहता।' घरके लोग इसकी वजह पूछते है, तब बहुत सारी अनाकानी करने के बाद कह देते है, 'मुझे लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती।' और आखिर में बताते है कि, 'मैं समलिंगी हूँ'। एक लड़के ने इस बारे में कहा, ''मैंने घर में इस प्रकार बताया- 'मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अपना रिश्ता विश्वास का है। आज तक अपनी जिंदगी की हर छोटी मोटी बात हम एक दूसरे के साथ बाँटते रहे है। उसी सच्चाई और इमानदारी के साथ मैं आज आपको एक महत्त्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मैं 'गे' हूँ।' ''

प्रतिक्रिया

अपनी लैंगिकता समझ जाने के बाद लड़के-लड़कियाँ जिस तरह कुबलर-रॉसने बताए हुए पड़ाव से गुजरते हैं, वैसेही अपना बेटा/बेटी समलिंगी होने की बात समझ जाने के बाद माता-पिता भी ऐसे ही पड़ाव अनुभव करते है। अधिकांश माँ-बाप इस बातपर बेहद दु:खी हो जाते है। इस आघात से बाहर निकलनें मे उन्हें बहुत वक्त लग सकता है। बहुत कम पालक अपने बच्चे को तुरंत स्वीकारते है। कुछ माँ-बाप तो जिंदगीभर उसे अपनाते नहीं। वे आशा लगाए बैठे रहते हैं कि यह आकर्षण अस्थायी रुप का होगा। कुछ दिनों के बाद उसका लैंगिक झुकाव बदल जाएगा। कुछ माँ-बाप बच्चे से नफरत करने लगते है। बाहर पता चल गया तो, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, यह डर मन में होता है। घरके पुरुष को डर रहता है की लोग उसकी मर्दानगी पर शक करेंगे। माँ को डर होता है की, पति और बाकी रिश्तेदार उसे दोषी ठहराएँगे। हमारी ही झोली में ऐसा बच्चा क्यों? क्या पाप किया था हमनें? इसकी परवरिश में कुछ कमी तो नहीं रही? आगे चलकर इसका क्या होगा? आदि नकारात्मक विचारों से मन हताश होता है। आखिर कुछ माँ-बाप मजबूरन अपने बच्चे को स्वीकारते है। पूर्ण रुपसे अपनानेवाले माँ-बाप बहुत कम होते है। माँ-बाप कौन-सी संस्कृति में पले हैं, कितने संवेदनशील, समझदार हैं, इन बातों पर उनकी प्रतिक्रिया अवलंबित रहती है।

कुछ पालकों को यह बात इतनी घिनौनी लगती है कि झल्लाकर वे बेटे/बेटी को घरसे बाहर निकाल देते है। एक लड़के ने कहाँ, ''उन्होंने मुझे सुनाया कि आज से तू हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए मर गए।''

इस तरह से घर से बाहर निकाले गए बच्चों के मन में घरवालों के प्रति गुस्सा रहता है, कि बिना सोचे समझे, उन्होंने एकदम बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन मन ही मन उनके साथ रहने के लिए कुढ़ते रहते हैं। शुरू में ऐसे बच्चों मे यकायक मन भर आना, चिड़चिड़ाहट, निराशा दिखाई देती है। धीरे-धीरे आदत पड़ जाती है। फिर भी घर की और मन खिंचना ही रहता है। 'मैं जैसा हूँ वैसा घरवाले मुझे स्वीकार लें' यह इच्छा मन में हमेशा रहती है।

कुछ माँ-बाप एक बार बहस हो जाने के बाद फिर से यह विषय छेड़ते नहीं। एक स्तरपर यह ठीक भी लगता है। क्योंकि इसमें शादी-ब्याह का विषय टल जाता है। लेकिन, उसके साथ, अफसोस की बात यह है की, एक दूसरे के साथ होनेवाला संवाद हमेशा के लिए बंद होता है।

अपने बेटे की समलैंगिकता जानकर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया नरम होती है। ''मेरे घरके लोगों को कुछ धक्का-सा जरूर लगा, लेकिन उन्होंने इसका इश्यु नहीं बनाया। माँ को थोड़ा दु:ख हुआ। आगे चलकर तुम्हारा कैसे होगा? बुढापे में कौन देखेगा तुम्हें? यह उसकी प्रतिक्रिया थी। घरवालों ने स्विकारने का एक कारण यह है कि मेरे माँ और पिताजी के कई गे दोस्त हैं। इसलिए मेरे गे होने का पता चलने पर भी उन्हें इतना विपरित नहीं लगा।''

अधिकांश जगह दिखाई देता है कि, घरवालों की पहली प्रतिक्रिया तीव्र होती है लेकिन धीरे धीरे माँ-बाप इस आघात से सहज जाते हैं। विचार करने लगते हैं कि बच्चे की लैंगिकता भले ही हमें मंजूर न हो, फिर भी एक दूसरे को सहारे की जरूरत है। अपने बच्चे की लैंगिकता का स्वीकार करके, यह बात किसे बताई जाए, कब तक छिपाई जाए, बच्चा साथ रहेगा या अलग इन विषयों पर बच्चे के साथ चर्चा करने लगते हैं। दोनों मे सुलह हो जाती है। यह एक दीर्घ काल चलनेवाली प्रक्रिया होती है। एक-दो महिनों में सब बातें सुलझाई नहीं जा सकती। इसे कई साल लगते हैं। एक व्यक्ति ने कहाँ, ''शुरूमें घरवालों को धक्का लगा। आज चार साल बाद, माँ ने कहा, 'कोई साथीदार ढूँढ़ लो। (पुरूष साथीदार) और उसके साथ रहो। अकेले कब तक रहोगे?'''

⊙ ⊙

समलिंगी रिश्ते

हर व्यक्ति चाहता है कि, जिंदगी में कोई अपना हो जिसके साथ प्रेम, सुख-दु:ख बाँट सकूँ। समलिंगी व्यक्ति भी इसे अपवाद नहीं होते।

अत्यंत प्रतिकूल स्थिति में समलिंगी व्यक्ति साथीदार ढूँढ़ने का प्रयत्न करते हैं, रिश्ते जताने का प्रयास करते हैं। कुछ समलिंगी लोगों को जिंदगीभर साथीदार मिल नहीं पाता, फिर भी उनकी तलाश जारी रहती है। जिनकों अच्छा साथीदार नसीब होता है, उसके साथ रहने के लिए, उसका साथ निभाने के लिए कड़े परिश्रम उठाते हैं।

कुछ जोड़ीयां ज्यादा समय टिक नहीं पाती। कुछ प्रेमी, थोडे समय के लिए साथ रहकर अलग होते हैं। कुछ जोड़ीयां कई साल एक दुसरे का साथ निभाती हैं। जैसे समझदार रिश्ते देखे जाते हैं, वैसे ही शोषण करनेवाले रिश्ते भी देखे जाते हैं। भिन्नलिंगी जोड़ों में जितने रंग हम देखते हैं, वे सभी यहाँ भी मौजूद होते हैं।

साथीदार की तलाश

अपने समाज़ में समलिंगी साथीदार ढूँढ़ना मुश्किल होता है। समलिंगी झुकाव के लोग आसानी से पहचाने नहीं जाते। जब तक कोई व्यक्ति अपनी लैंगिकता जाहिर नहीं करता तब तक उसकी पहचान नहीं की जा सकती। अगर अपना साथीदार ढूँढ़ना है, तो (समान लिंग के) समलिंगी व्यक्ति से पहचान होना जरूरी है। कोई व्यक्ति अच्छा लगा, तो भी सिधे उसकी लैंगिकता पूछी नहीं जा सकती। कोई तरकीब लड़ाकर, उसे संदेश देना पड़ता है की, उससे कोई चाहता है (और चाहनेवाली व्यक्ति समान लिंग की है)। समलिंगी व्यक्ति का संदेश उस व्यक्ति तक ठीक तरह से पहुँच जाने पर भी अगर वह दूसरा व्यक्ति भिन्नलिंगी झुकाव का है, तो वह गुस्सा हो सकता है। (साथीदार को ढूँढ़ते समय कुछ समलिंगी व्यक्ति भिन्नलिंगी झुकाव के व्यक्तिओं पर ज्यादती बरतते हैं। समलिंगी व्यक्ति को अनदेखा करने पर भी वह उस भिन्नलिंगी व्यक्ति के पीछे पड़ते हैं। (जैसे की कुछ लड़के लड़कियों के पीछे रहते हैं) इस पिछलग्गूपन से उस व्यक्ति के मन में समिलिंगी लोगों के बारे में घिन होने लगती है।

इसके अलावा, समलिंगी व्यक्ति दोस्तों से मिलके, ई-मेल लिस्टस्, चॅट रूम्स्, गे पार्टीज के जरिए साथीदार ढूँढ़ने की कोशिश करते है। साथीदार मिल गया

तो भी, समलिंगी लोगों के लिए बहुत कम जगह ऐसी होती हैं, जहाँ वे साथीदार से अकेले में मिल सकेंगे। साथीदार को घर नहीं ले जा सकते! इसलिए कभी-कभी रात में सार्वजनिक जगह लैंगिक संबंध प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं। "मुझे उस पुलिस ने बोला, 'अच्छे घरके दिखाई देते हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँसे।' " लेकिन इतनी सभ्यता से पेश आनेवाली पुलिस कम होती है। अधिकांश पुलिस ऐसे लोगों को थाने में ले जाती है, मारपिट करती है। कभी-कभी गलती से किसी दूसरे को ही पकड़ लिया जा सकता है। मेरे एक दोस्त का अनुभव, "रात के दस बज रहे थे। थंडी हवा चल रही थी। रास्ते में मुझे पेशाब के लिए रूकना पड़ा। पेशाबघर से बाहर आते ही एक व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया। मेरे स्कुटर की चाबी हाथ से लेकर कहा, 'यहाँ पर क्या धंधा करने आए हो?' मैनें सीधा जबाब दिया, 'कुछ नहीं। पेशाब के लिए रूका था।' फिर भी जबरदस्ती वो मुझे थाने ले गया। उसके साहब ने मुझे छोड़ तो दिया, पर सुनाया, 'क्या करें, हमारे देश में डेमॉक्रसी है ना, सभी को बहुत चरबी चढ़ी है। अगर फिर से इस जगह दिखाई दोगे तो मार खाओगे।' " मेरे दोस्त के साथ पुलिस का यह बर्ताव सरासर गलत था।

समलिंगी व्यक्ति को एक अच्छा साथीदार मिल गया, उसके साथ लैंगिक संबंध प्रस्थापित हो गए, तो भी यह नाता इस सनातन समाज में कायम रखना, जताना कठीन होता है। नाता निभाने में किसी की मदद नहीं मिलती। दोनों साथीदार एक दूसरे से बेहद प्यार करने के बावजूद भी जितना हो सके, कोशिश करके बाकी की बातें किस्मत के हाथों सौंपनी पड़ती हैं।

बहुत सारी कोशिशों के बाद कोई साथी मिल गया, तो बाकी किसी बातपर बिना सोचे-समझे, उसे अपना लिया जाता है। अच्छा साथीदार न मिला तो उससे बेहद तकलीफ हो सकती है। अगर जिंदगी भर के लिए साथीदार ढूँढ़ना है तो बहुत सारी बातों के बारे में सोचना जरुरी है ताकि आगे चलकर परेशानी न हो।

इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है, दोनों साथीदारों का एक दूजे के लिए भावनिक/शारिरीक आकर्षण होना। एक तरफा प्रेम कभी सफल नहीं होता। उदा. मानो दोनों में से एक समलिंगी झुकाव का है और दूसरा भिन्नलिंगी झुकाव का है। समलिंगी पुरूष भिन्नलिंगी झुकाव के पुरूष से जी जानसे प्रेम करता है। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, ताकि वह छोड़कर चला न जाए। ऐसी स्थिति में भिन्नलिंगी व्यक्ति समलिंगी व्यक्ति का गैर फायदा उठा सकता है। एक लड़के ने कहा, "मुझे वह बहुत अच्छा लगता है। उसके सिवा मैं रह नहीं सकता पर वो साला

कहता है, 'मैं क्या तुम्हारे जैसा गांडू हूँ?' गाली-गलौज देता है। जरूरत पड़ने पर दो-चार दिन नजदीक आता है, मीठी बातें करता है। उससे मेरी आशाएँ फिरसे पनपती हैं। फिर वो मुझसे पैसे माँगता है। उसे पक्का मालूम हैं, मैं ना नहीं कह सकता। पैसे मिल जाने पर फिर से गालियों की बौछार करता है। इस त्रासदी के कारण मुझे शराब की लत लगी है।''

जिस तरह, कुछ समलिंगी पुरूष, भिन्नलिंगी पुरुषों से प्रेम करते है और आशा लगाए बैठे रहते हैं की कभी न कभी वह मुझे अपना लेगा उसी तरह कुछ भिन्नलिंगी स्त्रियाँ समिलिंगी पुरूषों से प्यार करती है। उस पुरुष ने कितना ही समझाया की, 'मैं समलिंगी हूँ, गे हूँ, मुझे तुम्हारा या और किसी स्त्री का आकर्षण नहीं है', तो भी कुछ स्त्रियाँ मानती नहीं, आज नहीं तो कल सही, वह बदल जाएगा, यह उम्मीद लिए रहती हैं।

कुछ भिन्नलिंगी महिलाएँ ऐसी होती हैं, जिन्हे समलिंगी पुरूष अपनी और आकर्षित नहीं होता, इस बात से उनके अहंकार को ठेंस पहुँचती है। उन्हें गर्व रहता है कि, 'मैं इतनी सुंदर हूँ, कोई भी पुरूष यूँ मेरे वश में हो जाएगा।' ऐसी औरतों के लिए समलिंगी पुरूष एक चुनौती होते हैं और इस वजह से वे मजाक का विषय बन जाती है।

जोड़ीदार मिलने पर शुरू में अपने बारे में सभी बातें बताई नहीं जाती। जो बताई जाती हैं वो भी सच्ची नहीं होती। परंतु जब उसका साथ हमेशा के लिए बना रहे ऐसी इच्छा होती है, तब उसे अपने बारे में संपूर्ण और सच्ची जानकारी देना जरूरी है।

दोनों की नीतिमत्ता, नीतिमूल्य समान होना आवश्यक होता है। अगर उनमें दरार है, तो आगे चलकर तनाव आने की संभावना होती है।

दोनों साथीदार अगर अलग अलग जात या धर्म के हो, तो सांस्कृतिक, धार्मिक पहलूँ का भी विचार होना चाहिए। अपने अपने रितीरिवाजों का पालन करने के लिए एक दूसरे को सहुलियत दे पाएँगे? अपने रिवाज में साथीदार ने भी शरीक होने की जिद करेंगे? अगर वह तैयार नहीं हुआ तो रिश्ता विवादास्पद बन सकता है। ''मेरा एक साथीदार मुस्लिम था। मैं उसे बहुत प्यार करता था। कुछ दिनों के बाद उसने कहा, 'तू मेरी बीवी है, इसलिए तुझे धर्मांतर करना होगा।' मैंने साफ इन्कार कर दिया और रिश्ता तोड़ डाला। जो मुझे मेरे धर्म के साथ स्वीकार नहीं सकता, उसके साथ रिश्ता कैसे और क्यों रखा जाए?''

जो लोग धार्मिक नहीं होते या दोनों एक ही धर्म के होते हैं, तब दो राय होने कीं संभावना कम होती हैं। "हम दोनों साथ मिलकर पूजा-पाठ करते हैं। उससे मन को प्रसन्नता मिलती हैं। पहले हम धार्मिक समारोह में शरीक नहीं होते थें। परंतु धीरे-धीरे यह स्थिति बदल गई। इन समारोह में हमारे रिश्तेदार आते हैं, वे भी हमें आमंत्रित करते हैं। अब विभिन्न तरीके से उन्होनें हमें उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल कर लेने का प्रयास किया है और हमें भी ऐसी जगह जाने में, उनके साथ मेलजोल रखने में आनंद आने लगा है। हम दोनों एकही धर्म के होने के कारण, मतभेद नहीं होते, लेकिन कभी कभी मजेदार किस्से होते है। मैं वैष्णव हूँ। कभी कभी मेरी माँ मेरे घर आती है। उस समय मेरे साथीदार ने अगर शंकर भगवान के स्त्रोत्र जरा अधिक मात्रा में कहे, तो तुरंत मेरी माँ विष्णुस्त्रोत्र दोहराने लगती है।"

एक बुनियादी सवाल होता है, की क्या दोनों ही सहयोगियों ने अपनी लैंगिकता स्वीकार ली हैं? दोनों का स्वीकार महत्त्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक तरफ रिश्ता बनाए, बढ़ाए जाना और दूसरी तरफ उसी रिश्ते के बारे मे मन में शर्म की भावना रहना, ऐसी दोहरी स्थिति में नाता टिक नहीं पाता। उदा. कुछ लोग धर्म सें बहुत प्रभावित रहते हैं और समलिंगी रिश्ता और खास करके समलिंगी संभोग के बारे में उन्हें अपराधी भावना सताती रहती हैं। रिश्तेपर इसका बुरा असर होता हैं। "हमारा रिश्ता टिक नहीं पाया। सेक्स की उसकी कल्पना बिल्कुल अलग थी। उसे सेक्स की इच्छा तो रहती थी मगर सेक्स करना उसे पाप लगता था। सेक्स के तुरंत बाद वो भगवान की प्रार्थना करता, माफी माँगता था। उसकी यह आदत मुझे गड़ती थी। उसका वर्तन मुझे, मेरा और मेरे प्रेम का अपमान लगता था। मैंने धीरज के साथ कुछ दिन नाता निभाया। लगता था की धीरे धीरे वह बदलेगा। लेकिन उसमें रत्तीभर भी बदल नहीं हुआ। आखिर तंग आकर मैंने उसे छोड़ दिया।"

दोनों के रिश्ते में समान स्तर का नाता होना निहायत जरूरी बात होती है। क्या 'इन्सर्टिव्ह' साथीदार 'रिसेप्टिव्ह' साथी को समानता से देखता है? या 'रिसेप्टिव्ह' साथी कम हैसियत का है, ऐसी उसकी धारणा है? क्या 'रिसेप्टिव्ह' साथीदार 'इन्सर्टिव्ह' साथी को समानता से देखता है? या उसे श्रेष्ठ समझता है? दोनों प्रकार की भावना होना नुकसानकारक होता है। श्रेष्ठ, कनिष्ठ का विचार रिश्ते पर आघात कर सकता है।

कुछ रिश्तो में देखा जाता है की जो सहयोगी ज्यादा समझदार है, जिसे इस रिश्ते की ज्यादा जरूरत है, उसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। उस पर अन्याय

होता रहता है। हर बार उसी को समझौता करना पड़ता है। ऐसे रिश्तों में अधिकांश जगह 'रिसेप्टिव्ह' सहयोगी को कम दर्जा दिया जाता है। अनेक भिन्नलिंगी जोड़ों में जो 'हायरारकी' (पुरूष श्रेष्ठ, स्त्री कनिष्ठ) दिखाई देती है, ठीक वैसा ही रिश्ता कुछ समलिंगी जोड़ों में होता है। "मैं बहुत रोता था। मेरे साथ रहने के लिए उसे मनाता रहता। वो मुझसे पैसे माँगता था। वो भी मैं खुशीसे उसे दे देता था। मैंने पैसे भी कभी वापस नहीं माँगे। उल्टे वो मुझसे पैसे माँगकर मुझपर हक जताता है यह बात मुझे अच्छी लगती थी। एक साल पहले मैंने मेरे बैंक में जिलने पैसे थे, सभी उसी को दे डाले। उसे रिक्षा खरीदनी थी। उस समय से उसने मुझे मिलना कम कर दिया। मानसिक क्लेश के कारण मैं बीमार हो गया। उसे बहुत बार बुलावा भेजा, पर वह आया नहीं। बाद में पता चला कि अब वह किसी और पुरूष के साथ रहता है।"

कुछ जोड़ियों में शोषण, मारपीट दिखाई देती है। मार खानेवाला चुपचाप अन्याय बर्दाश्त करता रहता है। उसकी भावना होती है की, 'वह मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए अधिकार जताता है। इसमें उसका क्या दोष है?' उसके मनमें असल में यह डर छुपा रहता है की, बड़ी मुश्किल से कहीं जा के एक साथी मिला है। उसे खो दिया तो दूसरा शायद ना मिले। अगर मिल भी गया तो वह अच्छा होगा इसकी क्या गारंटी?

कभी कबार सख्त आर्थिक जरूरतमंद व्यक्ति केवल पैसे के लिए दूसरे अमीर व्यक्ति के साथ रह सकता है। कोई बुढ़ा अमीर व्यक्ति, जवान पुरूष को अपना रखेल बना लेता है। नौजवान सिर्फ पैसे के लिए यह नाता मान लेता है। उस नौजवान ने अगर लैंगिक सुख के लिए दूसरा साथी ढूँढ़ लिया तो बुढ़ा ईर्ष्या से जलने लगता है। जवान लड़के को अपनी मुट्ठी में रखने का प्रयास करता है। उस नौजवान को जरूरत नहीं रही, या इस रिश्ते से घुटन महसूस होने लगी तो वह बुढ़े को अलविदा करता है।

एकनिष्ठता

क्या आप, अपने साथीदार के साथ वफादारी निभाना इस रिश्ते की बुनियाद मानते है? कुछ लोग मानते है की, लैंगिक दृष्टि सें दोनो ने एकनिष्ठ होना चाहिए। आपस के प्रेम, विश्वास की वह बुनियाद है। "हम दोनों एक दूसरे के साथ एकनिष्ठ हैं। हमें यह रिश्ता निभाना है। अगर हमारा ही निग्रह टूट गया तो और कोई सहारा मौजूद नहीं हैं, जो यह रिश्ता सुरक्षित रख सके। दूसरे किसी के बारे में लैंगिक आकर्षण महसूस होना, किसी से प्यार हो जाना, यह मनुष्य स्वभाव है। परंतु उसके

लिए हमारे रिश्ते पर आँच नहीं आनी चाहिए। हम दोनों 'गे पार्टीज्' में भी नहीं जाते। यह रिश्ता बनाए रखने के लिए हम दोनों ने बहुत परिश्रम उठाए है। किसी भी कीमत पर हम यह रिश्ता गँवाना नहीं चाहते।''

इस विषय में विवेक आनंद जी कहते है, ''मैं व्यक्तिश: रिश्तो में यकीन नहीं करता। प्यार का पहला दौर खत्म होते ही जोड़ी उस रिश्ते से उब जाती है। अर्थात कभी रिश्ता बनाने को मेरा मन करेगा तो मैं एकनिष्ठता पर आधरित नाता ही रखुँगा। चाहे वह कितना ही उचाटने वाला हो। ओपन रिलेशनशिप में मैं विश्वास नहीं करता।''

रिश्तों का और एक प्रकार है जिसे ओपन रिलेशनशिप (Open Relationship) कहते हैं। इसमें दो व्यक्ति एकसाथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ लैंगिक संबंध रखते हैं। मगर दोनों को और किसी के साथ लैंगिक संबंध रखने की भी सहुलियत होती है। इसमें यह धारणा होती है की, 'बाहर किसी और से संबंध रखने से हम दोनों के प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी।' ''हमारी ओपन रिलेशनशिप है। हम दोनों स्वतंत्र रूप से बाहर औरों के साथ संबंध रखते हैं। हमारे लिए यह बात कुछ खास अहमियत नहीं रखती। इसमें दो प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ती है। हमेशा और सही तरीके से कंडोम का उपयोग करना और कभी किसी के प्यार में बहकने का डर पैदा हो जाए, तो तुरंत उसे अलविदा करना। अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो रिश्ता है, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए, इस उसूल का पालन करना। कई सालों से हम दोनों एकसाथ है और अभी तक यह व्यवस्था अच्छी चल रही है।''

क्या सहयोगी आउट है?

दोनों सहयोगी अगर आउट नहीं हैं तो आगे चलकर यह रिश्ता कब तक टिक पाएगा, इस पर विचार करना जरूरी है। कुछ लोग फैसला करते हैं की, हम दोनों (भिन्न लिंग के व्यक्ति से) शादी कर लेंगे। और साथ में यह समलिंगी नाता भी निभाते रहेंगे। ''उसने शादी कर ली। उसके बच्चे हो गए। उसने मुझे कहा कि तुम भी डरना नहीं, शादी कर लो। सब ठीक हो जाएगा। मैंने शादी कर ली। मेरे भी बाल-बच्चे हैं। अब भी कभी कबार हम मिलते हैं।''

एक व्यक्ति ने कहाँ, ''मैंने शादी की। उसने नहीं की। कभी-कभी हम मिलते हैं। लेकिन अब मेरी दुनिया बदल गई है। घर गृहस्थी सँभालते मैं उसके लिए वक्त नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी सुख-दुख में उसकी याद आती है। उस वक्त उसके साथ रहने का मन करता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता इस बात का बड़ा दुख होता है। पर क्या करु?''

साथी ने भिन्न लिंग के व्यक्ति से शादी करके अपने साथ चोरी छिपे संबंध रखना, कई समलिंगी लोगों को जँचता नहीं। उन्हें यह बात मानहानिकारक लगती है। "उसने कहा, 'मैं शादी करने के बाद भी तुमसे संबंध रखूँगा' मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसे साफ साफ बता दिया, 'एक बार तुम्हारी शादी हो जाने के बाद, मैं तुम्हारा मुँह तक नहीं देखूँगा।' उसकी शादी हो गई। बहुत साल बीत गए। अब भी कभी कभी वो मेरे साथ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मैं आँख उठाकर भी नहीं देखता, देखूँगा भी नही!"

समलिंगी दंपती में अगर एक आऊट होगा, तो हर पग पर समझौता उसीको करना पड़ता है। इस बात से उसे बहुत घुटन हो सकती है। आज नहीं तो कल साथी भी आऊट हो जाएगा, इस उम्मीद पर रहनेवाले साथी को अगर समझ जाए की उसका साथीदार आऊट होने के लिए तैयार नहीं है, तो रिश्ता टूटने की संभावना होती है। "मैं आऊट हूँ, पर मेरा पार्टनर आऊट नहीं है। बहुत सालों से हम एकसाथ रह रहे हैं। उसके घरवालों को लगता है की हम रूममेटस् हैं। उन्हें सच बात का पता चलने पर क्या होगा, मुझे मालूम नही। मैं किसी भी हालात में इस रिश्ते को टूटने नहीं दूँगा।"

एक लड़की बोली, "मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। मैंने कई बार उसे समझाया की, 'परिवारवालों को एक बार बता ही दो, जो होगा वो देखा जाएगा।' इस बात को लेकर हम दोनों में कई बार झगड़े हो गए हैं। कुछ दिन तक हम एक दूसरी से बात नहीं करती। फिर मेल हो जाता है। मैं कहती हूँ, 'ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता हैं? घरवाले तुम्हें बाहर निकाल देंगे? निकालने दो। हम दोनों कमानेवाली है, स्वतंत्र है। इस तरह कितने दिन लटकते रहेगें?"

दोनों में से अगर एक ही आऊट हो तो समाज में रहते वक्त कठिनाई होती है। दोनों साथ बाहर घूम फिर नहीं सकते। बाहर गए तो भी हमेशा सतर्क रहना जरूरी होता है की किसी को शक न हो। दोस्त, रिश्तेदारों के घर जब कोई समारोह होता है, तब बाकी के लोग अपने सहयोगी को साथ लेकर आते हैं। वहाँ समलिंगी व्यक्ति को हमेशा अकेलाही जाना पड़ता है अथवा जाना टाल देना पडता है। भिन्नलिंगी लोगों को, यह सब फालतू की बातें लगती है। लेकिन इन छोटी-छोटी बातों से भी रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है।

अगर दोनों साथी आऊट हैं, तो कुछ नए सवाल उपस्थित होते हैं। लड़का घर छोड़कर दूसरे पुरूष के साथ घर गृहस्थी बसाने जा रहा है, यह कल्पना माँ-

बाँप के लिए बेहद क्लेशदायक होती है। इकलौता लड़का हो तो वह अपने साथ ही रहे, यह माँ-बाँप की इच्छा होती है। जहाँ परिवार में दो-तीन लड़के हैं, वहाँ, जो अविवाहित समलिंगी लड़का है, वो ही माँ-बाँप की बूढ़ापे की जिम्मेदारी उठाए यह अपेक्षा रहती है। साथ और एक अपेक्षा रहती है की अपने बेटे का साथीदार इस घरमें न रहे। "मेरे दो भाई शादीशुदा है। वे अलग रहते हैं। मेरी शादी नहीं हुई है। तो सभी परिवारवोलों ने तय किया है की माँ-पिताजी बुढ़ापे में अब मेरे ही जिम्मे रहेंगे। उन्होनें मुझे स्वीकार जो लिया है, बस उसीकी कीमत चुका रहा हूँ। मुझे बिलकूल ही प्रायव्हसी नहीं मिलती। मैं साथीदार को घर नहीं ला सकता।"

घर के लोगों को अगर समलिंगी रिश्ता मंजूर नहीं हुआ तो वे झगड़ा करने पर तुल जाते हैं। यह रिश्ता उन्होनें अगर मजबूरन स्वीकार लिया हो, तो मन में कहीं न कहीं गुस्सा छिपा रहता है, और कभी भी बेवजह इसका विस्फोट हो सकता है। समलिंगी व्यक्ति अगर बीमार हो गया, तो क्या उसके साथीदार को उसे मिलने देंगे? या उन्हें अलग कर देंगे? अगर वह व्यक्ति गुजर गया तो अंतिम करने के लिए उसके साथीदार को इजाजत देंगे? या उसे जान बूझकर दूर रख के उसका बदला लेंगे?

दो पुरूषों का (अथवा दो औरतों का) अपना घर छोड़कर एकसाथ रहने का फैसला एक महत्त्वपूर्ण और दुरगामी परिणाम करनेवाला निर्णय होता है। छोटे गाँव में इस तरह एकसाथ रहना नामुमकीन होता है। लोगों का तीव्र विरोध होता है। एक दूसरे को मिलने न देना, जबरदस्ती अलग करके बंदी रखना, भिन्न लिंग के व्यक्ति से जबरदस्ती शादी करवाना आदि प्रकारों से उनका जीना हराम कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ जोड़े भाग जाते हैं, तो कुछ जोड़े, इस दुनिया में हमें कोई नहीं समझ पाएगा इस विचार सें मायूस होकर खुदकुशी कर लेते हैं। [63]

छोटे गाँव की अपेक्षा, बडे शहरों में समलिंगी दंपती को रहना आसान होता है। हो सकें तो, शहर में वे अपना घर खरीद लेते हैं, बाकी जोड़े किराए पर घर लेते हैं। मेरी कार्यशाला में, मैं एक सवाल करता हूँ, "समझ लो तुम्हे एक घर किराए पर देना है। पर कोई मिल नहीं रहा है। दो पुरूष तुम्हारे पास आकर कहें की, 'डिपॉजिट, किराया हम दे देंगे। हम समलिंगी दंपती है।' क्या तुम उन्हें घर किराए पर दो गे? प्राय: सभी का उत्तर ना में होता है। कोई भी उनकी बाकी जानकारी पूछता नहीं। कहाँ से आए हो? नौकरी कहाँ करते हो? आदि बातें जान लेने की तकलीफ कोई उठाता नहीं। वे एक समलिंगी दंपति है, बस! यही एक कारण उन्हें

घर न देने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए मजबूरन, कुछ जोड़े, 'हम रूममेटस् है', बताकर घर किराए पर लेते है। प्रतिकुल परिवेश में भी अपना घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं।

दै. लोकमत में छपा हुआ एक समाचार [64]

सभी बंधन तोड़ के वे विवाह बंधन में बँध गई।

कोरपुट (ओरिसा) दि.६ : युरोप-अमरिका की समलिंगी विवाह की धुन अब ओरिसा के कोरपुट जैसे दुर्गम आदिवासी गाँव में भी पहुँच गई है। आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति से अनजान घुमूट नामक गाँव की दो लड़कियों नें सभी सामाजिक बंधनों को ठुकराकर शादी कर ली है। यह शादी यहाँ चर्चा और उत्कंठा का विषय बनी है।

⊙ ⊙

लैंगिक आरोग्य

समलिंगी साथियों ने संभोग संबंधी दो महत्त्वपूर्ण बातें हमेशा ध्यान में रहना निहायत जरूरी है- एक शारिरीक सफाई और दुसरा जिम्मेदारी से निभाया लैंगिक वर्तन।

शारिरीक सफाई

शरीर साफसुथरा रखने की दृष्टि से हररोज साबुन से नहाना चाहिए। पुरूषों के शिश्नमुंड (लिंग का मुंड) पर जो चमड़ी रहती है (fore skin) उसके अंदर के बाजू एक स्त्राव तैयार होता है। यह स्त्राव सुख जाने पर उसका चूर्ण बनता है (स्मेगमा)। इस चूर्ण से दुर्गंधी आने लगती है। इसलिए नहाते समय शिश्नमुंड की चमड़ी पीछे लेकर पानी और साबुन से शिश्नमुंड धोना चाहिए।

कुछ पुरुषों में यह चमडी कसी हुई रहती है। जब ऐसा व्यक्ति इन्सर्टिव्ह भूमिका लेकर गुदमैथुन करने का प्रयास करता है, तो यह चमडी पीछे आने में बहुत तकलीफ होती है। वेदना होती है। इसे 'फायमॉसिस' कहते है। लैंगिक उत्तेजना आने पर, यह चमडी आसानी से शिश्नमुंड से पीछे हटती है या नहीं देख लेना बहुत जरुरी है। अगर पीछे आती नहीं, तो ॲलोपॅथिक डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर 'फायमॉसिस' है, तो डॉक्टर एक छोटी सी शस्त्रक्रिया करके वह चमडी निकाल देते हैं। इसे 'सुंता' कहते हैं। इस शस्त्रक्रिया के बाद संभोग करते समय तकलीफ नहीं होगी।

गुप्तरोग

गुप्तरोगबाधित व्यक्ति के साथ असुरक्षित संभोग करने से उसके साथीदार को गुप्तरोग की बाधा हो सकती है।

गुप्तरोग के लक्षण

पुरूष/महिलाओं के लिए

- जननेंद्रियों पर फोड़े (योनी लिंग, वृषण, शौच की जगह, जांधो में) आते हैं। फोड़े के कई प्रकार होते है- (दर्द करनेवाले, दर्द न करनेवाले, सुखे, पानी भरे हुए, एक या अनेक, छोटे या बड़े।)
- जननेंद्रियों पर जख्म होना
- योनी/लिंग से दुर्गंध भरा बहाव आना

- शौच की जगह से खून निकलना
- पेशाब करते वक्त जलन होना।

सिर्फ महिलाओं के लिए

- पेडू में दर्द होना (नाभी के नीचले हिस्से में दर्द होना।)

पिछले दो महिनों मे अगर असुरक्षित संभोग हुआ हो और यह लक्षण दिखाई देते हैं तो गुप्तरोग की संभावना होती है।

ऐसे कई लक्षण दूसरी वजह से भी हो सकते हैं। उदा. शौच की जगह फोड़े बवासीर के कारण भी आ सकते हैं। पेशाब करते व्यक्त जलन कई कारणों से हो सकती है। इसलिए, ऐसे लक्षण दिखाई देते ही, 'गुप्तरोग हुआ होगा' यह तर्क करना जल्दबाजी होगी। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर के पास जाकर उनकी सलाह लीजिए। लक्षण नजर अंदाज ना करिए। गुप्तरोग-तज्ञ अथवा सरकारी अस्पताल में इलाज कर लीजिए।

असुरक्षित संभोग के बारे में सच्ची और संपूर्ण जानकारी डॉक्टर को दीजिए। (असुरक्षित संभोग का प्रकार- योनीमैथुन/मुखमैथुन/गुदमैथुन, असुरक्षित संभोग कितने दिन पहले किया था आदी जानकारी डॉक्टर को दीजिए) गलत या आधी अधुरी जानकारी देने से डॉक्टर के निदान में गलती हो सकती है।

डॉक्टर ने संवेदनाशीलता से मरीज के साथ पेश आना बहुत महत्त्वपूर्ण है। मरीज का अपमान न करे। बाकी मरीजों को जिस प्रकार की सेवा दी जाती है, वैसा ही सलूक इस मरीज के साथ हो।

दवा नुस्खे के अनुसार पूरी लेनी चाहिए। गुप्तरोग हुए व्यक्ति के साथीदार ने भी डॉक्टर के पास जाकर जाँच करवा लेना जरुरी है। अगर उसे छूत लगी हो, तो उसे भी दवा लेना जरूरी है। याद रखें की बगैर कंडोम के संभोग कभी भी न करे।

एचआयव्ही/एड्स

एचआयव्ही बाधित पुरूष के साथ दूसरे पुरूष ने असुरक्षित गुदमैथुन अथवा मुखमैथुन किया तो एचआयव्ही के विषाणु, बाधित व्यक्ति के खून या वीर्य के माध्यम से साथीदार के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। (दोनों में से एक भी साथीदार एचआयव्ही बाधित न हो, तो उनके असुरक्षित संभोग से किसी को भी एचआयव्ही की बाधा नहीं हो सकती। एचआयव्ही की बाधा तभी होती है जब दोनों में से एक एचआयव्ही बाधित हो।)

संभोग के प्रकार और एचआयव्ही बाधित व्यक्ति के साथ असुरक्षित संभोग करने पर साथीदार को एचआयव्ही की छूत होने की संभावना इस प्रकार है -

पुरूषों का समलिंगी संभोग

गुदमैथुन	सबसे अधिक संभावना (इस प्रकार के संभोग में रिसेप्टिव्ह साथीदार को इन्सर्टिव्ह साथीदार की अपेक्षा, छूत लगने का खतरा अधिक होता है।)
मुखमैथुन	थोड़ी संभावना
हस्तमैथुन	शून्य संभावना
दोनों के बीच हुआ- -हस्तमैथुन	शून्य संभावना
जांधो मे लिंग डालकर- -किया हुआ संभोग	शून्य संभावना
एक दूसरे का साथ- -बदन रगडकर किया- -गया संभोग (बॉडी सेक्स)	शून्य संभावना
चुंबन	शून्य संभावना
कृत्रिम लिंग का- -उपयोग करके- -किया हुआ संभोग	शून्य संभावना (अगर उस पर बाकी किसी के कोई स्त्राव न हो तो)

महिलों का समलिंगी संभोग

मुखमैथुन	थोड़ी संभावना
हस्तमैथुन	शून्य संभावना
दोनों के बीच हुआ- -हस्तमैथुन	शून्य संभावना
एक दूसरे के साथ- -बदन रगडकर किया- -गया संभोग (बॉडी सेक्स)	शून्य संभावना
चुंबन	शून्य संभावना

कृत्रिम लिंग का- शून्य संभावना (अगर उस पर बाकी किसी के
-उपयोग करके- कोई स्राव न हो तो)
-किया हुआ संभोग

एचआयव्ही की बाधा होने के बाद व्यक्ति के शरीर पर कोई भी लक्षण तुरंत दृष्यरूप नहीं होते। कई साल बीत जाते हैं, फिरभी व्यक्ति को, एचआयव्ही ने शरीर में प्रवेश किया है, इस बात का पता नहीं चल पाता। व्यक्ति को देखकर, उसकी गठन से उसे एचआयव्ही की छूत लगी है या नहीं उसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। धीरे धीरे विषाणू शरीर में फैलते जाते हैं और एचआयव्ही वह व्यक्ति के प्रतिकार शक्ति पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर देते हैं। प्रतिकार शक्ति नष्ट होने से एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि शरीर किसी भी बीमारी का प्रतिकार करनेलायक नहीं रहता। ऐसी हालत में व्यक्ति को कोई भी बीमारी आसानी से लग सकती है और उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस अंतिम स्थिति को एड्स कहते हैं। एचआयव्ही की छूत लगने के बाद, एड्स की अंतिम स्थिति तक पहुँचने के लिए औसतन सात से लेकर नौ साल लगते हैं। एचआयव्ही की बाधा होने के बाद वह व्यक्ति जिसके साथ (चाहे स्त्री हो या पुरूष) असुरक्षित संभोग (गुदमैथुन/मुखमैथुन/योनीमैथुन) करता है, उसे छूत लगने का खतरा होता है।

एचआयव्ही की छूत का पता सिर्फ खून की जाँच से ही चलता है। इस परिक्षण से पहले गवाक्ष-काल (विंडो पीरियड) का विचार होना जरूरी है। असुरक्षित संभोग अगर हो गया हो, तो उसके तीन महिनों बाद (गवाक्ष काल की अवधि तीन महिनों की होती है) खून की जाँच करना उचित है। तीन महिने पूरे होने से पहले अगर जाँच की गई तो उसका गलत रिपोर्ट आनेकी संभावना होती है। सरकारी जाँच केंद्रों पर इस विषय की पूरी जानकारी मिल सकती है। यह जानकारी निजी वैद्यकीय जाँच केंद्रो में (लॅबोरेटरी) नहीं मिलती।

कुछ साल पहले एचआयव्ही के लिए असरदार दवा नहीं थी। आज एचआयव्ही के विषाणू पर काबू रखनेवाली ए.आर.टी. (अॅन्टी रेट्रोव्हायरल थेरपी) दवाई उपलब्ध है। गौरतलब है कि, यह दवाई एचआयव्ही के विषाणू पूर्णत: नष्ट नहीं कर सकती फिरभी एचआयव्ही बढ़ने की गति पर बहुत मात्रा में नियंत्रण रखती है। एचआयव्ही बाधित व्यक्ति की प्रतिकार शक्ति जब बहुत कम हो जाती है, तब यह दवा नियमित रूप लेने से एचआयव्ही बाधित व्यक्ति लंबे समयतक जी सकता है।

आज के जमाने में भी एचआयव्ही बाधित व्यक्ति को लेकर समाज में बहुतसारी गलतफहमियाँ, डर मौजूद है। पुराने जमाने में लोगों को हड्डियाँ, कटोरी

आदि चीजें दिखाकर डराया जाता या। आजकल फर्क इतनाही है कि यह चीजें गायब हैं, लेकिन समाज मन में वही दहशत, वही डर बना हुआ है। जहाँ समाज में समलिंगी व्यक्ति का स्वीकार नहीं किया जाता, वहाँ वह व्यक्ति अगर एचआयव्ही ग्रस्त हो, तो उसे कितनी नफरत का सामना करना पडता होगा, इसकी बस, कल्पना ही की जा सकती है।

एम्एसम् पीएलएचए आधार ग्रुप (MSM PLHA Support Groups)

एचआयव्ही बाधित समलिंगी लोगों के लिए कुछ संस्थाए आधार ग्रुप और ड्रॉप-इन सेंटर्स चलाती है।

अनिल कदम जी (सेफ सेलर्स क्लब, हमसफर ट्रस्ट, मुंबई) इस संबंध में कहते हैं कि, "एचआयव्ही की रिपोर्ट अगर पॉझिटिव्ह आ गई तो इन लोगों के सामने सवाल आता हैं कि यह रिपोर्ट किसे दिखाए? अपने साथीदार या घरवालों को दिखाने पर वे मुझे छोड़ देंगे, घरवालों को अपनी लैंगिकता के बारे में शक पैदा होगा इस तरह का डर एमएसएम लोगों के मन में होता है। इसी डर की वजह से वे किसी को भी कुछ भी बताने से हिचकिचाते हैं और उसी कारण उन्हें किसी भी तरह का मानसिक आधार नहीं मिल पाता। बहुत सारे पीएलएचए समलिंगी लोगों से नफरत करते हैं। कुछ पीएलएचए ग्रुप सीधे पुछते है, 'तुम यहाँ क्यों आए हो? उधर सेफ सेलर्स क्लब में क्यों नहीं जाते? वह तुम्हारे लिए सुविधाजनक होगा।' एचआयव्ही की प्रगत स्थिति में शरीर जब कमजोर होता है, उस समय लोगों को शक पैदा होता है, और अगर लोगों को, वह व्यक्ति एमएसएम है यह मालूम हैं, तो सीधे पूछते हैं, 'क्या तुम्हें एड्स हुआ है?' इन सब बतों से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हताश व्यक्ति अपने कारण घरवालों को परेशानी न हो, बहन की शादी में कही कोई दिक्कत न आए इस विचार से घर छोड़कर कही और जगह जाने का विचार करता है। पर जाए तो कहाँ जाए? अपने गाँव? वहाँ दवा, इलाज की सुविधा नहीं होती। दूसरी जगह जाने के लिए आर्थिक समर्थता होना भी जरुरी है। व्यक्ति न घर में चैन की साँस ले सकता है, न घर छोड़ सकता है। समस्याएँ चारो ओर से घेर लेती हैं। छुटकारे की तसल्ली कहीं दिखाई नहीं देती और खुदकुशी का विचार मन में प्रवेश करता है।"

इस समस्याओं का सामना करने में पीएलएचए आधार ग्रुप मदद कर सकते है। यह ग्रुप, कौन्सेलिंग, दवा, 'न्यूट्रिशन' का इंतजाम करते हैं। विविध सुविधाओं से यह आधार ग्रुप व्यक्ति की शारिरीक और मानसिक सेहत सँभालने का महत्त्वपूर्ण काम करते हैं।

सुरक्षित संभोग

गुदमैथुन, मुखमैथुन, योनिमैथुन करते वक्त अगर लिंग पर कंडोम पहन के संभोग किया गया, तो दोनों के शरीर के विभिन्न स्त्राव (खून, वीर्य, योनि का पानी) एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की संभावना नहीं रहती। अगर दोनों में से किसी एक को एचआयव्ही या गुप्तरोग की बाधा हुई हो, तो भी दूसरे को उसकी छूत लगने का खतरा नहीं रहता। इसलिए हर संभोग के समय कंडोम का उचित रूपसे उपयोग करना अनिवार्य समझा जाना चाहिए। बहुत बार, इस विषय को गंभीरता से देखा नहीं जाता। 'कंडोम से संभोग प्राकृतिक नहीं लगता', 'पूरा मजा नहीं उठा सकते', इस प्रकार की दलिलें दी जाती है और कंडोम का उपयोग करने में टालमटोल बरती जाती है। 'साथीदार दिखने में सेहतमंद हो, तबही मैं उसके साथ जाता हूँ', या 'मेरेसिवा मेरा साथीदार और कहीं भी जाता नहीं, इसलिए उसे कोई संसर्ग होना नामुमकिन है, मेरा उसपर पूरा भरोसा है', इसतरह के भोलेभाले विश्वास के कारण अनेक लोग एचआयव्ही बाधित हो गए हैं।

वैज्ञानिकों ने शास्त्रीय आधार पर बताया है कि जिन लोगों की सुंता की होती है, ऐसे इन्सर्टिव्ह पुरूषों को एचआयव्ही की बाधा होने की संभावना कम होती है। इस कथन के आधार पर, सुंता किए हुए कुछ समलिंगी इन्सर्टिव्ह साथीदार समझ बैठते है कि, कम संभावना मतलब शून्य संभावना। इस तरह का गलत मतलब निकालना महंगा साबित हो सकता है।

कुछ लोग समजते है कि, एचआयव्ही की बाधा एक एचआयव्ही बाधित स्त्री से ही होती है, बाधित पुरूष से नहीं। कंडोम के जो विज्ञापन दूरदर्शन या बाकी के प्रसार माध्यम दिखाते हैं, उनमें एक बाधित पुरूष से, दूसरे पुरूष को, असुरक्षित संभोग करने पर एचआयव्ही या गुप्तरोग की बाधा हो सकती हैं, इस प्रकार की जानकारी दी नहीं जाती। समलिंगी संभोग को समाज मान्यता नहीं देता इस कारण इस बारे में पूछताछ करना, जानकारी हासिल करना लोगों के लिए संकोच की बात हो जाती है। समलिंगी संभोग क़ानून की नजर में अपराध है। इस कारण लैंगिक आरोग्य पर काम करनेवाली संस्थाओं के कार्यकर्ता, समलिंगी संभोग करनेवालोंतक पहुँच नहीं पाते। इन सभी कारणों से कंडोम का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में होता है। नॅशनल सेंटीनल सर्व्हिलन्स २००५ के आकड़े बताते हैं, कि एमएसएम समूह में लगबग ८ प्रतिशत लोग एचआयव्ही बाधित हैं। बाकी लोगों में एचआयव्ही बाधितों की संख्या १ प्रतिशत से भी कम है। नॅशनल बेसलाईन बिहेविअर सर्व्हेलन्स

२००२ के आकड़े कहते है कि ६८.६ फीसदी एमएसएम समूहों को सुरक्षित संभोग के तरीके मालूम है लेकिन उनमें से केवल ३६ फिसदी लोग कंडोम का उपयोग करते हैं।

कंडोम के इस्तेमाल का सही तरिका

१) कंडोम के पैकेट पर जो कालावधि की समाप्ति की तिथि लिखी होती है, (Expiry Date) वह जाँच लें। अगर यह तारीख बीत चुकी है, तो वह कंडोम उपयोग में न लाए। अगर दूसरा अच्छा कंडोम मिल न सके, तो ही यह बाद हो चुका (Expired) कंडोम का इस्तेमाल करे।

२) अगर तिथि समाप्ति (Expiry Date) की तारीख पढ़ी न जा सके या लिखी न हो तो कंडोम पैकेट में अंदर सरकाया जाए। आसानी से अगर कंडोम अंदर खिसक गया, तो वह कंडोम उपयोग में लाना ठीक हैं। अगर कंडोम सरलता से पैकेट में नहीं सरका तो समज लीजिए कि कंडोम पर जो चिकनाई होती है, वह सुखकर कंडोम खराब हो गया होता है। अगर दूसरा अच्छा कंडोम मिल न सके तोही यह (पुराना) कंड़ोम उपयोग में लाया जाए।

३) कंडोम का पैकेट फाड़ते वक्त, पहले अंदर का कंडोम पैकेट में एक तरफ करके, दूसरी तरफ से पैकेट फाड़ते जाए ताकि अपने नाखून से कंडोम न फटे।

४) पैकेट से बाहर निकलने के बाद, कंडोम में फूंक मारकर देखीए कि वह किस दिशा में खुलेगा।

५) कंडोम के सिरे में हवा रहने की संभावना होती है। उसी स्थिति में कंडोम का उपयोग किया गया, तो संभोग के समय उस हवापर दबाब आकर कंडोम फटने की संभावना होती है। कंडोम फटने की यह महत्त्वपूर्ण वजह है। इससे बचने के लिए, कंडोम का सिरा चुटकी में पकड़कर उसकी हवा निकाल दे और चुटकी में सिरा पकड़कर ही कंडोम तने लिंग पर पहनाया जाए।

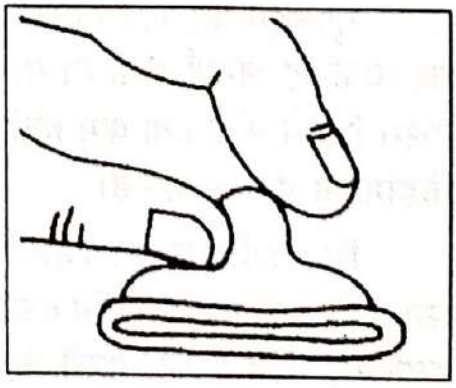

६) लिंग पूरा तन जाने के बाद ही कंडोम चढ़ाया जाए। नहीं तो वह ठीक तरह से बैठता नहीं।

७) कंडोम पूरी तरह से चढ़ाया जाए। आधा अधुरा पहना हुआ कंडोम, संभोग के वक्त फिसल सकता है।

८) संभोग के समय कंडोम फटने का शक हो जाए, तो तुरंत रूकना चाहिए। फटा कंडोम निकाल के, नया कंडोम पहनकर फिर से संभोग शुरू किया जाए।

९) वीर्यपतन के बाद जब लिंग तना हुआ है, उसी वक्त कंडोम को पकड़कर लिंग और कंडोम बाहर निकाला जाए।

१०) कंडोम निकाल ते वक्त पहले लिंग योनि/गुदा से दूर ले लिया जाए जिससे योनी/गुदा पर वीर्य गिरने का धोका नहीं होगा।

११) कंडोम निकाल ने के बाद उसमें गाँठ लगाया जाए।

१२) कागज में लपेटकर कंडोम कूडे में डाल दिया जाए। टॉयलेट में न फेंका जाए।

सुरक्षा के लिए कुछ लोग एक साथ दो कंडोम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह दोहरा कंडोम उपयोग में लाना चाहिए या नहीं इसपर दोमत है। दो कंडोम का उपयोग करने से एक दूसरे के साथ घसीटकर फट सकता है अथवा कंडोम फिसल कर योनि या गुदा में छूट जाने की संभावना होती है। दोहरे कंडोम से संवेदनशीलता में भी कमी आ सकती है। इसके विपरीत कुछ लोगों की सोच यह है कि दोहरे कंडोम से ज्यादा सुरक्षा मिलती है। एक अगर फट भी गया तो दूसरे से सुरक्षा मिलती है।

बाजार में कंडोम के अनेक प्रकार मिलते हैं। मुखमैथुन के लिए विभिन्न स्वाद के ('फ्लेवर्ड') कंडोम मिलते हैं (उदा. केला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी)। इन कंडोम की चिकनाई में अलग-अलग प्रकार का स्वाद मिलाया रहता हैं।

इसके अलावा कंडोम के और भी कुछ प्रकार हैं जैसे- रात में चमकनेवाले (Fluorescent) कंडोम, सुगंधयुक्त (scented) कंडोम, लकिरोंवाले (Ribbed) कंडोम तथा बुँदोंवाले (Dotted) कंडोम आदि।

चिकनाई (Lubricant)

गुदमैथुन में (या योनिमैथुन में) रगडने से कंडोम फट न जाए, इसलिए कंडोम पर चिकनाई लगाई होती है। यह चिकनाई पानी और ग्लिसरीन से बनाई जाती है। इससे घिसने की क्रिया कम होती है, रिसेप्टिव्ह साथी को तकलीफ नहीं होती और कंडोम भी फटता नहीं है।

चिकनाई ऐसी हो, जिससे रगड कम हो, बदन को जख्म न हो और कंडोम फटे नहीं। कंडोम पर जो चिकनाई होती हैं, वह गुदमैथुन के लिए काफी नहीं होती। इसलिए, घिसना कम करने के लिए कुछ लोग तेल या तेलवाली चिकनाई का

उपयोग करते हैं। लैकिन याद रखे तेलयुक्त चिकनाई से कंडोम की क्षमता घटती हैं और कंडोम फटने की संभावना बहुत बढ़ती हैं। इसलिए तेलवाली चिकनाई कभी भी उपयोग में न लाए। तेल (उदा. नारीयल का तेल), क्रिम (उदा. व्हॅसलिन आदि), घी, शक्कर की चासनी, आईस्क्रीम, जॅम, ग्रीस आदि का चिकनाई के लिए इस्तेमाल ना करे।

जो चिकनाई पानी से बनी हुई है, (जिसमें तेल/घी बिल्कुल नहीं है) ऐसी चिकनाई उपयोग में लानी चाहिए। इससे कंडोम की क्षमता को कोई क्षति नहीं पहुंचती। फार्मसी शॉप में 'केवाय' जेली (KY Jelly) नाम की पानी और ग्लिसरीन से बनी चिकनाई मिलती है। खास करके गुदमैथुन के लिए यह चिकनाई उपयोगी होती है। समलिंगी लोगों के लिए काम करनेवाली कुछ संस्थाएँ इस चिकनाई के पाऊच सस्ते में बिकती है।

अफसोस की बात यह है कि, 'केवाय' जेली महँगी होती है। आम आदमी यह जेली आसानी से खरीद नहीं सकता। समलिंगी लोगों के लिए काम करनेवाली संस्थाएँ जो यह जेली सस्ते में बिकती हैं, वह बहुत थोड़े लोगोंतक ही यह जेली पहुँचा पाती है। 'केवाय' जेली अगर न मिल सके, तो गुदमैथुन के लिए अपनी थूँक या शहद का उपयोग करे।

साथीदार से संवाद

दोनों साथियों में अगर समानता का रिश्ता होता है, तो कंडोम के बारे में, उसके उपयोग के बारे में खुले दिल से बातचीत हो सकती है। संबंधों में अगर खुलापन नहीं है, तो साथीदार गुस्सा होकर चला जाएगा, इस डर की भावना से कंडोम के इस्तेमाल के बारे में दोनों साथीदार बात नहीं करते। कंडोम के बारे में साथीदार से बात करना बहुत जरुरी है। अगर आपके पास कंडोम नहीं है या साथीदार इसके उपयोग के लिए राजी नहीं है, तो इस स्थिति में संभोग ना करे या हस्तमैथुन अथवा बॉडीसेक्स तक ही संभोग सीमित रखे। किसी भी हालत में, बिना कंडोम के गुदमैथुन ना करे।

एक या दो कंडोम हमेशा अपने साथ रखे।

⊙ ⊙

समलिंगी लोगों के लिए आधार संस्थाएँ

समलिंगी लोगों की समस्याओं का विचार करते वक्त महसूस होता है, कि उन्हें सहारा देनेवाली संस्थाओं की बेहद जरूरत होती है। पिछले दस साल में, अपने देश में ऐसी कुछ संस्थाएँ शुरू हो गई हैं। खास करके बड़े शहरों में। समलिंगी लोगों को सुरक्षित जगह उपलब्ध कराना, उनका कौन्सेलिंग करना, सपोर्ट ग्रुप चलाना आदि काम इन संस्थाओं द्वारा होता है।

इन संस्थाओं की प्रमुख समस्या होती है, प्रसिद्धि का अभाव। समाज का एक सनातन समूह आम तौर पर इन जैसी संस्थाओं का विरोध करता है। इसका परिणाम यह होता है कि न ऐसी संस्थाएँ जरूरतमंद लोगोंतक पहुँच पाती है और न ही ऐसे लोगों को इन संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अपनी पड़ोस में ऐसी संस्था काम कर रही है, इस बात का भी लोगों को पता नहीं होता। इन संस्थाओं को अपनी प्रसिद्धि के लिए 'वर्ड ऑफ माऊथ' का ही मुहताज बनके रहना पड़ता है। आजकल शहरों में, इंटरनेट के माध्यम से समलिंगी लड़के-लड़कियों तक पहुँचा जा सकता है लेकिन छोटे गावों में रहने वाले समलिंगी लोंगो तक पहुँचना बहुत कठिन होता है।

संस्था का पता/ई-मेल आयडी/हेल्पलाईन का फोन नंबर मिल जाने पर भी लोक संस्था से संपर्क करने की हिम्मत जुटा नहीं पाते। एक लड़के ने कहाँ, "बुरा मत मानिए। अबतक तीन बार मैंने आपको फोन किया था लेकिन आपने फोन उठाते ही तुरंत मैंने फोन रख दिया। बात करने का साहस ही नहीं हो रहा था।"

दूसरे एक व्यक्ति ने कहा, "एक महिने पहले मैं आपके ऑफिस तक आ गया था लेकिन अंदर आते वक्त पाँव कापने लगे। मैं वापस चला गया।" मनमें डर होता है की 'ऐसी' संस्था में जाते कोई हमें देख लेगा, पहचान लेगा, वहाँ अपना नामपता पूछा जाएगा, वगैरा। (कभी कभी यहाँ मुझपर जबरदस्ती की जाएगी यह डर भी लोगों के मन में पाया जाता है।) इसलिए कुछ लोग ई-मेल या फोन पर पूछते हैं, 'क्या हम् कहीं बाहर मिल सकते हैं? बगीचे में या रेस्टॉरंट में?' शुरू में, आम लोगों में मिलना उन्हें सुरक्षित लगता है। कुछ दिन के बाद संस्था मे आने की हिम्मत जुटा पाते है।

सुरक्षित जगह/'ड्रॉप इन सेंटर' (Safe Space / Drop-in Centre)

घर-परिवार, काम की जगह, समाज में समलिंगी लोगों को मजबूरन भिन्नलिंगी मुखौटा पहनकर रहना पड़ता है। अपनी लैंगिकता लोगों की समझ में आ गई तो लोग परेशान करेंगे, यह डर होता है। इसलिए इन लोगों की सबसे महत्त्वपूर्ण और बुनियादी जरूरत होती है, एक सुरक्षित जगह, उनकी अपनी जगह, जहाँ उन्हें भिन्नलिंगी होने का स्वाँग करना नहीं पड़ेगा, जहाँ किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा, बिना झिझक, खुले दिल से दोस्तों के साथ बातें कर सकेंगे, औरों की सुन सकेंगे। इस संबंध मे प्रतिभा घीवाला जी कहती है, 'जनम लेने से पहले ही व्यक्ति का रंग जिस तरह तय हुआ होता है, वैसेही उसकी लैंगिकता तय होती है। जैसा रंग बाद में बदला नहीं जा सकता, उसी प्रकार लैंगिकता भी किसी भी हालत में बदली नही जा सकती। उसका स्वीकार ही करना पड़ता है। अर्थात इस प्रक्रिया में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर व्यक्ति को जूझना पड़ता है। फिरभी कुछ लोग जरूर देखे जाते हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ इस बात का स्वीकार किया है। उन लोगों से संपर्क करने से उनके अनुभवों का फायदा उठाने से, समलिंगी लोगों को निश्चित ही सहारा मिल सकेगा, जिंदगी से दो हाथ करने के लिए बल मिलेगा। [66]

इसके अलावा ऐसी संस्थाएँ, ग्रंथालय, सिनेमा दिखाने की व्यवस्था, कौन्सेलिंग, वैद्यकीय सुविधा, कानूनी बातों पर मार्गदर्शन आदि सुविधाएँ दे सकती है।

समलिंगी विषय पर लिखा गया साहित्य मिलना मुश्किल होता है। अगर मिल भी गया तो वह छिपाना मुश्किल होता है। एक व्यक्तिने कहाँ, "मैंने आपकी लिखी हुई पार्टनर नाम की किताब खरीद ली। चोरी छिपे पढ़ डाली लेकिन अब उसे घर में रखने की हिम्मत नहीं होती। सोचा उसे कूड़े मे फेंक दूँ। बाद में विचार किया कि आपको किताब वापस कर दू। इसलिए आपको किताब लौटाने आया हूँ।"

दूसरे एक व्यक्तिने कहाँ, "एक प्रदर्शनी में मैंने आपकी पार्टनर किताब देखी। उसका मुखपृष्ठ देखते ही विषय जान गया। मैं शादीशुदा हूँ। अर्थात किताब घर ले जाने का सवाल ही नहीं आता। फिर वही प्रदर्शनी में ही, दो घंटे कोने में खड़े रहकर, मैंने किताब पढ़ डाली।" समलैंगिकता पर लिखा हुआ साहित्य अगर संस्था में उपलब्ध हो तो वहाँ जा के आराम से पढ़ा जा सकता है।

समलैंगिक लड़के-लड़कियों को मान्यतादर्शक प्रतिमाएँ देखने मिलना, उनके मानसिक आरोग्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता है। अपनी समस्याएँ, भाव-भावनाएँ

संवेदनशीलता से दर्शानेवाले सिनेमा, नाटक देखना उसका एक हिस्सा है। संस्था इस प्रकार के सिनेमा, नाटक दिखाकर उसपर चर्चा आयोजित करने की व्यवस्था कर सकती है।

लैंगिकता के विषय में कौन्सिलर अहम भूमिका निभा सकती है। कोई जानकार, संवेदनशील कौन्सिलर, निष्पक्ष वृत्ति से समलिंगी व्यक्ति के साथ संवाद कर सकती है। अगर जरुरत पड़े तो कौन्सिलर क्लाएंट को एक संवेदनशील मनोवैज्ञानिक के पास भेज सकती है।

ऐसी संस्थाएँ गुप्तरोग, एचआयव्ही/एड्स के संबंध में कौन्सिलिंग, परीक्षण, दवाईयाँ आदि सुविधाएँ दे सकती हैं।

संस्था से अगर संवेदनशील वकील जुड़े हो, तो जरुरतमंद समलिंगी व्यक्ति को कानूनी मदद मिल सकती है।

संस्थाओं की कुछ समस्याएँ

समलैंगिकता के अलावा लैंगिकता के और भी विविध पहलू है- ट्रान्सजेंडरस्, ट्रान्ससेक्शुअल्स्, इंटरसेक्स आदि। लैंगिकता के विषय में संस्था चलने का इरादा हो, तो संस्था सिर्फ समलिंगी लोगों के लिए नहीं चलाई जा सकती। इनमें से हर एक ग्रुप की अपनी स्वतंत्र संस्कृति होती है। इन ग्रुप्स में कई मतभेद भी होते हैं। उन सभी को एक ही 'सेफ स्पेस'/ड्रॉप-इन सेंटर में समा लेना बहुत मुश्किल होता है।

समलिंगी लोग अनेक जाति, धर्म, संस्कृति तथा विभिन्न आर्थिक स्तर से आते हैं। अंग्रेजी बोलनेवाले लोगों का एक ग्रुप, मराठी भाषीकों का एक ग्रुप, हिंदी भाषीकों का एक ग्रुप, मर्दानी पुरूषों का एक ग्रुप, जनाने ढंग के पुरुषों का एक ग्रुप ऐसे कई अलग-अलग ग्रुप बन जाते है। धीरे धीरे जिस ग्रुपमें सबसे अधिक सदस्य है वह ग्रुप टिक पाता है। बाकी के लोग आना बंद होते है।

समलैंगिकता के विषय पर काम करनेवालों की संख्या कम होती है। अफसोस की बात है की अनेक समलिंगी लोगों कों भी इस काम की जरुरत महसूस नहीं होती। ऐसी संस्थाओं को आर्थिक मदद मिलना मुश्किल होता है। जो थोड़ी आर्थिक सहायता मिलती है, वह खास करके एचआयव्ही/एड्स के लिए मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद न के बराबर होती है। शारिरीक आरोग्य के साथ मानसिक आरोग्य भी उतना ही महत्त्व रखता है, इस बात का एहसास इस देश में अभी तक दिखाई नहीं देता।

समलिंगी लोगों के साथ काम करनेवाली बहुत कम संस्थाएँ ऐसी है, जो अच्छी सुविधाएँ देती है। कई संस्थाओं के विश्वस्तों का, समलिंगी समाज की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं होता। समलिंगी लोगों के अधिकार के लिए लड़ने के नाम पर, वे सिर्फ पैसा और प्रसिद्धि कमाने में व्यस्त रहतें है। समलिंगी समाज के लिए यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।

सच्चाई से काम करनेवाली, दर्जेदार सुविधाएँ देनेवाली संस्थाओं की जरुरत हर गाँव, हर शहर में है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगालुरु, चेन्नई, बरोड़ा, पुणे, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ही ऐसी संस्थाएँ हैं। किसी जानकार समलिंगी व्यक्ति के साथ, सिर्फ एकाध दो घंटो के लिए, दिल खोलकर बाते करने के लिए, कितने ही समलिंगी लोगों को दूर दूरसे घंटातक की यात्रा करके आना पड़ता है। (परंतु जैसा कहते हैं कि जहाँ उपजता है, वहाँ बिकता नहीं, इस न्याय से, जहाँपर ऐसी संस्थाएँ है, वहाँ के स्थानीय लोग बहुत कम मात्रा में आते हैं)।

विवेक आनंद जी कहते है, "कल अगर हमसफर ट्रस्ट की किसी को जरुरत नहीं रही तो उसे बंद कर देने में मुझे आनंद ही है। क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि अब लैंगिक अल्पसंख्यकों को आम लोगों में सुरक्षित महसूस होने लगा है और इसी कारण उन्हें ट्रस्ट की जरुरत नहीं रहीं। परंतु अभी तक वह दिन आया नहीं है।"

⊙ ⊙

समलिंगी लोगों के अधिकार

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में, कुछ पाश्चात्य देशों में, समलिंगी आंदोलन ने गति पकड़ ली। कानूनी, वैद्यकीय, सामाजिक दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए जूझने का यह समय था। अथक परिश्रम के बाद, धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। कुछ देशों में, दो प्रौढ व्यक्तियों में, अनुमति से हुए समलिंगी संभोग को, अपराध की सूचि से हटाया गया। जैसे अमरिका, रशिया आदि। कुछ देशों में समलिंगी विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। उदा. फ्रान्स, कैनड़ा। कुछ देशो नें इससे एक कदम आगे चलकर, समलिंगी जोडों को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिलवाया। उदा. स्वीडन, बेल्जियम। ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, समलिंगी लोगों को सेना में भर्ती होने का हक दिलवाने में कामयाबी मिली। आज भी यह आंदोलन अनेक देशों में जारी है- व्यक्ति भिन्नलिंगी हो, या समलिंगी हर एक के लिए समान सामाजिक स्तर देनेवाली समाज व्यवस्था का निर्माण करना, यही इस आंदोलन का लक्ष्य है।

भारत

१९८० तक, समलैंगिकता का विषय समाज के लिए वर्जित विषय था। समाज की यही धारणा थी, कि यह बस पाश्चात्य संस्कृति का विकृत रुप है। समलिंगी लोगों की समस्याओं की किसी को दखल ही नहीं थी। इस सामाजिक

गे ॲक्टीव्हीस्ट अशोक राव कवी
(Photo Source http//wikipedia.org/wiki/Ashok_Row_Kavi)

पृष्ठभूमि में १९८६ में अशोक राव कवी जी ने 'सॅव्ही' नाम की पत्रिका में इंटरव्ह्यू देकर अपनी समलैंगिकता जाहीर कर दी। इस इंटरव्ह्यू से बड़ी खलबली मच गई। खुले आम कोई गर्व से कह रहा है कि वह समलिंगी है, यह बात लोगों को धक्का दे गई।

इस दौरान भारत में एचआयव्ही का प्रसार तेजी से हो रहा था। खास करके शरीर विक्री करनेवालों में, इंजेक्शन के जरिए नशा करनेवालों में, समलिंगी संभोग करनेवालो में यह प्रसार तेज गती से होता था। और भारत सरकार का- 'भारत में समलिंगी लोग है कहाँ?' इस तरह का नकारात्मक रवैय्या था।

१९८९ में, मॉन्ट्रिअल में जो पाँचवी अंतर-राष्ट्रीय एड्स कॉन्फरन्स हुई, उसमें अशोक राव कवी जी ने हिस्सा लिया। वहाँ उन्हें पता चला कि, अमरिकी सरकार की धारणा है, कि एचआयव्ही की बीमारी सिर्फ समलिंगी लोगों को ही लगती है और चूँकि अमरिकी राजकीय नेताओं का समलिंगी लोगों की तरफ देखने का रवैया द्वेषभरा था, एचआयव्ही की जानकारी देनेवाले उपक्रमों के लिए अमरिकी सरकार पैसा नहीं दे रही थी। अनेक लोग एचआयव्ही बाधित हो रहे थे और बिना दवा-इलाज के मर रहे थे। अशोक राव कवी जी का मन इस विचार से व्यथित हो गया कि, अगर अमरिका जैसे देश में समलिंगी लोगों की यह हालत है, तो भारत में क्या होगा?

१९९० में उन्होंने पत्रकारिता की नौकरी छोड़ दी और समलिंगी लोगों के लिए काम करना शुरु कर दिया। इन लोगों को सुरक्षित संभोग की जानकारी देना, उन्हें कंडोम बाँटना शुरु किया। अखबारों में समलैंगिकता के बारे में लिखकर लोगों को समलैंगिकता, एचआयव्ही/एड्स के संबंध में अवगत कराना, एमएसएम लोगों को सुरक्षित संभोग के बारे में सजग कराना (HIV Prevention Projects) आदि उपक्रम उन्हों ने शुरु किए। १९९४ में मुंबई में उन्होंने 'हमसफर ट्रस्ट' की स्थापना की। १९९५ में 'हमसफर ट्रस्ट' और 'नाज फौंडेशन इन्टरनॅशनल' इन दो संस्थाओं ने मिलकर मुंबई में समलिंगी सम्मेलन आयोजित किया।

पिछले दशक में कई संस्थाओं ने इस विषय पर काम करना शुरु किया। जैसे पश्चिम बंगाल में 'साथी', 'मानुष बांगला', 'स्वीकृति'; चेन्नई में 'स्वॅम', 'सहोदरन'; बैंगालूरु मे 'संगमा'; बरोडा में 'लक्ष्य'; पुणे में 'समपथिक' आदि संस्थाएँ शुरु हुई।

२००१ में, 'नाज फौंडेशन, इंडिया' (नई दिल्ली) ने 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह' के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में आयपीसी ३७७ कानून बदलने के लिए जनहित याचिका दाखिल की।

मई २००१ में, 'इलगा आशिया' (International Lesbian and Gay Association Asia) की मुंबई में परिषद संपन्न हुई। २००६ में 'इन्फोसेम' (Integrated Network For Sexual Minorities) की स्थापना हो गई। भारत के समलिंगी लोगों के साथ काम करनेवाली संस्थाओं का यह सबसे बड़ा नेटवर्क है।

समलिंगी अधिकारों के लिए आंदोलन

समलिंगी अधिकारों के आंदोलन की शुरुवात में दो प्रवाह बन गए। एक प्रवाह कहता था, 'यह व्यक्ति समलिंगी, वह व्यक्ति 'स्ट्रेट' (भिन्नलिंगी) इस तरह के कोई भी भेद हमें मंजूर नहीं है। ऐसे लेबल्स नहीं लगने चाहिए। हम सब इन्सान हैं और इन्सानियत के नाते एक दूसरे का स्वीकार होना चाहिए। लेबल संस्कृति को लाँघकर आगे चलना चाहिए।' दूसरा प्रवाह मानता था की, 'अपने अधिकार पाने के लिए अपना स्वतंत्र अस्तित्व होना वाकई जरूरी है। उसके बिना अधिकारों के लिए संघर्ष करना आसान नहीं होगा।' अशोक राव कवी जी ने इस संबंध में कहा, "सभी लोग भिन्नलिंगी हैं, होने चाहिए, इस धारणा पर अपना समाज आधारित है। लेकिन भिन्नलिंगी लोगों को जो अधिकार स्वाभाविक रूप से मिलते है, क्या वे अधिकार समलिंगी व्यक्ति को मिलत हैं? क्या समलिंगी जोड़े शादी कर सकते हैं? क्या वे बच्चा गोद ले सकते हैं? भिन्नलिंगी जीवनशैली को मद्दे नजर रखते हुए ही समाज की रचना हुई है। लेकिन जो लोग इस ढाँचे से अलग है, वे क्या करें? इतने सालों से अन्याय बर्दाश्त करते रहें है। पीछले दशक में समलिंगी लोग एचआयव्ही से बाधित होकर, उसकी जानकारी, दवा-इलाज के अभाव से मरते रहे। उस वक्त 'लेबल्स' को नकारने वालों ने इन लोगों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। यह विचार सिर्फ 'इंटलेक्च्युअल' समाज का है। यहाँ सभी बातें 'इंटलेक्च्युअलाईज' की जाती है और हमारे काम से जो फायदा होता है उसे चुपचाप हथीया जाता है। पिछले पंद्रह सालों से मैं यही होते हुए देख रहा हूँ।"

समलिंगी समाज और भिन्नलिंगी समाज दोनों समाज की बराबरी की इकाई है। समाज में ऐसी कोई भी व्यवस्था न हो जिसमें समलिंगी लोगों का दर्जा कम दर्शाया जाए, इसी कारण समलिंगी अधिकारों का यह आंदोलन चलाया जा रहा है। मानव अधिकार की चौखट में रहनेवाली यह अपेक्षा है। इसमें प्रमुख अधिकारों के बारे में संक्षेप में इस तरह बताया जा सकता है-

- प्रौढ व्यक्तियों में, अनुमति से और निजी तौर पर किया गया संभोग अपराध या बीमारी नहीं मानी जानी चाहिए।

- समलिंगी जोड़ों को, भिन्नलिंगी विवाह व्यवस्था के समानांतर कानूनी विवाह व्यवस्था मिलनी चाहिए। भिन्नलिंगी विवाह व्यवस्था के सभी पहलू समलिंगी विवाह व्यवस्था में लागू होने चाहिए, जैसे 'डिपेंडंट' व्यक्ति, उत्तराधिकार आदि।

- समलिंगी व्यक्ति, समलिंगी परिवार के साथ, उनकी लैंगिकता के आधार पर, किसी भी क्षेत्र में भेद नहीं किया जाना चाहिए। जैसे शिक्षा, कानून, वैद्यकीय क्षेत्र आदि। इस तरह के भेद को अतिबंध करने के लिए कानून होने चाहिए।

- कोई भी उद्योग, व्यवसाय या नौकरी करने के लिए समलिंगी लोगों को मनाई नहीं होनी चाहिए।

- समलिंगी व्यक्ति, समलिंगी परिवार को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए।

इन अधिकारों के लिए समलिंगी लोगों को और भिन्नलिंगी उदारवादी कार्यकर्ताओं को कई सालों का संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए हर एक समलिंगी व्यक्ति का 'आऊट' होना जरूरी है।

जब तक अपनी इन्सानियत के दर्शन लोगों को नहीं होते, तब तक इन्सान की हैसियत से अपना स्वीकार होना मुमकिन नहीं होगा। इस आंदोलन का हमें और अगली पीढ़ी को जरुर फायदा मिलेगा। हम लोगों पर जो अन्याय हुआ, वह अगली पीढ़ी के नसीब नहीं आना चाहिए। उनके लिए हमें यह लढ़ाई लड़नी है, कष्ट उठाने है। अगली पीढ़ी का यह ऋण अपने सर पर है।

⊙ ⊙

परिशिष्ट 'अ' - संदर्भ

[1] नारद पुराण. पान क्र. २०५. प्र. न. जोशी. प्रसाद प्रकाशन.

[2] कौटिलीय अर्थशास्त्र. र. पं. कंगले.
महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडळ.

[3] The Complete Kama Sutra. (Vatsyayana). Translated to English by Alain Danielou. Park Street Press. Rochester, Vermont. 1994.

[4] Manu Smriti (The Laws of Manu). Translated to English by Wendy Doniger with Brian K. Smith. Penguin Classics.

[5] सार्थ सुश्रृतसंहिता. वैद्यराज दत्तो बल्लाळ बोरकर.
प्रकाशन यज्ञेश्वर गोपाळ दीक्षित.

[6] चरकसंहिता. पंडित काशिनाथ शास्त्री.
चौखाम्बा संस्कृत माला दप्तर, वाराणसी.

[7] विनय पिटके. विपश्यना विशोधन विज्ञास, इगतपुरी. १९९८;
Buddhism, Sexuality and Gender. Edited by Jose' Ignacio Cabezon. V. Buddhism and Homosexuality. 9. Homosexuality as seen in Indian Buddhist Texts. By Leonard Zwilling.
'The five types of pandakas are- Napumsakapandaka, usuyapandaka, pakkhapandaka, assittapandaka, opakkamikapandaka.'

[8] Jaina Sutras. Translated to English by Herrman Jacobi.

[9] अमरकोष (अमरसिंह). व्दितीयकांडे (३९).
Commentary by Acharya Krishnamitra. Edited by Dr. Satyadeva Mishra. Dept. of Indian Studies. Univ. of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. 1972.

[10] Baburnama. Translated to English from the original Turki Text of Zahiruddin Muhammad Babur Padshah Ghazi by Annette Susannah Beveridge. Collection of Oriental Works. Published by the Asiatic Society of Bengal.

[11] Dargah Kuli Khan. Portrait of a City. Commentary and translation by Saleem Kidwai. Same Sex Love in India. Edited by Ruth Vanita and Saleem Kidwai. Macmillan India Ltd.

[12] Akbarnama by Abu-L-Fazi. Vol 2. Ch 6. Page 121. Translated to English by H. Beveridge. Rare Books. 1972.

[13] Same Sex Love in India. Part III. Edited by Ruth Vanita and Saleem Kidwai. Macmillan India Ltd.

[14] The Complete Kama Sutra. Introduction. Section: Puritanism in Modern India. Translated to English by Alain Danielou. Park Street Press. Rochester, Vermont. 1994.

[15] अनंगरंग (कल्याणमल्ल). प्रकाशक गजानन रघुनाथ मुळे. अनंगरंगाची प्रस्तावना. Case no. 544/ P/1937. King Emperor v/s. G R. Moole, Karjat. Charged under section 292 (a) I.P.C.

[16] समाजस्वास्थ्य मासिक. र. धों. कर्वे. 'अनैसर्गिक नव्हे, निसर्गपूरक'. Issues- July, August, October, November 1953.

[17] The Narad Smriti. Vol. II. Ch. 12. Relations between Men and Women. Versees11-18. Translated to English by R. W. Lariviere. Dept. of South Asian Regional Studies. Univ.of Pennsylvania, Philadelphia. 1989.

[18] What Buddhists Believe. K Sri Dhammananda. 1987.

[19] Meeting the Dalai Lama. By Tinku Ishtiaq. Trikone Magazine. October 1997.

[20] CBC News. World Sikh group against gay marriage bill. Website- http://www.cbc.ca/canada/story/2005/03/28/sikhguy-050328.html

[21] The Holy Bible. Cambridge University Press.

[22] The Koran. Translated in English by N. J. Dawood. Penguin Books. 1997.

[23] Online Hadiths. Website- http://cwis.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html

[24] प्रमुख फौजदारी कायदे. रा. म. खंदारे. विशाल बुक्स सेंटर. नाशिक.

[25] Sarkar's Commentary on the IPC, 1860. Section IPC 377.

[26] Kundunkara Govindan. 1969 CrLJ : 818.

[27] Brother John Antony. 1992 CrLJ : 1352.

[28] Report of the committee on Homosexual Offences and Prostitution. (Wolfenden Report). 1957.

[29] Law, Liberty and Morality by H. L. A. Hart. Stanford Univ. Press. 1963.

[30] Wolfenden Report. Claude J. Summers. Website- http://www.glbtq.com/social-sciences/wolfenden_report.html

[31] Queer: Despised Sexuality. Ch 4. Section- Constitutional Challenges to sec. 377 of the IPC. Arvind Narrain. Published by Books for Change. 2004.

[32] ABVA v/s Union of India. CWP 1984 of 1994 in the High Court of Delhi.

[33] (a) Naz Foundation India Trust v. Government of NCT of Delhi & Ors (CWP 7455 of 2001) High Court of Delhi at New Delhi.

(b) Reply (to the Naz Foundation India, Trust PIL) by Govt. of India Civil Writ Petition No. 7455 of 2001. Aman Lekhi. Central Government Standing Counsel, 159, Lawyers Chamber Delhi High Court. New Delhi 110 003.

[34] Reply Affidavit on Behalf of Respondents 4 and 5. Deponant M. L. Soni. Under Secretary to the Government of India, National AIDS Control Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi-110001. July 17, 2006. to the CWP 7455 of 2001, High Court of Delhi, New Delhi.

[35] Letter by Brinda Karat to Arun Jaitley. All India Democratic Women's Association (AIDWA). 2003.

[36] Queer: Despised Sexuality. Ch 3. Section: Cases registered under sec. 377 before and after Independence (Chart). Arvind Narrain. Published by Books for Change. 2004.

[37] Sakshi V/s Union of India A.I.R. 2004. S.C. 3566.

[38] 172nd Report of the Law Commission of India.

6. After detailed discussions with these organisations, the Commission has recommended changes for widening the scope of the offence in section 375 and to make it gender neutral. Various other changes have been recommended in sections 376, 376A to 376D. We have also recommended insertion of a new section 376F dealing with unlawful sexual contact, deletion of section 377 of the IPC and enhancement of punishment in section 509 of the IPC. In order to plug the loopholes in procedural provisions, we have also recommended various changes in the Code of Criminal Procedure, 1973 and in the Evidence Act, 1872. (B.P. Jeevan Reddy).

...

Chapter 3. Changes recommended in the IPC, 1860.

3.6. Deletion of section 377: In the light of the change effected by us in section 375, we are of the opinion that section 377

deserves to be deleted. After the changes effected by us in the preceding provisions (sections 375 to 376E), the only content left in section 377 is having voluntary carnal intercourse with any animal. We may leave such persons to their just deserts.

Website- http://www.lawcommissionofindia.nic.in/rapelaws.htm

[39] Biological Exuberance (Animal Homosexuality and Natural Diversity) by Bruce Bagemihl. Published by St. Martin's Press. New York. 1999.

[40] Love that dare not squeak its name. By Dinitia Smith. The New York Times. 7-Feb-2004.

Website-http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9506efd9113bf934a35751c0a9629c8b63

[41] Monkey Business by Simon LeVay. Trikone Magazine. April 99.

[42] Less Than Gay. Chapter 4. Homosexuality and the Law. Section-Homosexuality in the Indian Armed Forces. Published by ABVA (AIDS Bhedbhav Virodhi Aandolan). Dec 1991.

[43] Services gay ban lifted. Wednesday, 12 January, 2000, 19:55 GMT.

Website- http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/599810.stm

[44] The Payment of Gratuity Act, 1972. Act Title: Act No. 39 of 1972. Enactment Date: 21/08/1972. India Code Legi. Dept.

Website- http://indiacode.nic.in/qryACTshtitle1.asp?txtact=gratuity

[45] The Provident Funds Act, 1925. Act Title: Act No. 19 of 1925. Enactment Date: 27/08/1925. India Code Legi. Dept. Website-http://indiacode.nic.in/qryACTshtitle1.asp?txtact=provident

[46] India Refuses Diplomatic Status for Homosexual Partners of Canadian Gay Diplomats. By Hilary White. 14/05/2007.

Website- http://www.lifesite.net/ldn/2007/may/07051410.html

[47] Guidelines For Adoption From India-2006. Central Adoption Resource Authority. Chapter IV. Section 4.1. '.... Same sex couples are not eligible to adopt.'

[48] Paige, R. U. (2005). Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the legislative year 2004. Minutes of the meeting of the Council of Representatives July 28 & 30, 2004, Honolulu, HI.

Website- http://www.apa.org/pi/lgbc/policy/parents.html

[49] -Sex Survey. Debonair. October 1991;
-Report on a survey of sexual behavior patterns and attitudes amongst men and women in Maharashtra. by Dr. Mira Savara and C. R. Sridhar. SHAKTI. December 1994;
-Behavioral Surveillance Survey in Maharashtra. Conducted by ORG Center for Social Research with technical assistance from FHI. Funded by USAID. Year 2001.
-Baseline study of knowledge, Attitude, Behavior and practices. Humsafar Trust Survey. (Funded by FHI Evaluation of the project funded by MDACS). Year 2001/2002;
-Survey of MSM in Pune/Pimpri-Chinchwad for Pathfinder International. Survey conducted by Humsafar Trust (Mumbai) and Samapathik Trust (Pune). Year 2005;
-HIV/AIDS in India: Fact Sheets on Baseline Behavioral Surveillance Survey-India (National AIDS Control Organization);
-Stigma, Stress, Social Support Network and Coping Among Lesbian and Gay Individuals. A Qualitative Study. By Ketki Ranade. Dept. of Psychiatric social Work. NIMHANS. Bangalore. Year 2003;
-The nature of violence faced by lesbian women in India. Bina Fernandez and Gomathy N.B. Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Year.2003.

[50] Shorter Oxford Textbook of Psychiatry. Michael Gelder, Richard Mayou, Philip Cowen. 4th Edition. Ch. 19.

[51] Psychopathia Sexualis by Dr. Richard Von Krafft-Ebing. Paperback Library Edition. 1966.

[52] Studies in the psychology of sex. Volume 2 (Sexual Inversion). By Havelock Ellis. Softcopy available at
Website- http://www.gutenberg.org

[53] Queer Science. Use and Abuse of Research into Homosexuality. Ch 11. Simon Le Vay. MIT Press. 1996.

[54] Conger, J.J. (1975). Proceedings of the American Psychological Association, Incorporated, for the year 1974: Minutes of the annual meeting of the Council of Representatives. American Psychologist, 30, 620-651.
Website- http://www.apa.org/pi/lgbc/policy/discrimination.html

[55] ICD10 Codes.
F66 Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and orientation. Note: Sexual orientation by itself is not to be regarded as a disorder.
F66.1 Egodystonic sexual orientation
The gender identity or sexual preference (heterosexual, homosexual, bisexual, or prepubertal) is not in doubt, but the individual wishes it were different because of associated psychological and behavioral disorders, and may seek treatment in order to change it.
Website- http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/

[56] लैंगिकता. डॉ. भूषण शुक्ल यांची मुलाखत.साथीदार मासिक वर्ष २००३.

[57] इटस् अ वे ऑफ लाइफ. डॉ. संज्योत देशपांडे. लोकमत. २५/६/०४.

[58] Humjinsi: A Resource book of Lesbian, Gay and Bisexual Rights in India. Ch. Civil Laws Affecting Gay men and Lesbians by Mihir Desai. Compiled and Edited by Bina Fernandez. India Centre for Human Rights and Law. 1999.

[59] Violence Continues At Indian Movie Theaters. 4 December 1998 (StudioBriefing).
Website- http://www.imdb.com/news/sb/1998-12-04#film3

[60] What the urdu press is saying (on the film Girlfriend). Compiled by Mohammed Wajihuddin. Indian Express. 18/06/2004.

[61] Pink and Prejudice. Vikram Doctor. Economic Times. 25/05/2007.

[62] Out of closet, Rajpipla royals cut out gay prince. Georgina Maddox and Syed Khalique Ahmed. Indian Express. 26/06/2006.

[63] Suicide attempt over 'no' to lesbian marriage. Asian Age12.1.06
Driven To Death!. News item in Mathrubhumi.
Bombay Dost. Vol 4. No. 1. 1995.

[64] सर्व बंधने झुगारत त्या विवाहबंधनात अडकल्या. लोकमत. ७/११/०६.

[65] Research Issues in Human Behavior and Sexually Transmitted Diseases in the AIDS Era. Ch. Intro. to the Biology and Natural History of STD's. Editors Judith N. Wasserheit, Sevgi O. Aral, King K. Holmes. Associate Editor Penelope J. Hitchcock. American Society for Microbiology, Washington, D.C.

[66] आगळे विश्व माझे. प्रतिभा घीवाला (समन्वय). सकाळ. ०८/०७/०६.

परिशिष्ट 'ब'

समलिंगी समाज के साथ काम करनेवाली कुछ संस्थाएँ

INFOSEM (Indian Network For Sexual Minorities)
Website- http://www.infosem.org

MAHARASHTRA

Humsafar Trust
Old BMC Bldg, 1st & 2nd Floor,
Nehru Road, Vakola, Santacruz
(East), Mumbai - 400055
Ph: (22) 26673800, 26650547,
55760357
Email: humsafar@vsnl.com
Website- http://
www.humsafar.org

Gay Bombay
Website- http://
www.gaybombay.org

Samapathik Trust
1004, Budhwar Peth, Off No. 9,
Building Rameshwar Market,
Near Vijay Maruti Chowk,
Pune - 411 002
Ph. - (020) 64179112
HelpLine Phone: 9890744677
(Mondays only. 7pm-8 pm)
Email:
samapathik@hotmail.com

LABIA / Stree Sangam
P.O. Box 16613
Mumbai 400 019.
Ph: 9833278171
Mondays, Wednesdays and
Saturdays (5pm - 8pm only)
Email: labialist@yahoo.com OR
stree.sangam@gmail.com

GUJARAT
Lakshya
105, Raj Mandir appts,
62 Alkapuri society, Alkapuri.
Vadodara, Gujarat
Ph: (0265) 331340 / 9825311997
Email:
lakshya121@rediifmail.com

NEW DELHI
Naz Foundation, (India) Trust
A-86 East of Kailash,
New Delhi, 110 065
Ph: (11) 2691 0499
Email:
nazindia@airtelbroadband.in
OR naz@nazindia.org

WEST BENGAL
Saathii
CD 335, Sector 1, Salt Lake,
Calcutta 700 064
Ph: (33) 2334 7329
Email: saathii@yahoo.com
Website- http://www.saathii.org

TAMILNADU
SIAAP
No. 8/11, Jeevanathan Street,
Lakshmipuram, Thiruvanmiyur,
Chennai 600 041
Ph: (44) 55398050
Email: siaap@eth.net
Website- http://
www.siaapindia.org

KARNATAKA
Sangama
Number 9, ABABIL
Patil Cheluvappa Street,
JC Nagar (MR Palya),
Bangalore – 06
Ph: 23438840/43
Email: sangama@sangama.org
Website- http://
www.sangama.org

SAN FRANCISCO, CA, USA
Trikone
Website- http://www.trikone.org

परिशिष्ट 'क' - वाचन

हिंदी

नाम	लेखक
* पार्टनर	बिंदुमाधव खिरे

English

Name	Author
* Less than Gay	AIDS Bhedbhav Virodhi Aandolan
* Same sex love in India	Ruth Vanita and Saleem Kidwai
* Queer-Despised Sexuality	Arvind Narrain
* Sakhiyani- Lesbian Desire in Ancient and Modern India	Geeti Thadani
* A Lotus of Another Colour	Rakesh Ratti
* Facing the Mirror	Edited by Ashwini Sukthankar.
* Queering India	Edited by Ruth Vanita
* Homosexuals	Shakuntala Devi
* Loving Someone Gay	Don Clarke
* Positively Gay	Edited by Betty Berzon
* Reclaiming your life	Rick Issesee
* Virtually Normal	Andrew Sullivan
* Use and Abuse of Research into Homosexuality	Simon Le Vay
* Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity	Bruce Bagemihl
* Sexually Speaking: Collected Sex Writings	Gore Vidal
* The City and the Pillar	Gore Vidal
* And the band played on	Randy Shilts
* The tragedy of today's Gays	Larry Kramer
* Comprehensive Textbook of Psychiatry (7th Edition)	Kaplan and Sadock

क्रॉस इंडेक्स

ABVA	४०
AIDWA	४३
अकबरनामा	२३
अमरकोष	२१
अशोक राव कवी	१२२
एव्हलीन हूकर	६३
ब्लॅकमेल	६३
भिन्नलिंगी झुकाव	५३
बायबल	३०
बाबुरनामा	२३
चरकसंहिता	२१
सिनेमा	७२-७३
बच्चा गोद लेना	५०-५१
इगो डिस्टोनिक	६४-६५
इगो सिंटोनिक	६४-६५
फ्रँक कामेनी	६२
फ्रॉइड	६२
गुप्तरोग	१०९-११०
हॅवलॉक एलिस	६१
एचआयव्ही	११०-११३
ICD 10	६५
INFOSEM	१२४
जैनसूत्र	२१
कामसूत्र	२१
कार्ल हेन्रीच उलरीच	६१
कौटिल्य का अर्थशास्त्र	२०
डॉ. किनसे	५९-६०
कुराण	३०-३१
लैंगिक झुकाव	५३
सेना	४८
लॉयर्स कलेक्टिव्ह	४१
लॉ कमिशन	४५
मॅग्नस हर्चफेल्ड	६१
मनुस्मृती	२१,२९
एमएसएम वर्ग	५५-५७
NACO	४२-४३
नारद पुराण	२०
नाटकं	७१
प्राणीयों में समलैंगिकता	४६
रिचर्ड एबिंग	६१
र.धों. कर्वे	२४-२५
'साक्षी' जनहित याचिका	४४
समलिंगी झुकाव	५३
समलिंगी विवाह	४९
स्टोनवॉल	६३
सुश्रृतसंहिता	२१
उभयलिंगी झुकाव	५३
विनयपिटक	२१
वुल्फेंडेन अहवाल	३८-३९

⊙ ⊙

लेखक के बारे में :

बिंदुमाधव खिरे जी पेशे से संगणक अभियंता है। इस क्षेत्र में दस साल काम करने के बाद उन्होंने स्वेच्छानिवृत्ती ली। २००२ साल में उन्होंने 'समपथिक ट्रस्ट' (पुणे) संस्था की स्थापना की। समलिंगी, ट्रान्सजेंडर, इंटरसेक्स व्यक्तियों के मानसिक तथा शारिरीक आरोग्य के विषयों में यह संस्था काम करती है। बिंदुमाधव खिरे जी समलिंगी है। यह किताब उनके खुद के अनुभव और अभ्यास पर आधारित है।

UNAIDS
JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS

THE HUMSAFAR TRUST